खण्ड-251, अंक-3
सोमवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1886
(17 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१५९–१६३
प्रश्नोत्तर	१६३–१८९
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ (मेज पर रखा गया)	१८९
विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे १९६२–६३ तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, १९६४ (मेज पर रखी गयी)	१८९–१९२
गाजीपुर से धरम्मपुर व सैदपुर वाया चोचकपुर सड़क को पक्की करने के सम्बन्ध में तथा परमुठ के पास गांगी नदी पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	१९२–१९३
उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को न पारित करने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिट) ..	१९३–१९४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१९४
देवरिया जिले में छोटी गण्डक में एक नाव के डूब जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत) ..	१९५–१९६
प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त नियम ५२ की सूचनाओं के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का आदेश	१९६–१९७
जे० के० जूट मिल्स, कानपुर में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	१९७–१९८
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचना	१९८
रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट तथा मालस्थायी समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	१९८–१९९
दियासलाई के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	१९९
विधान सभा का साप्ताहिक कार्यक्रम	१९९–२०६
उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ (पारित) ..	२०६–२४०
वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	२४०
प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	२४०–२४३
नत्थियां	२४४–२७१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम. श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा,श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा,श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन , श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान , श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री

रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री

हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाद्य समिति

**१—सर्वश्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) आदि—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव के अन्तिम दिन में भाषण के अवसर पर एक ५ सदस्यों की समिति बनाने की घोषणा की थी, उसमें कौन-कौन से व्यक्ति रखे गये हैं और उस समिति का टर्म्स आफ रेफरेंस क्या है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी हां । उक्त समिति में निम्नांकित व्यक्ति रखे गये हैं :—

१—श्री गेंदासिंह, सदस्य विधान सभा—अध्यक्ष,

२—डाक्टर ए० जे० फरीदी, सदस्य विधान परिषद्—सदस्य,

३—श्रीमती प्रकाशवती सूद, सदस्य विधान सभा—सदस्य,

४—श्री दीन दयालु शास्त्री, सदस्य विधान परिषद्—सदस्य,

५—श्री लाल बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा—सदस्य,

६—श्री भगवान सहाय, सदस्य विधान सभा—सदस्य,

७—श्री देवीसिंह फौजदार, उत्तर प्रदेशीय शासन के खाद्य तथा रसद विभाग के अनु-सचिव.....सचिव ।

इस समिति के टर्म्स आफ रेफरेन्स निम्नलिखित हैं —

(१) सरकारी सस्ते गल्ले की कार्यप्रणाली की जांच करक उसमें सुधार के लिये सिफारिश करना ।

(२) इस विषय में जांच करके रिपोर्ट करना कि :

(क) किसी व्यक्ति के पास अपने या अन्य किसी नाम से एक से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान है, और

(ख) प्रत्येक मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या एक से अधिक दूकान में कमी कर दी जाय ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समिति की कार्यावधि कितनी होगी जिसके बीच यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और क्या वह रिपोर्ट सदन की मज पर रखी जायगी ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इसकी अवधि अभी तक कोई निश्चित नहीं की गई । जब तक यह खाद्य समस्या कठिन है और जब तक वह अपना कोई ठोस सुझाव नहीं देती जिसको कार्यान्वित किया जा सके, तब तक यह रहेगी ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि समिति के सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव करने का आधार क्या था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिन आदमियों की उससे दिलचस्पी है और उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं इसका ध्यान रखते हुये उनको उसमें रखा गया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह समिति लखनऊ में बैठकर निर्णय लेगी या सारे उत्तर प्रदेश में दौरा करके निर्णय लेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अगर वह बाहर जाकर देखना चाहे तो देख सकती है । सभी जगह जाकर वह देख सकती है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह समिति सिर्फ उन शिकायतों पर विचार करेगी जो सरकार की तरफ से उसको मिलेंगी या जनता की तरफ से भी आई हुई शिकायतों पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह उन पर भी विचार कर सकती है जो जनता की तरफ से आयेंगी ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सस्ते गल्ले की दुकानों की प्रणाली है उस सिलसिले में माननीय मंत्री जी को कितनी शिकायतें मिली हैं और क्या उन सब को वह समिति के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमको बहुत-सी शिकायतें मिली थीं । इसीलिये हमने हर दुकान पर विजिलेन्स कमेटी जनता में से आदमी छांटकर बनाने की कोशिश की है ।

श्री मातप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा टर्म्स आफ रिफरेन्स में कहा गया है कि एक आदमी के पास यदि एक से अधिक दुकान होगी तो उसको कैंसिल किया जायगा तो एक आदमी के परिवार के कई लोगों ने यदि दुकानें ली हैं जो अलग-अलग काम करते हैं, तो उनको क्या एक या अलग-अलग समझा जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि उस आदमी ने अपने ही परिवार के लोगों को दुकान बांट रखी है या स्वतंत्र रूप से अलग-अलग है ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

यह कमेटी जो बनी है यह भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच करेगी, तो जब यहां जिलों में जाकर जांच करेगी तो वहां पर क्या इसको तुरन्त ऐक्शन लेने का भी अधिकार है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह स्पष्ट रूप से अधिकार दिया तो नहीं गया है मगर वह समिति जो भी अपनी सिफारिश इस प्रकार की करेगी उस पर तुरन्त कार्यवाही करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कमेटी को जनता की ओर से या उनके प्रतिनिधियों की ओर से जो शिकायतें सप्लाई विभाग की या उसके कर्मचारियों की मिली हैं उन पर वह कार्यवाही करने लगी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उन शिकायतों को महत्व दिया जायगा और उनकी जांच कर के कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

मंत्री जी ने फरमाया कि अगर किसी के पास चार, पांच दूकानें हैं तो क्या उसकी शिकायत आने पर बकिया दूकानों को सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया जायगा या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसे नम्बर दो में बतला दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न कुछ गलत हो गया है । माता प्रसाद जी का प्रश्न था कि अगर एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से दूकानें हों तो वह दूकानें कैंसिल की जायंगी या नहीं; उसी पर दत्त जी का प्रश्न है कि क्या इसके लिये कोई सिद्धान्त है कि एक परिवार में ५ दूकानों को एक माना जायगा अथवा ५ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर एक आदमी ने ही ५ नामों से दूकानें ले रखी हैं तो उनको ५ माना जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

जिन शहरों में गोदामों से अनाज निकलवाया गया है उसका कोई दाम स्थिर नहीं किया गया और वह मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है । क्या यह कमेटी इस बारे में भी आदेश देगी कि वह व्यापारी डेढ़ रुपये मन का जो निश्चित प्राफिट है उससे अधिक दाम पर वह अनाज न बेंचे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इस कमेटी के तीन टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं । वह उसके अन्दर ही महदूद रहेगी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

गाजीपुर जिले में न्याय पंचायतों में बहुत पहले से राशन की दूकानें निश्चित कर दी गयी हैं लेकिन आज तक न तो वहां किसी दूकानदार को लाइसेंस दिया गया है और न एक छटांक अनाज ही दिया गया है । तो क्या इस संबंध में जांच करा कर खाद्य मंत्री जी उस संबंधित अधिकारी

के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिसकी गलती से वहां न तो दूकानों का लाइसेंस ही मिला है और न गल्ला ही ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न इस बारे में इस तरह से पूछिये कि क्या कमेटी इस संबंध में भी जांच करेगी ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां । क्या कमेटी इस तरह के मामले में भी जांच कर के आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पहले हमको दो लाख टन गल्ला मिलने की आशा थी, उस समय उस के आधार पर हमने हर न्याय पंचायत को दूकान दी थी । लेकिन अब नयी नीति के अनुसार हमारे पास देहाती क्षेत्र के लिये केवल ४० हजार टन गल्ला निकल पाया है। जिले की खाद्य समिति देखेगी और जहां अधिक आवश्यकता होगी यह गल्ला देहातों में दिया जायगा और बाकी क्षेत्र में ये दूकानें केवल चीनी वितरण करती रहेंगी।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी बात का उत्तर नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय। मैंने पूछा था कि ऐसे सेंटर्स जो पहले से कायम हैं और वहां आज तक एक छटांक गल्ला भी नहीं दिया गया और न उन दूकानों को लाइसेन्स दिया गया, उनके लिए क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इस समय इस कमेटी तक ही सीमित रखिए।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय गल्ले की विकट समस्या को देखते हुए यह कमेटी अब तक कितनी बैठकें कर चुकी है और कितने जिलों में गयी है और अगर गयी है तो वहां से कोई रिपोर्ट आयी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इस कमेटी की दो मीटिंग्स हो चुकी हैं और लखनऊ के गोदाम, मिल और दूकानें उन्होंने देखी हैं और गोरखपुर, देवरिया के गोदाम और दूकानें देखी हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या यह समिति निर्धारित मूल्यों पर कोई ऐसी प्रश्नावली तैयार करेगी और सदस्यों में वितरित करेगी जिससे लाभ उठाया जा सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब है कि टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं रहते हुए क्या मुनासिब होगा कि ऐसी प्रश्नावली तैयार की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो वह स्वतः ही तैयार कर रहे होंगे और आपके पास भेजेंगे।

राजेन्द्रनगर, लखनऊ के सरकारी क्वार्टर

**२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार ८ फरवरी, १९६३, के अतारांकित प्रश्न सं० ३६, ३७, ३८ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जो प्रश्न ३८ के उत्तर में कहा गया था कि निजी बाग, बगीचों और घरों को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है शीघ्र ही ये हट जावेंगे, सरकार ने यहां पर कामन घेरे (Common Fencing) लगाने का तखमीना (Estimate) भी स्वीकृत कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इस वक्त कामन घेरे न बना कर अलग-अलग हर कमरे के सामने घेरे बनाए जा रहे हैं और कामन घेरे के बारे में जो सरकार का आश्वासन था उसे तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से १४ ब्लाक में रहने वाले ऊपर के किराय-दारों को तथा उनके बच्चों को काफी तकलीफ होगी?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

जी हां। सरकार ने बाद में इस प्रश्न पर पुनः विचार किया तथा यह तय पाया कि पहले के फैसले को बदल देना उचित होगा। अतः दूसरे आदेश जारी किए गए जिनके अनुसार कार्य हो रहा है।

श्री ऊदल—

२४ जनवरी, १९५७ को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे कि इन क्वार्टरों के सामने की भूमि सभी किराएदारों के उपयोग के लिए है, अतः जब तक एक ब्लाक के सभी किराएदार सहमत न हों किसी एक किराएदार को अपने क्वार्टर के सामने घेरा लगाने की अनुमति न दी जाय। उक्त आदेश में यह भी कहा गया था कि किराएदारों को उक्त खुली भूमि में तरकारियां उत्पन्न करने की अनुमति भी न दी जाय। जब यह आदेश हो गया तो उसको सरकार ने बिना लोगों की राय लिए कैसे बदल दिया?

श्री जगनप्रसाद रावत—

परिस्थितियों को देखकर जैसा उचित समझा गया वैसा किया गया।

श्री भीखालाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अब क्या आदेश जारी किए गए?

श्री जगनप्रसाद रावत—

नीचे की भूमि में क्वार्टरों के नीचे रहने वालों का अधिकार रहेगा और ऊपर वालों के लिए एक रास्ता छोड़ दिया जायगा और उस रास्ते को भी ठीक करा दिया जायगा।

श्री ऊदल—

प्रश्न ३८ के उत्तर में सरकार ने आदेश दिया था कि "नीचे बाग," बगीचों और घेरों को हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है, शीघ्र ही ये हट जायेंगे। सरकार ने यहां पर कामन घेरे (फेंसिंग) लगाने का तखमीना भी स्वीकृत कर दिया है।" इस आदेश को जब बदला जा रहा है तो क्या मैं समझूं कि उस वक्त जो आदेश दिया था वह [....] से दिया था?

श्री जगनप्रसाद रावत—

राय तो आपको कायम करने का अधिकार है, लेकिन जो उस वक्त मुनासिब समझा गया वही किया गया।

[....] श्री अध्यक्ष के आदेश से हटा दिया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

ऐसी कौन-सी परिस्थितियां आ गयीं कि पहले आदेश बदल दिए गए ?

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

मैं व्यवस्था चाहता हूं। ऊदल जी ने जो शब्द "बेवकूफी" प्रयोग किया वह पार्लियामेंटरी है या अनपार्लियामेंटरी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

नीचे और ऊपर के किराएदारों को अधिक सुविधा मिल सके, इसलिए यह किया गया। नीचे के किरायेदारों को कुछ खुली हुई हवा चाहिए और कुछ प्राइवेसी भी होना चाहिए। इसलिए उनको अपने क्वार्टरों के सामने घेरा लगाने की इजाजत दी गयी। जो लोग ऊपर के रहने वाले हैं उनके लिए तो छत मिल जाती है। इसलिए यह किया गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी, क्या आपने बेवकूफी वाला शब्द इस्तेमाल किया था ? अगर किया है तो उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री ऊदल--

मैंने सरकार के लिए कहा था, मंत्री जी के लिए नहीं और अगर वह असंसदीय हैं तो मैं उसे वापस लिए ले रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार के पास इस बात का ब्योरा है कि कितनी भूमि ऐसी है जो इन लोगों के पास घेरे बनाने के काम में आयी है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे लोग सड़क तक पर कब्जा कर लें ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सड़क को घेरने का प्रश्न नहीं उठता। उनके क्वार्टर्स के दायरे में जो जमीन आती है वही उनको दी जायेगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

कोई ऐसे आदेश हैं कि इतनी भूमि उनको दी जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

उनके क्वार्टर और सड़क के बीच में जो जमीन है उसी में से उनको दी जायेगी।

दोहरीघाट में श्री कालिकाप्रसाद राय पर हमला

**३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अगस्त, १९६४ को साढ़े ११ बजे दिन में दोहरीघाट (आजमगढ़) पुलिस स्टेशन से लगभग २० गज की दूरी पर लाठी आदि शस्त्रों से लैस गुंडों ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य तथा टाउन एरिया दोहरीघाट के भूतपूर्व चेयरमैन श्री कालिका प्रसाद पर हमला किया और उन्हें घायल किया ? यदि हां, तो पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में क्या रिपोर्ट दर्ज की तथा आततायियों के विरुद्ध अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

यह सत्य है कि श्री कालिकाप्रसाद राय, सदस्य संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा भूतपूर्व चेयरमैन, टाउन एरिया, दोहरीघाट, जिला आजमगढ़, को १-८-६४ को ११.३० बजे दिन में कस्बा दोहरीघाट में भागीरथी नोनियां की दूकान के सामने, जो थाना दोहरीघाट से १०० गज की दूरी पर है, कुछ लोगों ने हमला कर उनको घायल किया।

श्री राय की रिपोर्ट पर एक मुकदमा भा० द० विधान की धारा १४७, १४८, ३२३ के अन्तर्गत थाने पर दर्ज हुआ। १ अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, शेष ६ अदालत में हाजिर हो गए। जांच जारी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उनका नाम केवल कालका प्रसाद ही है? मैं यह जानना चाहता हूं कि अभियुक्त कब, कहां और किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया?

श्री बंशीधर पांडेय--

वह ५-८-६४ को गिरफ्तार किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैंने पूछा था कि कहां और किसके द्वारा?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

जो जवाब आते हैं उसमें इतनी डिटेल्स नहीं होतीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या यह सही है कि उसको स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और वह पुलिस वहां के गुंडों से मिली हुई थी, इसीलिए वह उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जो रिपोर्ट इस समय है उससे यह कथन बिलकुल असत्य मालूम होता है। जो और माननीय सदस्य की राय है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

यह घटना किस समय घटी और रिपोर्ट में उसका समय क्या दर्ज है तथा जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वह थाने से कितनी दूर रहने वाला है?

श्री बंशीधर पांडेय--

रिपोर्ट ११.४५ पर लिखी गई। और सूचना इस समय नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कहां का रहने वाला है क्योंकि जब वह गिरफ्तार हुआ तो उसका पता तो मालूम ही होगा?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह सूचना इस समय नहीं है कि वह कहां का रहने वाला है।

श्री उमाशंकर--

इस घटना के महत्व को देखते हुए क्या सरकार किसी बाहरी व्यक्ति से इसकी जांच करायेगी कि स्थानीय पुलिस के आदमियों ने ही इसको पिटवाया था?

श्री बंशीधर पांडेय—

जांच सर्किल इन्स्पेक्टर कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्किल इन्स्पेक्टर ने थाने में उसको गिरफ्तार किया था या गांव में जाकर किया, और स्थानीय पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना इस समय नहीं है।

सहारनपुर जिले में ग्वार के बीज की खरीद

**४—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रामचन्द्र सिंह, सहायक जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर, ने सहारनपुर शहर के एक सेठ श्री ठाकुर दास से लगभग ७,००० रुपए का ग्वार का बीज खरीदा और उसके बिल श्री भीम सिंह निवारी, ग्राम साधारनसिर, ब्लाक नागल, के नाम में बनवाये थे ? क्या सरकार को ज्ञात है कि इसमें ब्लाक के किन-किन अधिकारियों का हाथ है ? क्या वास्तविकता यह है कि उक्त जिला अधिकारी ने यह बीज शहर में ही बेच डाला ? क्या सरकार बतायेगी कि यह बीज श्री ठाकुरदास से किस भाव में खरीदा और श्री भीमसिंह के नाम बिल किस भाव के बनाए गए तथा इसमें कुल कितने रुपए का गोलमाल है ?

कृषि उप-मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

सरकार के पास सहारनपुर जिले में ग्वार के बीज की खरीदारी के बारे में विवाद और गोलमाल की शिकायतें हैं। श्री भीमसिंह कृषक से १२० क्विंटल ग्वार का बीज नागल में खरीदा दिखाया गया है और उसमें से ९८.२२ क्विंटल सहारनपुर गोदाम पर भेजा जाना दिखाया गया है। बिल ६० रु० प्रति क्विंटल से बनाया गया है। भुगतान नहीं हुआ है। सहारनपुर के एक दूकानदार श्री ठाकुरदास ने यह प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसने ९८.२२ क्विंटल ग्वार का बीज ५७.५० रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से सहारनपुर गोदाम पर दिया था। श्री ठाकुरदास को भी भुगतान नहीं किया गया है। जिला कृषि अधिकारी श्री ब्रह्मानन्द, अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी श्री रामचन्द्रसिंह, सहायक कृषि अधिकारी श्री राम सरन राठी और सहायक कृषि निरीक्षक श्री हरख्याल सिंह के विरुद्ध ग्वार की इस बीज की खरीदारी के बारे में श्री ब्रह्म सिंह, उप कृषि निदेशक, मेरठ जांच कर रहे हैं। श्री ब्रह्मानन्द, जिला कृषि अधिकारी का तबादला सहारनपुर से सीतापुर को कर दिया गया है, श्री राठी और श्री हर ख्याल सिंह को मुअत्तल कर दिया गया। श्री राम चन्द्र सिंह का तबादला इस बीज की खरीदारी की शिकायतें आने से पहले ही कृषि निदेशक, लखनऊ, मेरठ को कर चुके थे और कुछ छुट्टी लेने के बाद श्री रामचन्द्र सिंह ने मेरठ में जुलाई के आरम्भ में श्री ब्रह्मसिंह की जांच से पहले कार्य भार संभाल लिया था।

**५—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि इस मामले की जांच करने के लिए श्री ब्रह्मसिंह, कृषि उप-निदेशक, मेरठ, ब्लाक नांगल में दिनांक ६ व ७ जुलाई, १९६४ को पधारे थे ? उन्होंने इस मामले में फंसे अधिकारियों को बचाने की दृष्टि से वहां के कुछ कर्मचारियों को श्री रामचन्द्र सिंह के हक में बयान देने के लिए दबाव दिया ? उनके कहने के अनुसार मनमाने बयान न देने पर श्री पल्टूराम कामदार तथा श्री वेद प्रकाश कामदार की सेवा समाप्त कर दी गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि इन दो हरिजन कामदारों के अतिरिक्त किस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह सत्य है कि श्री ब्रह्मसिंह, उप-निदेशक, कृषि जांच के लिए नागल और सहारनपुर ६ व ७ जुलाई को गए थे। यह सत्य है कि श्री पल्टूराम कामदार और श्री वेद प्रकाश कामदार की सेवाएं जिला कृषि अधिकारी ने सेवा नियमों के अनुसार समाप्त कर दी हैं। यह सही है कि श्री राठी और श्री हरख्याल सिंह के तबादले के आदेश इस शिकायत के आने से पहले किए जा चुके थे परन्तु जब शिकायत हो गई तो उनको मुअत्तल करना आवश्यक समझा गया क्योंकि उनके विरुद्ध ग्वार की खरीदारी में गड़बड़ करने के आरोप प्रारम्भिक जांच के अनुसार सही प्रतीत होते थे।

**६---श्री रामसिंह---

क्या यह सही है कि श्री ब्रह्मसिंह ने श्री रामचन्द्र सिंह को बचाने की दृष्टि से उनका तबादला अपने ही पास मेरठ जिले में कर दिया है और परिवर्तन हो जाने पर भी श्री रामचन्द्र सिंह, २४ मई से ३० जून तक अपने विरुद्ध केस को दबाने के लिए सहारनपुर में ही रहे? क्या यह भी सही है कि श्री राठी, A. D. O. (Ag.) तथा श्री हरख्याल सिंह Asst. Ag. Inspector का परिवर्तन इसी बीच में सहारनपुर से बाहर हो गया था किन्तु इस केस को दबाने के लिए उप-निदेशक ने उन्हें वहीं पर रोक दिया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह गलत है कि श्री ब्रह्मसिंह ने श्री रामचन्द्र सिंह को बचाने की दृष्टि से या श्री राठी और श्री हरख्याल सिंह के विरुद्ध केस को दबाने की दृष्टि से कोई आदेश जारी किए हैं। वह सच्चाई और निष्पक्षता से मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री रामसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्क्वायरी में श्री भीमसिंह और श्री ठाकुरदास के क्या बयान थे और यह भी क्या सही है कि पहले बयान में श्री ठाकुर दास ने केवल रामचन्द्रसिंह का नाम लिया और श्री ब्रह्मसिंह के दबाव के बाद ब्रह्मानन्द शर्मा का भी नाम लिया गया?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)---

अभी जांच चल रही है, इसलिए इतनी तफसील में जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन यह वाक़या है कि ठाकुर दास ने २ बार बयान दिया है। पहले बयान के विपरीत दूसरा बयान उन्होंने दिया।

श्री रामसिंह---

जिस आदेश से पल्टूराम और श्री वेदप्रकाश कामदार की सर्विस टर्मिनेट की गई उसमें केवल कारण दिखाया गया और वे केवल सस्पेंड ही कर सकते थे?

श्री चरणसिंह---

अगर कायदे के खिलाफ टर्मिनेशन किया गया है तो वे आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री रामसिंह---

क्या यह सही है कि डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा रामचन्द्र सिंह के परिवर्तन के बाद उन्हें २४ मई से ३० जून तक सहारनपुर में रहने की इजाजत दी गई, केस दबाने की वजह से?

श्री चरणसिंह---

यह चार्ज बिलकुल निराधार है। ट्रांसफर डाइरेक्टर ने किया था।

श्री रामसिंह---

क्या सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि जब श्री ब्रह्मसिंह के खिलाफ जातिवाद, भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायतें हैं तो सी० आई० डी० से जांच करवायें ?

श्री चरणसिंह---

इस प्रकार का इल्जाम गवर्नमेंट के इल्म में कोई नहीं है। पुलिस द्वारा जांच की इजाजत जनाब का सवाल आने से पहले ही दे दी गई है।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

श्री राठी असिस्टेंट डाइरेक्टर के रिश्तेदार होने की वजह से क्या उनके द्वारा ठीक जांच हो सकेगी ?

श्री चरणसिंह---

असिस्टेंट डाइरेक्टर के रिश्तेदार होते हैं या नहीं, यह गवर्नमेंट को नहीं मालूम है। अगर माननीय मित्र को मालूम है तो मुझे बताने की कृपा करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या यह सही है कि नांगल और सहारनपुर से दोनों जगह से वह बीज नहीं खरीदा गया और जाली रसीदें तैयार कराई गईं ?

श्री चरणसिंह---

बीज वाकई लिया गया लेकिन दोनों की शिकायत होने की वजह से दोनों का पेमेंट रोक दिया गया। अगर शिकायत सही है, जो कि मैं यकीनी तौर पर कहने के लिए तैयार नहीं हूं, तो केवल २५० रुपए का गबन है। पांचों अफसरान जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही है उसमें मुबतला मालूम होते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या ९८ क्विंटल बीज २ बार खरीदा गया ?

श्री अध्यक्ष---

वह उसका जवाब दे चुके हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

अगर दोनों बिल एक ही कीमत के हैं तो मन्त्री जी कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ २५० रुपए का गबन है ?

श्री चरणसिंह---

दरअस्ल जिन्स एक ही है, ९८ क्विंटल ६० रुपए का भाव दिखाया गया नांगल से बीज खरीदने का और कहा यह जाता है कि ५७।। रुपए से खरीदा गया। अफसर चूंकि कुछ बेइमानी करना चाहते थे इसलिए उन्होंने दूसरी तहसील में जहां कि तहसील का रेट ६० रुपए था, वहां का खरीदा दिखाया २ १/२ रुपया फी क्विंटल का नफा खाने के लिए। तहकीकात चल रही है।

श्री रामसिंह---

जब केवल श्री रामचन्द्र सिंह जी उस गोलमाल में शामिल हैं तो उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री चरणसिंह---

गोलमाल की शिकायत तो ब्रह्मानन्द, रामचन्द्र, रामसिंह, हरख्याल सिंह और अहमद रजा के खिलाफ है। सबके खिलाफ तहकीकात हो रही है। नीचे के २ आदमी सस्पेंड किए गए, २ का ट्रांसफर हुआ। अगर तहकीकात से गिल्टी साबित होंगे तो पांचों को डिसमिस किया जायगा।

श्री रामसिंह---

तहकीकात चल रही है तो उन्हें टर्मिनेट क्यों किया ?

श्री चरणसिंह---

डी० ए० ओ० ने नोटिस देकर डिस्मिस कर दिया। अगर वह मुनासिब समझें तो अपील कर सकते हैं।

श्री जयगोपाल---

महीपाल सिंह ने जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक रिटायर्ड आदमी हैं बहुत से लोगों से मिलकर वहां एक ऐसी कम्पनी बनाई हुई है जो बीज खरीदने में झूठे-सच्चे बिल बनाकर रुपया कमाते हैं और डिप्टी डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर के साथ भी उनकी तालमेल हैं और ब्रह्मानन्द को यह लिखकर तबादला कर दिया कि यह बड़े स्टेशन का चार्ज होल्ड करने के लायक नहीं हैं ?

श्री चरणसिंह---

उसके मुताबिक मेरा खयाल बहुत अच्छा रहा है। शुरू में जब शिकायतें आईं तो मैंने लिखा कि ये बोगस मालूम होती हैं चूंकि बहुत ही ईमानदार लड़का है। मैं उसे पर्सनली जानता हूं। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि उनसे उसका भी गिल्ट मालूम होता है।

दारुलशफा में गल्ले की दुकान पर दंगा

**७---श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफा 'ए' ब्लाक, लखनऊ में शुरू अगस्त, १९६४ में राशन की दूकान को भूख पीड़ितों द्वारा लूटने का प्रयास किया गया ? क्या इसका पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

घटना के तथ्यों को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि दूकान पर भूख पीड़ित व्यक्ति आये और उन्होंने दूकान लूटने का प्रयास किया। वस्तुस्थिति इस प्रकार थी :

दारुलशफा के पीछे बेलदारी लेन में श्री शिवशंकर नामक व्यक्ति की एक सस्ते गल्ले की दूकान थी। कुछ शिकायतों के कारण इस दूकानदार को हटा दिया गया और इस स्थान पर उपभोक्ता सहकारी भंडार को दूकान चलाने का भार दिया गया। इस भंडार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये दो दूकानें कर दीं। एक दूकान बेलदारी लेन में जहां पहले स्थित थी रही और दूसरी दूकान दारुलशफा 'ए' ब्लाक में खोली गई। अगस्त १, १९६४, की सायंकाल को कुछ कार्ड होल्डर्स जिन्हें बेलदारी लेन स्थित उपभोक्ता सहकारी भंडार से गल्ला मिलता था वहां गल्ला न रहने के कारण, कुछ लोगों के उकसाने पर, जिसमें पुराने दूकानदार श्री शिव शंकर का विशेष हाथ कहा जाता है, दारुलशफा 'ए' ब्लाक स्थित दुकान पर आये और यहां से गल्ला लेना चाहा। उनको यहां से गल्ला देने से इन्कार किया गया तो भीड़ में से कुछ लोगों को उत्तेजना पर ढेले चलाये गये। ढेले चलाने वालों में एक व्यक्ति शराब के नशे में भी पाया गया। पांच व्यक्तियों के विरुद्ध दफा १४७/१४९/३२३ भारतीय दंड विधान में मुकदमा कायम हो चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय---

माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस दिन लूट की घटना बतायी जाती है उसके कितने दिन पहले तक वहां राशन नहीं दिया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

राशन तो बराबर दिया जाता रहा। मगर वहां पहले दो दूकानें थीं। एम० एल० एज० ने कहा कि हमारे लिये 'ए' ब्लाक में ही इन्तजाम कर दिया जाय, तो उनके लिये वहां कर दिया गया, इसमें जो दूसरे आदमी की, शिवशंकर की दूकान छीन ली गई और दोनों दूकानें सहकारी उपभोक्ता संघ को दे दी गईं, अब किस तारीख को कितना गल्ला वहां था, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय---

माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो लोग गल्ला लेने आये वह कितने लोग थे और क्या उनमें औरतें भी थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अब उसने तो भीड़ लिखा है, भीड़ में सभी हो सकते हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस 'ए' ब्लाक की सस्ते गल्ले की दुकान पर कितने विधायक अपने राशन कार्ड पर सस्ता गल्ला लेते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह विधायकों की इच्छा के अनुसार वहां पर खोली गई। अब कितने ले रहे हैं, कितने नहीं, डिटेल के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ब्रह्मदत्त माथुर---

माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस वक्त यह भीड़ जो कही जा रही है, पन्द्रह, बीस, पच्चीस आदमियों की, जिसमें औरतें भी थीं, दारुलशफा दूकान के पास आयी, उस वक्त दूकानदार दूकान पर नहीं था, ताले बन्द थे, जिस समय दूकान पर इन लोगों ने धावा बोला, दूकान के ताले खुले नहीं थे, उस वक्त दूसरे रास्ते से एक औरत आयी और उसने इन सबको लीड किया और ढेले मारे, जब लोगों ने मेन गेट बन्द करना चाहा तो उन लोगों ने ईंट और ढेले से काफी नुकसान पहुंचाया और पुलिस को इत्तिला देने के आधे घंटे बाद तक वहां दंगा-फसाद होता रहा, पुलिस आधे घंटे तक नहीं आयी, इसका क्या कारण है, क्या इसकी जांच मंत्री जी ने करवायी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

डी० एम० ने तो इतनी ही रिपोर्ट दी है कि शिवशंकर नाम का आदमी जिसकी दूकान ले ली गई थी उसी ने लोगों को उभाड़ कर यह सब करवाया और जिन-जिन का चालान किया है वह पकड़े गये हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सयाना तथा सैदपुर क्षेत्रों में खाद्य समस्या

*१--श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र, सयाना, जिला बुलन्दशहर, तथा विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जिला गाजीपुर, में खाद्य समस्या अत्यन्त जटिल हो गयी है और जनता को विशेषकर मजदूरों, भूमिहीन लोगों तथा छोटे किसानों को अनाज मिलना दूभर हो गया है और भुखमरी की अवस्था उत्पन्न हो गयी है ?

*२--श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दोनों क्षेत्रों की खाद्य समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ? यदि कुछ नहीं किया है, तो क्या तुरन्त करेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, ४ अगस्त को यह प्रश्न भेजा गया था सरकार को और आज १७ तारीख है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर तीन दिन के अन्दर आ जाता है। आज खाद्य समस्या इतनी विषम परिस्थिति में इस प्रदेश में चल रही है कि मंत्री जी को हर जिले का और हर भाग का पता रखना चाहिये कि क्या दशा कहां की है ? तो अब मंत्री जी कितने साल और लगाना चाहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह शीघ्र ही आ जाना चाहिये।

[१७ अगस्त, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्टेट ट्रेडिंग

*१--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य मंत्री का ध्यान केन्द्रीय सरकार के मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमचारी, के वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में प्रादेशिक सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या नीति अपनाने का विचार कर रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

केन्द्रीय वित्त मंत्री के किस विशेष वक्तव्य की ओर माननीय सदस्य का संकेत है, यह स्पष्ट नहीं है। तथापि अखिल भारतीय स्तर पर स्टेट ट्रेडिंग की नीति अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और जिसकी पूर्ण रूप-रेखा राज्य सरकार को ज्ञात नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो योजना बनाई जायेगी उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में स्टेट ट्रेडिंग के बारे में जो चर्चा हुई थी उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो सरकार के पास स्टेट ट्रेडिंग के बारे में रूप-रेखा आयी हैं, वह क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने यह मौका स्टेट ट्रेडिंग के अनुकूल नहीं समझा। सन् ५९ में जिस वक्त स्टेट ट्रेडिंग की बात हुई थी उस वक्त एक अल्टीमेट पेटर्न रखा गया था तथा

एक इन्टेरिम स्कीम रखी गयी थी जिसके मातहत लाइसेंसिंग आफ फूड ग्रेन डीलर्स, उनके स्टाक्स पर प्रतिबन्ध तथा बफर स्टाक बनाने की बात थी। अल्टीमेट पेटर्न में यह था कि कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज प्रोड्यूस को स्टोर करें और वही मार्केटिंग करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो भी योजना बनायी गयी थी, उसके मातहत, इस फूड क्राइसिस को देखते हुये और राईजिंग प्राइसेस को देखते हुये, प्रान्तीय सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इन्टेरिम स्कीम पूरी तरह से कार्यान्वित की जा रही है। डीलर्स का लाइसेंसिंग हो चुका है। १० क्विन्टल से ऊपर का ट्रेड करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेना पड़ता है और रिटेलर्स को भी। बफर स्टाक्स भी बनाये गये हैं। जहां तक इम्पोर्टेड व्हीट का संबंध है, भारत सरकार ने बफर स्टाक बनाने से इन्कार कर दिया था।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

दिल्ली की जिस मीटिंग में माननीय खाद्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी गये थे, उसमें दोनों ने अपने यह विचार व्यक्त किये थे कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग नहीं करेगी। यदि ऐसी बात है, तो सरकार का अब क्या विचार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसी सदन में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि माननीया मुख्य मंत्री जी और मैं सन् ५९ में बताई गई स्टेट ट्रेडिंग के फेवर में हैं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

क्या सरकार बतायेगी कि जब नयी फसल बाजार में आने वाली है तो सरकार को स्टेट ट्रेडिंग करने में क्या दिक्कत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस वक्त तो स्टेट ट्रेडिंग के माने होंगे प्रोड्यूसर्स के सारे माल को खरीद लेना लेकिन आज खरीदने की तो कोई बात है नहीं, बांटने की है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

माननीय मंत्री जी ने नोकान्फीडेन्स मोशन पर भाषण करते समय यह कहा था कि अप्रेल-मई से गल्ले की कमी शुरू हुई। लेकिन केन्द्रीय मंत्री ने कान्फ्रेन्स में यह कहा था कि स्टेट बफर स्टाक बनाये लेकिन प्रान्तीय सरकार ने नहीं बनाया, गल्ला फ्लोर मिलों को दे डाला। उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं इस बात को खुलासा तौर पर कह चुका हूं कि हमको कोर्स ग्रेन प्रोक्योर करने की इजाजत नहीं दी, चने के लिये भी नहीं दी। जहां तक गेहूं का सवाल है, वह इस साल इतना कम पैदा हुआ था कि अगर उसको प्रोक्योर किया जाता तो बाजार में महंगाई और बढ़ जाती और भुखमरी की हालत हो जाती, इसलिये वह कदम मुनासिब नहीं समझा गया।

गोरखपुर क्षेत्र में गल्ले की सप्लाई

*२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के फरेंदा Issue godown में ११ जून, १९६४ ई० को कुल कितना गल्ला चावल, गेहूं आदि था ? क्या खाद्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त गोडाउन से कुल कितनी राशन की दूकानें लगी हुई हैं तथा उनका माहवारी क्या इंडेंट है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जिला गोरखपुर के फरेन्दा ईश्यू गोडाउन में ११-६-६४ को कुल १६२.६०० क्विंटल गेंहूं तथा ३९०.१४.६०० क्विंटल चावल था। उपरोक्त ईश्यू गोडाउन से कुल ९५ राशन की दूकानें लगी हुई हैं तथा उनका मासिक इंडेंट ५,६०० क्विंटल गेहूं तथा १,४०० क्विंटल चावल है।

*३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर के आर० एफ० सी० जोन में २८ जून, १९६४ को कुल कितना राशन का गल्ला था तथा जिले का क्या इंडेंट है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

गोरखपुर आर० एफ० सी० जोन में २०-६-६४ ई० को कुल १,०९,८५६ क्विंटल गेंहूं तथा १,९३,७९२ क्विंटल चावल था। जिले का इंडेंट ४०,००० क्विंटल गेंहूं तथा १०,००० क्विंटल चावल प्रति मास है।

श्री कमलासिंह यादव--

खाद्य स्थिति खराब होने की वजह से आज आम जनता को गल्ले की सप्लाई कम मात्रा में हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोर्स ग्रेन्स सप्लाई करने की कोई व्यवस्था करेंगे जिससे सब लोगों को ठिकाने से गल्ला मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमने पहले ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने मांग रखी थी कि हमें माइलों व दूसरे कोर्स ग्रेन्स दिये जायं, तो उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक दिया नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि फरेंदा इश्यू गोदाम से जो ९५ राशन दूकानें लगी हुई हैं, उनको कुल ५,६०० क्विंटल गेंहूं और १,४०० क्विंटल चावल सप्लाई किये गये जो बहुत कम है तथा इसको देखते हुये कि आज बहुत-सी राशन की दूकानें बिना गल्ले के ही खाली पड़ी हैं, बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको गल्ला देने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ज्यों-ज्यों गल्ला आ रहा है कलकत्ता से, बम्बई से या अन्य पोर्ट्स से, वह गोरखपुर भी जा रहा है और मेरा खयाल है कि अब काफी मात्रा में उसे गल्ला मिल जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि मैं कल ही गोरखपुर की फूड ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में गया था और वह वहां मालूम हुआ कि गोरखपुर जिले की ४० फीसदी आबादी जो लैंडलेस लेबरर की है और जिनके पास एक बिस्वा भी खेत नहीं है उनके लिये उस जिले को गल्ले का कोई कोटा नहीं दिया गया है, जिससे गल्ले की सप्लाई की पोजीशन

सन्तोषजनक नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी पूरे पापुलेशन की बेसिस पर कोटा देकर नान-एग्री-कल्चरिस्ट्स को भी गल्ला वितरण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जहां तक पूरे पापुलेशन का संबंध है, इसके लिये तो टोटल राशनिंग करने की आवश्यकता होगी। जहां तक लैंडलेस लेबरर की बात है उनके लिये गल्ला देने की व्यवस्था की गयी है और हर कमिश्नरी का अलग-अलग कोटा निर्धारित कर दिया गया है, और जितना सामान हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार हर जिले में दिया जायगा और जो पुअरर सेक्शन है उसको सबसे पहिले प्राथमिकता मिलेगी।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---

पूर्वी जिलों की हालत को देखते हुये क्या मंत्री जी पूर्वी और पच्छिमी जिलों में कुछ भेद रखेंगे क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पश्चिमी जिलों के लिये हमने करीब १,५०० टन मासिक रखा है जबकि गोरखपुर में साढ़े आठ हजार टन रखा है।

वाराणसी क्षेत्र में चावल व गेहूं के सरकारी विक्रय मूल्य में वृद्धि

*४---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर जो चावल, गेंहूं दिया जा रहा है उसका दाम क्रमशः ६ रुपये क्विंटल तथा २ रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या ३ रुपये पर क्विंटल २० जून, १९६४ को बढ़ाया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जी हां।

चावल के सरकारी विक्रय मूल्य में लगभग ६ रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि चावल की खरीदारी के दाम तथा दूसरे खर्चों में बढ़ती के कारण विगत दिसम्बर मास में की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक गल्ले की मांग होने के कारण बहुत अधिक संख्या में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोलनी पड़ीं और उन दूकानों तक गल्ला पहुंचाने के लिये अतिरिक्त यातायात व्यय को पूरा करने के निमित्त गेंहूं के भाव में २ रु० १७ पैसे प्रति क्विन्टल की वृद्धि विगत फरवरी मास से की गई है।

चावल के क्रय मूल्य में अतिरिक्त वृद्धि हो जाने के कारण चावल के सरकारी थोक विक्रय भाव में २० जून, १९६४ से लगभग ३ रु० प्रति क्विन्टल की पुनः वृद्धि की गई।

श्री ऊदल---

यह २ रुपया १७ पैसे की वृद्धि गेहूं में और करीब ४ रुपया प्रति क्विन्टल की चावल में की गई है वह क्यों की गई है, इससे पहले भी सरकार हर जगह गल्ला पहुंचाती थी और यातायात का खर्च सरकार बर्दाश्त करती थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

चावल की खरीदारी की कीमत में भी बढ़ोत्तरी हुई है और गेहूं का यह हुआ कि वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा और आवागमन का कुछ खर्च अधिक बढ़ गया इसलिये यह बढ़ोत्तरी करनी पड़ी।

श्री ऊदल—

राशन की कमी भी की गई है, मात्रा घटाई गई है तो क्या सरकार पुनः इस पर विचार करेगी कि जो यातायात की वजह से भाव बढ़ाये गये हैं उसे सरकार माफ करेगी और यह खर्च जैसे कि वह पहले उठाती थी वैसे ही आगे भी उठायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी ऐसा विचार नहीं है ।

वाराणसी जिले में सड़कों के लिये अनुदान

*५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगरमहापालिका एवं वाराणसी जिला परिषद् को पक्की सड़कों एवं कच्ची सड़कों को सन् १९५६ से लेकर अब तक मेंटेनेंस ग्रांट फी मील किस अनुपात के हिसाब से कितना रुपया दिया गया ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला परिषद्, वाराणसी के पास कितनी कच्ची, पक्की सड़कें हैं और नगर महापालिका के पास कितनी मील सड़कें हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

पोस्ट-वार रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत जिला परिषदों को हस्तान्तरित कच्ची सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कों के लिये कोई मेन्टेनेन्स ग्रान्ट फी मील के हिसाब से स्थानीय निकायों को नहीं दी जाती । पोस्ट-वार रिकन्सट्रक्सन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्रान्ट २०० रु० प्रति मील की दर से दी जाती है । जिला परिषद्, वाराणसी को इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५५–५६ से १९६२–६३ तक हर वर्ष १८,८०० रु० और वर्ष १९६३–६४ में १८,४१२ रु० दिया गया । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल १,६८,८१२ रु० दिया गया है । इसके अतिरिक्त उ० प्र० रोड फण्ड से नगर महापालिका, वाराणसी एवं जिला परिषद्, वाराणसी को जो अनुदान उपर्युक्त वर्षों में दिये गये हैं, उसकी तालिका संलग्न है । प्राप्त सूचना के अनुसार जिला परिषद्, वाराणसी के पास ४७९–४५ मील कच्ची सड़क तथा २१–७१ मील पक्की सड़क है और नगरमहापालिका वाराणसी के पास १८–५१ मील कच्ची तथा ९८–८५ मील पक्की सड़क है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४४ पर)

श्री ऊदल—

मंत्री जी उस तालिका को देखेंगे जिसमें रोड ग्रान्ट की शक्ल में प्रदेश के शहर और देहातों को रोड फंड से रुपया दिया जाता है, उसमें पता चलेगा कि १९५५–५६, १९५६–५७ में जिला परिषद् को एक पैसा नहीं दिया गया और नगरमहापालिका को १९५५–५६ में २,३०,६००, १९५६–५७ में २,७९,५०० रु०, १९५७–५८ में ३,९१,७२२ रु०, १९५८–५९ में ४,१७,६०० रु०, १९५९–६० में ७,५२,७०० रु० और इसी तरह से आगे के सालों में ६ लाख, २ लाख, ३ लाख के करीब दिया गया है । तो क्या मंत्री जी उस फाइल को देखेंगे जिसमें भूतपूर्व मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने आदेश किया था कि जिला परिषदों की सड़कों और नगरपालिका की सड़कों को बराबर रोड ग्रान्ट दिया जाय । यदि ऐसा था, तो सरकार ने किस इरादे से इसको बदला और दोनों में भेद कर दिया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

१९५७–५८ के पहले केवल रोड ग्रान्ट में से नगरपालिका को ही दिया जाता था, जिला परिषद् को नहीं । १९५७–५८ में यह फैसला किया गया कि जिला परिषदों को भी रोड ग्रान्ट

में से दिया जाय। तो नगरपालिकाओं को जो अधिक दिया गया उसका कारण यह है कि १९३५ का जो मोटर रोड्स ऐक्ट बना था उसके पहले कुछ नगरपालिकाओं ने अपनी ओर से टैक्स लगा रखा था वह सरकार को आने लगा और नगरपालिकाओं को उस धन का नुकसान हुआ इसलिये उनको टैक्स का हिस्सा दिया जाता था। बाद में १९५७-५८ के पहले जिला परिषद् को नहीं दिया जाता था और चूंकि जिला परिषदों के पास पक्की सड़कें भी कम हैं, इसलिये उनका हिस्सा भी कम पड़ता है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने १९५७-५८ में आदेश दिया था कि अनुदान बराबर दिया जाय, मील के हिसाब से दिया जाय। तो उस आदेश को सरकार ने किस आधार पर बदल दिया ? या वह फैसला अब भी कायम है और सरकार ने अपनी मरजी से ऐसा कर दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिस अनुदान की तरफ माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं वह इस तरह से दिया जाता है कि हर नगरपालिका की जनसंख्या और सड़कों की लम्बाई से प्रोरेटा निकालते हैं।

श्री अध्यक्ष--

वे कह रहे हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इतना किया तो आपने क्यों कम किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

भूतपूर्व मुख्य मंत्री की तो मुझे कोई सूचना नहीं है। जनसंख्या के आधार पर सड़कों का प्रो-राटा निकालते हैं और उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में पक्की सड़कें जिला परिषदों के पास हैं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री ऊदल के खड़े होने पर) आप फिर एक सवाल पूछ लीजियेगा। बनारस जिले ने तो काफी फायदा उठाया है।

*६-७--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

[हटा दिये गये।]

सहारनपुर मास्टर प्लान

*८--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में मास्टर प्लान पूरी तरह लागू हो चुका है या नहीं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी नहीं। सहारनपुर नगर में मास्टर प्लान अभी लागू नहीं हुआ है।

*९--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मास्टर प्लान के तहत् तहसील सहारनपुर नगर में कितने लोगों को अपना व्यापार बन्द करने, जगह बदलने तथा मकान गिराने के आदेश प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा दिये गये, वे कब-कब दिये गये ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

प्रश्न नहीं उठता है ।

*१०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार ऊपर कहे केसेज की एक सूची सदन में प्रस्तुत करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

प्रश्न नहीं उठता है ।

*११-१३--श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)--

[५ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जेलों में अस्थायी रिक्त पद

*१४--श्री विजयसिंह--

क्या कारागार मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में कन्फरमेशन के लिये कितने जलर्स, डिप्टी जेलर्स और असिस्टेंट जेलर्स के स्थान रिक्त हैं और कब से रिक्त हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

स्थायी रिक्त पदों की संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४५ पर)

*१५--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जेलर्स, असिस्टेंट जेलर्स तथा डिप्टी जेलर्स का रिकार्ड अच्छा है उनको अभी तक क्यों कन्फ़र्म नहीं किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

लोक-सेवा-आयोग ने जेलरों के स्थायीकरण क संबंध में कुछ विचार प्रगट किये हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । जिन उप-जेलरों तथा सहायक जेलरों को स्थायीकरण के लिये उचित पाया गया उनका स्थायीकरण कर दिया गया है और किया भी जा रहा है ।

जेल कर्मचारियों को दूध देने वाले जानवर रखने की अनुमति

*१६--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेंगी कि जब सरकारी जेल मैनुअल के अनुसार सुपरिंटेन्डेंट की आज्ञा से सरकारी अधिकारी दूध वाले जानवर रख सकते हैं तो आई० जी० जेल ने हाल में उन जानवरों को न रखने का आदेश क्यों निकाला है ? क्या सरकार आई० जी० जेल्स के उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जेल मैनुअल के पैराग्राफ १०९८ में १९६१ में ही संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार जेल अधीक्षक के बजाय अब कारागार महानिरीक्षक की आज्ञा से जेल कर्मचारी दूध देने वाले जानवर रख सकते हैं । कारागार महानिरीक्षक द्वारा जेलों को भेजे गये परिपत्र की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*१७--श्री ऊदल--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८-२०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पूर्वी जिलों में सीमेन्ट का अभाव

*२२--श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में गत २ मास से सीमेंट के अभाव से हाहाकार मचा है और साधारण मरम्मत के कार्यों के लिये १-२ बोरे सीमेंट भी नहीं मिलती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है । हां, सीमेन्ट की कमी अवश्य है ।

*२३--श्री झारखण्डेराय--

इस स्थिति के संभालने के लिये सरकार ने क्या किया है और उसका क्या फल हुआ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

सीमेंट की कमी दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पत्र-व्यवहार किया गया परन्तु उन्होंने राज्य के कोटे में वृद्धि करने में असमर्थता प्रकट की है ।

बिरहाना, लखनऊ में सीवर डालने में दुर्घटना

*२४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका, लखनऊ के मुहल्ला बिरहाना में एक सीवर लाइन डालते समय जो दुर्घटना लगभग एक माह पूर्व घटित हुई थी उसमें कौन-कौन व्यक्ति हताहत हुये और पास-पड़ोस के किन-किन व्यक्तियों के मकानों को नुकसान पहुंचा और उन लोगों की क्षतिपूर्ति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मुहल्ला बिरहाना, लखनऊ में सीवर डालते समय जो दुर्घटना हुई थी उसमें २ आदमी दब गए थे जिसमें से एक मजदूर की मृत्यु हो गई और दूसरे मजदूर को मामूली चोट लगी थी। मृतक मजदूर के पिता को ठेकेदार ने कम्पेन्सेशन दे दिया है । पास-पड़ोस के किसी मकान को क्षति नहीं पहुंची ।

*२५--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त दुर्घटना होने का क्या कारण था और इसका उत्तरदायित्व किस पर था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उक्त दुर्घटना का कारण खंती में टूटी हुई नाली से पानी का पहुंचना तथा ठीक प्रकार से टिम्बरिंग न करना था । इस विषय में महापालिका द्वारा जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाय जायेंगे, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी ।

*२६--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--

क्या सरकार उक्त सीवर लाइन के डिजाइन एवं प्लान्स की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उक्त सीवर लाइन संबंधी डिजाइन तथा प्लान की एक प्रति अध्यक्ष की मेज पर रख दी गई है ।

कृषि सम्बन्धी स्टेटिस्टिकल असिस्टेन्ट के पदों के लिये विज्ञापन

*२७--कुमारी श्रद्धा देवी (जिला मेरठ)--

क्या सरकार कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, १९४८ से दिनांक १४ जुलाई, १९६४ की अवधि में Statistical Asstt. (Group I. S. A. S. Cadre) की जगहों के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये प्रत्येक विज्ञापन में वर्णित आवश्यक योग्यता एवं वरीयान योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४७-२४९ पर)

*२८--कुमारी श्रद्धादेवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त प्रत्येक विज्ञापन में विज्ञापित योग्यताओं में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो एक ही विभाग के उसी पद के लिये जिसकी ड्यूटी भी वही है यह अन्तर रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह--

मुख्यतः इन योग्यताओं में कोई विशेष अन्तर नहीं है । जो थोड़ा बहुत अन्तर है वह इस कारण है कि ये पद विभिन्न सांख्यिकीय स्कीमों में स्वीकृत हैं और इन स्कीमों में एक ही प्रकार का सांख्यिकीय कार्य नहीं किया जाता है । किसी स्टैटिस्टिरल असिस्टेंट को रिसर्च स्टेशनों पर किये जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के डिजाइन व एनालिसिस का कार्य करना पड़ता है, किसी को फसलों की उपज एवं क्षेत्रफल के अनुमानार्थ लार्ज स्केल सवज के आंकड़ों का विश्लेषण तथा क्षेत्रीय कार्य का निरीक्षण करना होता है, इत्यादि । इन विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय कार्यों को ध्यान में रखते हुये अन्तर किया गया है, जैसा कि संलग्न तालिका से स्पष्ट है ।

*२९--कुमारी श्रद्धा देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब उपरोक्त विभाग में १२०-३०० रु० के वेतन क्रम में Computors के पद के लिये B.Sc. with Statistics की योग्यता पिछले दस वर्षों से निर्धारित है तो इसी विभाग के इस पद से उच्चतर Field Investigator Statistical Assistant Statistician, Statistical Officer के पदों के लिये सिर्फ B.Sc with Maths. की योग्यता निर्धारित किस कारण से की गई है ?

श्री चरणसिंह--

न तो Computors के पद के लिये सिर्फ B.Sc. with Statistics योग्यता रही है और न ही उच्चतर पदों के लिये सिर्फ B.Sc. with Mathematics. Computor के पद के लिये न्यूनतम योग्यता Bachelor's degree with Mathematics या Mathematical Statistics या Statistics रही है । Field Investigator व Statistical Asistant

की न्यूनतम योग्यता Bachelor's degree with Mathematics या Statistics या Mathematical Statistics है। Statistician तथा Statistical Officer की न्यूनतम योन्यता Mathematical Statistics में कम से कम दो वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के साथ Science या Agricutlture में Bachelor's degree निर्धारित की गई है।

कृषि वर्कशाप, लखनऊ से गोसाईगंज क्षेत्र को हलों की सप्लाई

*३०--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास क्षेत्र गोसाईगंज, जिला लखनऊ के किसानों को कितने कल्टीवेटर हल राजकीय फैक्टरी ताल कटोरा, लखनऊ के बने दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह---

कृषि वर्कशाप, लखनऊ द्वारा सन् १९५६-५७ से आज तक जो हल और कल्टीवेटर विकास क्षेत्र अधिकारी, गोसाईगंज तथा सहायक कृषि निरीक्षक गोसाईगंज को दिये गये हैं उनका ब्योरा निम्नलिखित है :---

हल		संख्या	कल्टीवेटर		संख्या
१--गुजर हल	..	१	१--केयर टूल बार	..	७९३
२--प्रजा हल	..	२	२--लखनऊ कल्टीवेटर	..	१८
३--केयर हल	..	४२५			
		४२८			८११

*३१--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त दिये गये हल जमीन खोदने का कार्य ही नहीं करते हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या उनकी जांच करा कर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री चरणसिंह--

कल्टीवेटर और मिट्टी पलटने के हल ठीक काम कर रहे हैं। समायोजन में कुछ कठिनाई काश्तकारों को थी। समझाने पर उनकी कठिनाई दूर हो गई।

*३२--श्री उग्रसेन---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस समय करीब ३०० हल उक्त विकास स्टोर में पड़े हुये हैं जो कि बिलकुल बेकार हैं और उन्हें जनता नहीं पसन्द कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इन हलों को वापस करा कर जनता के लिये दूसरे उपयोगी हल दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--

स्टोर में ११२ केयर हल तथा १५० कल्टीवेटर है। उनमें कोई खराबी नहीं है। वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३---श्री कल्याणचन्द मोहिले--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३४-३५---श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद जिले में गल्ले का वितरण

*३६--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में गत जून तथा जुलाई के प्रथम पक्ष में जिला पूर्ति अधिकारी को ऐसी कितनी सूचनायें मिलीं कि सस्ते गल्ले की दूकानदारों ने निर्धारित कोटे से अधिक गल्ला जनता को बांट दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

गत जून तथा जुलाई के प्रथम पक्ष में इलाहाबाद के देहाती क्षेत्रों ७५ दूकानदारों ने चार क्विंटल प्रति दिन प्रति दूकान के निर्धारित कोटे से अधिक गल्ला वितरित किया।

*३७--श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या यह सच है कि उक्त काल में बहुत से दूकानदारों के कोटे निलम्बित किये गये और कुछ समय बाद उन्हीं को फिर दे दिये गये और कुछ काल तक कोटा किसी के पास नहीं रहा जिससे कि जनता को बड़ी हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार जांच कराकर बतायेगी कि ऐसी दूकानें कितनी थीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

उक्त काल में केवल एक दूकान "रामनगर सहकारी संघ" निलम्बित की गई और बाद में यह रद्द कर दी गई तथा उसके स्थान पर दूसरी दूकान सहकारी समिति रामनगर नियुक्त कर दी गई।

कृषि महाविद्यालय, कानपुर तथा कृषि महाविद्यालय, रुद्रपुर के एकीकरण पर विचार

*३८--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि महाविद्यालय, कानपुर तथा कृषि महाविद्यालय, पन्तनगर (रुद्रपुर) के एकीकरण पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--

इस विषय में कुछ विचार-विमर्श हो रहा है। कब तक क्या निर्णय होगा कहना अभी संभव नहीं है।

*३९--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमला सिंह यादव--

क्या यह सही है कि कृषि यूनिवर्सिटी, पन्तनगर (रुद्रपुर), महाविद्यालय कानपुर के स्नातकों को मान्यता नहीं देती और वैसे ही कृषि महाविद्यालय कानपुर, रूद्रपुर यूनिवर्सिटी के स्नातकों को मान्यता नहीं देती ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ? सरकार इस दिक्कत को दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं।

*४०--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

[४ थे गुरुवार के लिये प्रश्न १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कृषि निदेशालय के अस्थायी कर्मचारी तथा स्टैटिस्टीशियन्स के पदों के लिये क्वालीफिकेशन्स

*४१---कुमारी श्रद्धादेवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो १४ जुलाई, १९६४ को पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और स्थायी नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार उनके नाम व पदों की सूची रखते हुये बतायेगी कि क्यों ऐसा हुआ है ?

श्री चरणसिंह---

१४-७-६४ को कुल १८ ऐसे कर्मचारी थे जो स्थायी नहीं थे । इनके नाम व पदों की सूची संलग्न तालिका (क) में दी हुई है । इनके स्थायी न होने के कारण यह है कि जिन पदों पर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे अस्थायी योजनाओं के अन्तर्गत अस्थायी रूप से स्वीकृत हैं ?

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५० पर)

*४२---कुमारी श्रद्धा देवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त कार्यालय में Class IV कर्मचारियों एवं Ministerial Cadre के कर्मचारियों में अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के कर्मचारी हैं ?

श्री चरणसिंह---

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में ८ प्रतिशत हरिजन एवं २४ प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा Ministerial cadre में हरिजन कोई नहीं और पिछड़े वर्ग के ७ प्रतिशत कर्मचारी हैं ।

*४३---कुमारी श्रद्धादेवी---

क्या सरकार कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश के सांख्यकी शाखा में १ जनवरी, १९४८ से १४ जुलाई, १९६४ की अवधि में की Statistician जगहों के लिये लोक सेवा आयोग यू० पी० द्वारा किये गये प्रत्येक विज्ञापन में वर्णित आवश्यक योग्यताओं व वरीयान योग्यताओं का विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बतायेगी कि इसी विभाग के इसी पद के लिये विज्ञापनों में अन्तर में पाये जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---

विज्ञापित योग्यताओं का विवरण संलग्न तालिका (ख) में दिया है । विज्ञापनों में अन्तर पाये जाने के निम्नलिखित कारण हैं:---(१) सन् १९५० एवं इसके पहले अधिकांश विश्वविद्यालयों में केवल स्टैटिस्टिक्स नामक विषय पढ़ाया जाता था किन्तु इसके बाद अधिकांश विश्वविद्यालयों ने इस विषय का नाम बदल कर मैथेमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कर दिया। सन् १९५० तथा सन् १९५७ व १९६० की विज्ञापित न्यूनतम योग्यताओं में अन्तर का यही कारण है, (२) सन् १९६३ तथा इसके पूर्व विज्ञापित न्यूनतम योग्यताओं में अन्तर का मुख्य कारण यह है कि १९६३ की योग्यताएं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा की द्वितीय श्रेणी की नियमावली में दी गयी न्यूनतम अनिवार्य योग्यताओं के अनुसार थीं, जबकि उसके पूर्व की योग्यताएं, उक्त नियमावली के पूर्णतया: अनुसार नहीं थीं । अन्तर केवल यह था कि १९६३ में मैथेमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के साथ साइंस अथवा एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट ही इन पदों के लिये आवेदन कर सकता था जबकि उसके पहले स्टेटिस्टिक्स अथवा मैथेमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग या कोर्स के साथ कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता था ।

वरीयान योग्यताओं में अन्तर का कारण यह है कि ये पद विभिन्न स्कीमों के लिए, जिनमें विभिन्न प्रकार का सांख्यिकीय कार्य होता है, स्वीकृत किये गये हैं, अतः किन स्टेटिस्टीशियन्स को किस प्रकार के कार्य करने होंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी वरीयान योग्यताओं में आवश्यकतानुसार थोड़ा बहुत अन्तर रक्खा गया था ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५१-२५२ पर)

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री चन्द्रबलीसिंह---

[५वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले को सीमेण्ट

३---श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६४ की दूसरी तिमाही (2nd quarterly) के लिये जिला बुलन्दशहर को सीमेंट का कम कोटा क्यों दिया गया, जिससे कि जिला बुलन्दशहर में निर्माण-कार्यों को अधिक क्षति पहुंची ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सन् १९६४ की द्वितीय तिमाही में सार्वजनिक निर्माण तथा उद्योग धधों संबंधी कार्यों के लिये सीमेंट की अत्यधिक मांग होने के कारण प्रायः सभी जिलों के कोटे कम कर दिये गय थे । अतः बुलन्दशहर को भी सीमेंट का कम कोटा मिला ।

४---श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेम सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला मुजफ्फरनगर को सन् १९६४ की दूसरी तिमाही (2nd quarterly) के लिये बुलन्दशहर से कई गुना अधिक कोटा सीमेंट का दिया गया है, जबकि बुलन्दशहर मुजफ्फरनगर से बड़ा जिला है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सन् १९६४ की द्वितीय तिमाही के लिये मुजफ्फनगर को बुलन्दशहर की अपेक्षा कुछ अधिक सीमेंट का कोटा मिला । मुजफ्फरनगर को अधिक कोटा दिये जाने का कारण यह है कि वहां लघु सिंचाई से सम्बन्धित कार्यों के लिये अधिक सीमेंट की आवश्यकता थी ।

बन्दरों पर जुल्म

५---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग उत्तर प्रदेश में बन्दरों को विदेशों में भेजने के लिये पकड़ते हैं या पकड़वाते हैं क्या वे सरकार की इजाजत से पकड़े जाते हैं ?

श्री चरणसिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

६---श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह---

क्या सरकार को मालूम है कि बन्दरों को पकड़े जाने के पश्चात् उनको पकड़ने वाले उनकी देखभाल भली प्रकार से नहीं करते हैं और उनको भूखा भी मारते हैं ? क्या उनको इस जुल्म से बचाने के लिये एनीमल वेलफेयर बोर्ड ने राज्य सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं ? यदि की हैं, तो वे क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हिस्ट्रीशीटरों की प्रोबेशन पर रिहाई

७--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी तथा श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६३ में अपनी सजा की अवधि पूरी करने से पूर्व ही प्रदेश की जेलों से रिहा किये जाने वाले कैदियों में से कितने हिस्ट्रीशीटर रह चुके थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इस प्रश्न के उत्तर देने के लिये सूचना एकत्र करने में जो श्रम और व्यय लगेगा वह इसकी उपयोगिता को देखते हुये कहीं अधिक होगा।

बुलन्दशहर जिले को आटा

८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी व फरवरी, सन् १९६४ में गेहूं और आटे का कोटा उन महीनों के लिये कौन-कौन सी तिथियों को प्राप्त हुआ और क्या वह आवश्यकतानुसार था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९६४ में गेहूं का एलाटमेंट दिनांक जनवरी ४ व १३, १९६४ को और आटे का जनवरी १, १९६४ को और फरवरी में गेहूं का फरवरी ३, १७, व २४ और आटे का जनवरी २३, १९६४ को प्राप्त हुआ। जो आवश्यकता से कुछ कम था।

वाराणसी जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

९--श्री उग्रसेन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी जिलों में पिछले ५ माह से किस जनपद में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से उसकी जन-संख्या के अनुसार सब से अधिक आफ-टेक रहा तथा वहां कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां। जिला वाराणसी में वहां कुल ४५४ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चल रही हैं।

सयाना क्षेत्र में सुनारों की बेकारी

१०--श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान क्षेत्र सयाना (जिला बुलन्दशहर) में गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर के पश्चात् कितने सुनार बेरोजगार हुए और उनको सरकार ने क्या-क्या सहायता दी ? यदि नहीं दी, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कुल ३६ स्वर्णकारों पर गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर का प्रभाव पड़ा है। उनमें से केवल ७ ने पुनर्वासन सम्बन्धी ऋण के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं। सहायता के लिये ऋण के वितरण की व्यवस्था की जा रही है।

११—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया सयाना, टाउन एरिया बुगरासी, ग्राम खानपुर, ग्राम बैरा फिरोजपुर, ग्राम खादमोहन नगर, ग्राम सठला, ग्राम चितसौना, ग्राम दौलतपुर, ग्राम अमरपुर, ग्राम घुगरावली (जिला बुलन्दशहर) में कितने-कितने सुनार गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर के पश्चात् बेरोजगार हुये और उनकी उन्नति के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सयाना टाउन एरिया में २०, बुगरासी टाउन एरिया में ८, ग्राम बैरा फिरोजपुर में १, ग्राम खादमोहन नगर में १, और ग्राम सठला में १ स्वर्णकार गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर से प्रभावित हुये हैं। पुनर्वास सम्बन्धी सहायता के लिये उचित आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव (विधान सभा)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित और उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त १९६४ के उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५३–२७१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह जो पढ़ा गया है वह एजेन्डा में तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

कौंसिल से जो विधेयक आते हैं वे तो सचिव रख देते हैं।

विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे १९६२–६३ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६४†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६४ को, वित्त लेखे १९६२–६३ तथा विनियोग लेखे १९६२–६३ सहित, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामचरण शाह (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, ये दोनों अंग्रेजी में हैं और सदन के बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि इसकी हिन्दी की प्रतियां वितरित करा दी जायं तो हम लोग इन्हें समझ सकते हैं। भविष्य के लिये भी हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप आदेश दे दें।

श्री जयराम वर्मा—

यह रिपोर्ट अंग्रेजी में ही आती है और इसका अनुवाद करवाने में देर लग जाती है। अतः अगर हम इनके अनुवाद के लिये रुकते तो इनके सदन के समक्ष रखने में देर लग जाती। इसलिये अंग्रेजी में ही रखी गयी। अनुवाद करा कर इनकी प्रतियां फिर से सदन के सामने रख दी जायेंगी।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

मैं सुनूंगा आप को।

मैं आप के सामने अनुच्छेद १५१ पढ़ दूं। उस के पश्चात् फिर हम निश्चय करेंगे वह इस प्रकार है:

"लेखा परीक्षा-प्रतिवेदन---भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगा।"

राज्यपाल के पास यह आता है और राज्यपाल उन्हें भेज देते हैं। अब एक मर्तबा यह मेज पर रख दी गयी है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है इसका अनुवाद कर के दे।

श्री जयराम वर्मा---

इसका अनुवाद कर दिया जायगा।

श्री उग्रसेन---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले यह अंग्रेजी में रख दी गयी है और उसके बाद इसके अनुवाद की व्यवस्था हो जायगी। आपने संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) को पढ़ा। मेरा कहना है कि भाषा विधेयक, १६५० में पास हुआ है और इस सदन तथा इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आडिटर जनरल जो हैं उन्होंने यह रपट अंग्रेजी में गवर्नर के सामने क्यों पेश की ?

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आपने संविधान का अनुच्छेद १५१ (२) पढ़ा। उसमें यह है कि जिस समय यह रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट हो जायगी उसके बाद जब विधान सभा शुरू होगी तो उसके सामने यह आयेगी। लेकिन २७ जुलाई से असेम्बली शुरू हुई। तभी यह आडिट रिपोर्ट क्यों सरकार के पास नहीं आई ? पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में इस बात की चर्चा हुई कि इस रिपोर्ट को दे दिया जाय लेकिन नहीं दी गयी। इसका कारण था कि अविश्वास का प्रस्ताव पेश था और यह रिपोर्ट मेम्बरों के हाथों में न जाय, इसलिये जानबूझ कर सरकार ने देरी की।

दूसरे यह बतलाया जाय कि कब यह गवर्नर को प्रस्तुत की गई और कब उनके यहां से लौटी और आज तक यह सदन के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

दो विरोधात्मक बातें पेश की गयी हैं। उग्रसेन जी का कहना है कि जब यह राज्यपाल के यहां से आई तो फौरन क्यों नहीं इसका अनुवाद हिन्दी में किया गया और माननीय नेकराम जी का कहना है कि फौरन् क्यों नहीं यह सदन के सामने रख दी गयी ? मेरा कहना यह है कि यह आडिटर जनरल की रिपोर्ट है, एकाउन्टेन्ट जनरल की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं। आडिटर जनरल केन्द्र से सम्बन्धित हैं। वहां भाषा अंग्रेजी है जिसकी वजह से उन पर आपत्ति नहीं हो सकती। दूसरी आपत्ति जो नेकराम शर्मा जी की है उसके बारे में वित्त मंत्री जी बतलायेंगे।

श्री जयराम वर्मा---

निश्चित तिथि तो नहीं मालूम है कि कब यह गवर्नर के यहां से आई लेकिन यह कह सकता हूं कि रिपोर्ट आने के बाद जल्दी से जल्दी इस सदन के सामने लाने के लिये ही ऐसा करना पड़ा कि बगैर हिन्दी में अनुवाद कराये हुए इसे हम अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे हैं।

*श्री नेकराम शर्मा---

मेरा कहना यह है कि गवर्नर के यहां से आपके दफ्तर में यह रिपोर्ट कब आई? मेरा कहना है कि चूंकि अविश्वास का प्रस्ताव पेश था इसलिये मेम्बरों को जानबूझ कर यह रिपोर्ट नहीं दी गयी। २१ दिन असेम्बली चलते हुए हो गये, लेकिन सरकार ने यह रिपोर्ट पेश नहीं की। आप सरकार से कम से कम यह कह दें कि उसने गलत कार्य किया और आगे ऐसी गलती वह न करे।

श्री अध्यक्ष---

यह १३ अगस्त को हमारे यहां आई और आज हमने सबसे पहले इसे सदन में रख दिया है।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, निवेदन यह है कि राज्यपाल जी के यहां इस रिपोर्ट के जाने का जिक्र किया गया है और मुख्य मन्त्री जी ने इस को प्रस्तुत किया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि महीना सवा महीना पहले यह वित्त विभाग को प्राप्त हो गई थी। राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट अंग्रेजी में भेजी जाय, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महीने सवा महीने में इसका हिन्दी अनुवाद हो सकता था। इसमें कोई असुविधा नहीं होती। किस तिथि को यह वित्त विभाग में आई और कब राज्यपाल महोदय को भेजी गयी। जब आप इसको जान लेंगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सरकार ने गलती की।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि अब सरकार सदन के मत को जान गई होगी और आइन्दा गलती नहीं करेगी।

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, हमने तो इस बात की कोशिश की कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सदन में पेश हो जाय।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं माननीय उग्रसेन जी की राय से मुत्तफिक हूं कि रिपोर्ट अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिये, हिन्दी में होनी चाहिये। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि जब वह अंग्रेजी का हवाला देते हैं तो वह ठीक नहीं है और हमें उससे दुख होता है।

*श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन किताबों को सदन की मेज पर रखने का मकसद क्या है? अगर यह है कि लोग जान जायं कि हिसाब-किताब कैसा है तो इसको अंग्रेजी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली सिंह]

नहीं होना चाहिये था। हम लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते कौए की टांग की तरह से सारी चीज देखती पड़ रही है। जब तक इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हो जाता तब तक इसको बंटवाने की क्या जरूरत थी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबली जी देखिये अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि यह जल्दी क्यों नहीं पेश की गई। इसलिये जो अंग्रेजी जानते हैं उनके फायदे के लिये दी गई है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

इसका मतलब यह है कि सदन के सदस्यों के साथ दो तरह का व्यवहार होता है। एक अंग्रेजीदां के लिये और दूसरी तरह का हम लोगों के लिये।

श्री अध्यक्ष—

जो बात उन्होंने कही वह पहले भी उठाई गई थी। इसलिये कहा गया था कि हिन्दी में अनुवाद हो जाना चाहिये था और हम आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार ध्यान रखेगी और हिन्दी में अनुवाद रखेगी।

गाजीपुर से धरम्मपुर व सैदपुर वाया चौचकपुर सड़क को पक्की करने के संबंध में तथा परमुठ के पास गांगी नदी पर पक्का पुल बनवाने के संबंध में याचिका

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रघुवीरराम, सदस्य विधान सभा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं—

"सेवा में,

सभापति याचिका समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

निवेदन यह है कि प्रार्थी गाजीपुर जिले के करन्डा क्षेत्र का रहने वाला है तथा इस याचिका के द्वारा मैं एक जनहित का प्रश्न याचिका समिति को इस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि जनता की दिक्कतें दूर होंगी।

(१) मैं चाहता हूं कि गाजीपुर से धरम्मपुर व सैदपुर वाया चौचकपुर की कच्ची सड़क सरकार द्वारा बनवाने की अविलम्ब व्यवस्था हो।

(२) परमुठ के पास गांगी नदी पर पक्का पुल बनवाया जाय।

श्रीमन्,

यह निवेदन इसलिये करना पड़ रहा है कि यह पूरा क्षेत्र गाजीपुर से धरम्मपुर तथा सदपुर तक तीन ओर से गंगा नदी तथा गांगी नदी से घिरा हुआ है। करन्डा नगर की तहसील गाजीपुर है तथा सरकारी हेड क्वार्टर भी गाजीपुर है। थाना भी इस क्षेत्र से बाहर नन्दगंज है। इस प्रकार यदि देखा जाय तो प्रशासनात्मक दृष्टि से भी उक्त सड़क तथा पुल का अविलम्ब बनना अति आवश्यक है। बरसात के ५-६ जून से नवम्बर तथा इस क्षेत्र का आवागमन बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पटेल आयोग ने पूर्वी उ० प्र० के पिछड़ेपन की एक खास बात "आवागमन के साधनों की कमी" भी बताया है। यदि उपरोक्त सड़क और पुल बन जाता है तो जमानिया-दिलदारनगर से

सैदपुर औड़िहार रेलवे लाइनों का संबंध जुड़ जायगा जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र की भलाई होगी बल्कि पूरे जिले का हित होगा।

इस सिलसिले में संबंधित अधिकारियों तथा असेम्बली में भी सवाल उठाया गया था लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, इस प्रकार कोई कानूनी उपचार भी उपलब्ध नहीं है इसलिये यह याचिका प्रस्तुत कर रहा हूं।

अतः प्रार्थना है कि इस याचिका को स्वीकार कर इस पूरे क्षेत्र की जनता की दिक्कतें दूर करने तथा उक्त सड़कों और पुल के निर्माण में सहयोग देने की कृपा समिति करेगी।

याचक,
त्रिभुवन सिंह,
प्रधान, गांव सभा मैनपुर, पो० मैनपुर,
जिला गाजीपुर।"

श्री अध्यक्ष—

यह याचिका समिति को भेजी जाती है।

उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को न पारित करने के संबंध में याचिका

रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय चन्द्रबली सिंह की याचिका विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

"सेवा में

विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

श्री चन्द्रबलीसिंह की विनम्र याचिका में यह निवेदन कि उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा में पारित केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों में संशोधन करने के प्रयोजन के लिये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाय। प्रदेश की ९० प्रतिशत जनता ऐसी है जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानती और केन्द्रीय अधिनियमों तथा १० फरवरी, १९५० से पूर्व बने उत्तर प्रदेश के अधिनियमों का अधिकृत पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सर्वसाधारण को उसे जानना कठिन और व्ययसाध्य हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय अधिनियम जिनमें संशोधन करने की क्षमता राज्य विधान मंडल को है तथा उत्तर प्रदेश के उन सब अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद किया जाय और उसे ही अधिकृत पाठ मानने की व्यवस्था की जाय। अतः नम्र निवेदन है कि इस विधेयक को विधान सभा द्वारा पारित न किया जाय।

विनीत,
(ह०) चन्द्रबलीसिंह,
सदस्य विधान सभा।
७-८-६४"

श्री अध्यक्ष—

यह भी याचिका समिति को भेजी जाती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष--

इसमें एक प्रश्न मेरे सामने जो महत्व का है वह यह है कि इस याचिका के याचक हैं माननीय चन्द्रबलीसिंह जी जो इस सदन के सदस्य हैं और जिनको यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने विचार, अपने वक्तव्य, अपने संकल्प और प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के समक्ष स्वयं रख सकें। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि जिन महानुभाव को सदन में संकल्पों, प्रस्तावों, प्रश्नों और अन्य अनेक विधियों द्वारा प्रश्न उपस्थित करने का अधिकार हो, वह क्या अपनी बात याचिका द्वारा उठा सकते हैं? यह प्रश्न मेरे समक्ष बड़ा गम्भीर है। नियमों को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें स्पष्ट रूप से कोई व्यवधान नहीं है कि जिसके आधार पर मैं इसको अस्वीकृत करता। इसलिये मैंने समझा कि इसको स्वीकार करके इस प्रश्न को याचिका समिति के सुपुर्द कर दूं कि वह इसके ऊपर भी विचार करे कि कोई माननीय सदस्य जिसको यह अधिकार प्राप्त है कि वे विविध तरीकों से अपने विचारों को इस आदरणीय सदन के समक्ष रख सकें तो क्या उनको अधिकार है कि वे याचिका प्रस्तुत कर सकें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

नियम २४१ (२) को आप देखें।

श्री अध्यक्ष--

इसके अनुसार वह स्वंय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, वह तो हो गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

आपको, श्रीमन्, यह मालूम है कि इस पर विचार होने जा रहा है तो आपने उसी विषय पर क्यों याचिका स्वीकार कर ली?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नियम नहीं पढ़ते तो मेरी मजबूरी है। अगर आप नियम पढ़ लेते तो यह सवाल नहीं करते।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मैं एक विशेषाधिकार के नोटिस की सूचना देता हूं। आज के नेशनल हेराल्ड में प्रथम पेज पर छपा है कि कुछ उनकी पार्टी के सदस्यों के बारे में कि उन्होंने विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से अधिक हमारी इस सरकार की आलोचना की। तो क्या जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वह संविधान के आर्टिकल १९४ (१) में जो फ्रीडम आफ स्पीच का अधिकार दिया गया है उसको इस तरह से कमेन्ट कर सकते हैं। इसलिये मैं आपके विरुद्ध विशेषाधिकार की व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप यह लिखकर दे दें तो मैं उसको स्टडी कर लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया जिले में छोटी गण्डक में एक नाव के डूब जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय कृष्णा राय जी का जो कामरोको प्रस्ताव आया है, मैंने उसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में तो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से वक्तव्य मांगूंगा।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---

श्रीमान् जी.....

श्री अध्यक्ष---

मैं वक्तव्य मांग रहा हूं। वह प्रस्ताव इस प्रकार है---

"दिनांक ११-८-६४ को सुबह आठ बजे जिला देवरिया, तहसील देवरिया के अन्तर्गत छठिगांव और माधोपुर के बीच छोटी गण्डक नदी में करीब ५० व्यक्तियों सहित जिसमें विद्यार्थी भी थे, एक नाव डूब गई। नांव डूबने से २१ व्यक्तियों की मृत्य हो गयी, जिसमें से कुल ९ आदमियों की लाशें मिल सकी हैं। इस घटना का मुख्य कारण सरौरा सस्ते गल्ले की दुकान तोड़कर बैकुण्ठपुर में मिलाया जाना है। सरौरा क्षेत्र के लोगों को दुकान टूटने के बाद गल्ला लेने के लिये बैकुण्ठपुर नदी पार करके जाना पड़ता है जबकि सरौरा के लिये कोई नदी नहीं पार करनी पड़ती थी। नदी के इस घाट का जो मल्लाह था वह जाति का अहीर और बिलकुल अनाड़ी था। इस घाट में कोई बड़ी नावें और कोई जाल भी नहीं थी, जिससे लोगों की लाशों को ही पाया जा सका।"

उसमें जो कारण दिये गये हैं उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इतने आदमी जो डूब गये हैं---यह प्रश्न माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

"यह घटना दिन के ८ बजे होती है और पुलिस अधिकारी दूसरे दिन शाम को पहुंचते हैं। इस घटना से वहां की जनता में सरकार एवं उनके अधिकारियों के प्रति असंतोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त है। उनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि सरकार ने इसीलिये सरौरा की सस्ते गल्ले की दुकान इसीलिए तोड़ी थी। यदि शीघ्र ही मौके की जांच कराकर उचित कार्यवाही न की गई तो स्थिति गंभीर रूप धारण कर सकती है।"

श्री कृष्णा---

मैं समझता हूं कि यह जो आदमी मरे हैं, उसके पीछे २ आदमी रहे हैं। एक तो वहां के जिला कलेक्टर और दूसरे अकाल मंत्री। जब तक देवरिया के कलेक्टर को वहां से हटाया नहीं जायगा, तब तक यह स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री उपेन्द्र (जिला देवरिया)---

मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या इसे आपने नियम ५२ में स्वीकार किया है?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, केवल वक्तव्य के लिये।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

मैं २० तारीख को इस पर वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री कृष्णा—

जब तक माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन नहीं देते कि मैं स्वयं जांच कराऊंगा, तब तक मैं इस बात को नहीं मान सकता।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये।

श्री कृष्णा—

मैं आपका हुक्म मानकर बैठ जाता हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी खुद आश्वासन दें कि वह स्वयं देवरिया जाकर जांच करेंगे और यदि वह जांच नहीं करेंगे तो सिर्फ बयान दे देने से समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—

एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा है। आपने अभी इसको सिर्फ वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और जब वक्तव्यों पर एक आदमी सवाल करता है तो आप उसको यह कहते हैं कि वक्तव्यों पर सवाल नहीं किये जा सकते हैं, तो आप किस नियम के अन्तर्गत हमको उस रोज इस पर सवाल करने की इजाजत दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उस समय आप प्रश्न कर सकेंगे- संभव है जितनी बातें भी आप कहना चाहते हैं उन सबकी सफाई वक्तव्य से हो जाये, तो आपके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री उग्रसेन—

अगर जरूरत पड़ेगी तो ?

श्री अध्यक्ष—

तो मैं देख लूंगा कि क्या करना चाहिये।

२० तारीख को सदन की बैठक नहीं होगी, इसलिये गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य २१ तारीख को देंगे।

प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में प्राप्त नियम ५२ की सूचनाओं के संबंध में श्री अध्यक्ष का आदेश

श्री अध्यक्ष—

(माननीय खाद्यमंत्री से) मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो प्रस्ताव माननीय चन्द्रजीत यादव ने इस सदन के समक्ष रखा था और जिससे मैं थोड़ा सहमत था कि प्रत्येक सप्ताह आपका वक्तव्य हो जाया करे और वह वक्तव्य उन सूचनाओं के संबंध में होगा जो समय समय पर आदरणीय सदस्य मुझे देते रहेंगे। अगर किसी विशेष सूचना को मैं अधिक महत्वपूर्ण समझूंगा तो उसको नियम ५२ में स्वीकार कर लूंगा। अन्य सूचनायें जो मेरे पास आया करेंगी उस संबंध में मैंने यह सोचा है कि आप प्रत्येक सोमवार को सायंकाल ४।। बजे अपना वक्तव्य, जो खाद्य स्थिति सप्ताह में रही है और जो उसके लिये कदम उठाये गये हैं, उसके संबंध में दिया करेंगे।

मेरे पास माननीय लखीसिंह जी का एक प्रस्ताव है जो इस प्रकार से है। मथुरा जिले के सभी गांवों तथा कस्बों में एक-तिहाई सस्ते गल्ले की दुकानें खत्म कर दी गई हैं और देहातों में हर न्याय पंचायत में ३५० राशन कार्ड दिये जा रहे हैं जो कि नहीं के बराबर हैं। हर न्याय पंचायत में लगभग १० हजार जन-संख्या है जिनमें से लगभग दो हजार भूमिहीन और लगभग ४ हजार अत्यधिक जोत वाले किसान मजदूर गरीब हैं। हर दूकान पर ४ क्विन्टल गल्ला रोजाना बांटा जाता था। पर अब कहीं-कहीं तो एक क्विन्टल भी नहीं बांटा जाता है। हर दुकानदार को एक महीना में २७ बोरी अर्थात् एक क्विन्टल गल्ला देने का आदेश जिलाधीश की तरफ से हुआ था। आप इसकी सूचना भी अपने सायंकाल के वक्तव्य में दे दीजियेगा।

जे० के० जूट मिल्स, कानपुर में तालाबन्दी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक रामसुन्दर पांडेय जी का कानपुर के जे० के० जूट मिल में तालाबन्दी के संबंध में है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जूट मिल के संबंध में माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा था कि मजदूरों को बोनस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बोनस दिया जायगा लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं दिया है। मैं आशा करता था कि १५ अगस्त तक फैसला हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

क्या यह फैसला हो चुका है?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

बंगलौर में जब श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो उस समय केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्री जी ने कहा था कि वह बहुत जल्द बोनस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कोई निर्णय लेने वाले हैं। इस संबंध में उनसे संपर्क स्थापित किया गया किन्तु हम यह आशा करते थे कि १५ अगस्त तक यह फैसला हो जायगा लेकिन बोनस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में १५ अगस्त तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

जे० के० जूट मिल में हड़ताल जारी है। कल भी मैं कानपुर गया था और वहां पर मैंने इस संबंध में प्रयत्न किया था किन्तु कल भी आम तौर पर हड़ताल का आयोजन किया गया लेकिन इतना पता मुझे जरूर चला कि १८ तारीख तक यह हड़ताल खत्म हो जायगी और गालिबन जो भी बोनस कमीशन का फैसला होगा मिलमालिक शीघ्र ही उसको कार्यान्वित करेंगे यह आश्वासन मिल मालिकों ने दिया है और मुझे उम्मीद है कि १८ तारीख तक यह हड़ताल समाप्त हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सरकार ने तालाबन्दी के लिये भी कहा था कि हम जल्दी ही समाप्त करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ओर से तालाबन्दी खत्म करने के लिये क्या व्यवस्था हो रही है।

श्री बनारसीदास—

पहले स्ट्राइक हुई और बाद में तालाबन्दी हुई। इस संबंध में तालाबन्दी खत्म करने के पहले दोनों पक्ष में विचार-विमर्श होना आवश्यक है। तालाबन्दी समाप्त की जाय और

[श्री बनारसीदास]

हड़ताल खत्म न हो, इससे स्थिति में कोई अन्तर या कोई सुधार होने वाला नहीं है। दोनों पक्षों में विचार-विमर्श चल रहा है। कल भी लेबर प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी हुई और आपस में विचार-विमर्श हुआ। इसलिये मेरा विचार है कि १८ तारीख के अन्दर यह हड़ताल समाप्त हो जायगी।

श्री उग्रसेन---

माननीय मंत्री जी के पास मदन पांडेय, मैं और कई लोग गये थे, और पद्मपत सिंघानियां भी वहां थे। वह सब बातें वहां मान गये थे, लेकिन बाद में चूंकि उन मिल-मालिकों ने वह मांग नहीं मानी इसलिये मंत्री जी भी नहीं मान रहे हैं, क्या यह सही है ?

श्री बनारसीदास---

शुरू में मिल मालिक कहते थे कि वेज कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार वे १२ दिन का बोनस देने को तैयार हैं और अगर बोनस कमीशन ज्यादा दिन का भी बोनस देने की बात कहेगा तो वे उसके लिये तैयार हैं। पहले वह इसके लिये तैयार थे कि इस प्रश्न को आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर दिया जाय। इस बात को पहले तो मजदूर प्रतिनिधियों ने नहीं माना लेकिन जब मैंने ३ तारीख को उनको और मिल मालिकों को यहां लखनऊ बुलाया तो मैंने यह सुझाव रखा कि बोनस का मामला दोनों मेरे सुपुर्द कर दें। उस समय वर्कर्स ने कहा कि कानपुर में उनकी कार्यसमिति की बैठक होने वाली है उसमें वह इस प्रश्न पर निर्णय लेंगे। मिलमालिकों के प्रतिनिधियों ने भी कहा कि वे इम्प्लायर्स एसोसियेशन और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स से बात कर के कोई फैसला करेंगे। ४ तारीख को श्रम आयुक्त ने मुझे सूचना दी कि मजदूरों को इस मामले को बिना शर्त मेरे सुपुर्द करने पर आपत्ति है। और दूसरी तरफ मिलमालिकों के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने कहा कि वह १२ दिन से ज्यादा का बोनस देने को तैयार नहीं हैं और इसलिये इसे आर्बिट्रेशन में देने को वह तैयार नहीं हैं। यह स्थिति दोनों को स्पष्ट कर दी गयी थी और दोनों का ही कहना था कि बोनस कमीशन की रिपोर्ट उनको मान्य होगी। इसलिये हमने मजदूरों को आश्वासन दिया कि कमीशन की रिपोर्ट आने पर एक सप्ताह के अन्दर हम उसका पैसा मजदूरों को दिला देंगे। इस स्थिति में तालाबन्दी और हड़ताल चल रही है। गालिबन कल के बाद यह जल्दी ही समाप्त हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

१८ तारीख के बाद भी सरकार की ओर से इस संबंध में बयान हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

इसका ध्यान रखियेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब काशीनाथ जी का नियम ५२ में एक प्रश्न आया था। यद्यपि वह समय के अन्दर नहीं था लेकिन मैं उसे खाद्य मंत्री जी को भेज रहा हूं और इस पर भी वह अपना बयान दे देंगे।

रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट तथा माल स्थायी समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---

अब मुझे यह सूचना देनी है कि रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट तथा माल स्थायी समिति के लिये १-१ सदस्य के निर्वाचन के हेतु नामों की वापसी का समय १३ अगस्त, १९६४ को सायंकाल ५ बजे तक और निर्वाचन संबंधी मतदान दिनांक १९ अगस्त, १९६४ के लिये नियत था। किन्तु विधान

सभा की बैठक दिनांक १२ अगस्त से १६ अगस्त, १९६४, तक स्थगित रहने के कारण नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय १९ अगस्त, १९६४, के सायंकाल ५ बजे तक बढ़ा दिया गया है और निर्वाचन संबंधी मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक २४ अगस्त, १९६४, को विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ, में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

दियासलाई के मूल्य में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

लखनऊ नगर से दियासलाई के अधिक मूल्य अर्थात् १० पैसे में बेचे जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। उक्त प्रस्ताव पर जांच करवाने से पता चला कि कुछ जगहों पर छोटी-छोटी दूकानों पर७ या ८ पैसे में दियासलाई बिकी थी न कि १० पैसे में जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। जिलाधिकारी इस ओर सचेत हैं और इस प्रकार दियासलाई बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इस समय वक्तव्य हो गया है, अब इस पर अगर आप कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे तो वह मैं करा दूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

यह वक्तव्य सत्य से परे है।

विधान सभा का साप्ताहिक कार्यक्रम

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्यक्रम, आपकी इजाजत से, मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं :

(१) १७ तारीख को उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ पर विचार एवं उसका पारण, तथा

(२) सायंकाल ५ बजे---वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।

१८ और १९ तारीख को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

२० तारीख को ग्यारहवीं शरीफ की छुट्टी। बैठक नहीं होगी।

२१ तारीख को उत्तर प्रदेश १९६४-६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद, उनकी मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४-६५ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६४ का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

*श्री टम्केश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, पहले भी यह आपत्ति उठायी गयी थी कि भाषा विधेयक को कार्यमंत्रणा समिति में नहीं भेजा गया। १२ तारीख को जब यह विधेयक एजेन्डे पर आया था तो आपको मालूम ही है कि उस दिन क्यों नहीं उस पर विचार हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों सरकार ने इसको विचार के लिये कार्यमंत्रणा समिति में नहीं भेजा। जब सरकार का मतलब होता है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्केश्वरप्रसाद]

वह किसी विधेयक पर विचार के लिये उसको कार्यमंत्रणा समिति में भेजती है, वरना नहीं भेजती। इसलिये आप इसे तत्काल वापस करायें और इसे कार्यमंत्रणा समिति में भेजें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, उस दिन जब माननीय सदस्यों ने एतराज किया था तो उसको वापस किया गया था और ऐसा लगा था कि बिना कार्यमंत्रणा समिति में विचार हुये यह विधेयक एजेन्डे पर नहीं आयेगा। जब आज मैंने इसको एजेन्डे पर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना कार्यमंत्रणा समिति में विचार हुये यह कैसे पुनः आ गया। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आज के एजेंडे से निकाल दिया जाय और इसे पहले कार्य मंत्रणा समिति में भेजा जाय। वहां पर विचार होकर फिर यह विधेयक यहां पर लाया जाय। माननीय बनारसीदास जी की राय से ही सदन नहीं चलेगा।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मान्यवर, आपको याद होगा कि जब माननीय बंशीधर पांडेय जी ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया था पहले तो यही आपत्ति उठाई गयी थी और उस पर आपकी रूलिंग हो चुकी है कि उसको पहले कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष भेजा जाय। आपके आदेश का सरकार ने पालन नहीं किया है। इसलिये आप इस सारे प्रश्न को कार्य मंत्रणा समिति में भेज दें जिससे कि समय का निर्धारण हो सके और आपके आदेश का पालन हो सके।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

मुझे भी इस संबंध में कुछ कहना है। हमारे आदरणीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उनके कथन का हार्दिक समर्थन करते हुये, उसके अतिरिक्त इस विधेयक के संबंध में कुछ अपनी वैधानिक आपत्तियां मैं रखना चाहता हूं। जब, मान्यवर, आपने मेरी याचिका को आज मंजूर कर लिया जिसका अंतिम वाक्य है कि--अतः नम्र निवेदन है कि मैंने इस विधेयक को विधान सभा द्वारा पारित न किया जाय--और उसको आपने याचिका समिति को भेज दिया है तो यह अध्यक्षपीठ की मर्यादा के लिये भी जरूरी है कि आपकी आज्ञा का पालन करने जब तक याचिका समिति अपना निर्णय न दे दे, तब तक उसके ऊपर यहां इस सदन में कार्यक्रम नहीं रखा जा सकता। दूसरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के संबंध में वैधानिक आपत्तियां उठायी गई हैं। १२ अगस्त की तारीख को मैंने एक माननीय एम० एल० सी० के द्वारा आपके विचार के लिए दफा ३०१ में एक पत्र आपके सचिवालय को दिया है, उसके ऊपर भी, मेरे अनुकूल या मेरे प्रतिकूल जो भी निर्णय आप दें उस निर्णय को दे देने के बाद ही इस पर विचार किया जाना चाहिए, स्वयं आपकी मर्यादा के खयाल से यह मेरा निवेदन है।

श्री बनारसीदास--

प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जैसा कि कार्यक्रम अभी प्रस्तुत किया गया है उसको प्रस्तुत करने का अधिकार हमको है। यह सही है कि जहां तक समय के विभाजन का सवाल है वह कार्य-मंत्रणा समिति कर सकती है। लेकिन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के अभाव में भी किसी विधेयक पर विचार किया जा सकता है। केशरी प्रसाद जी ने जैसा कहा कि एक दिन इसके ऊपर विचार के लिए रखा है, तो यह कोई सदन के लिए बाध्य करने वाला नहीं है। वह तो एक दिन के लिये रखा है लेकिन सदन चाहे तो दो दिन विचार कर सकता है। दो दिन में भी यह पास हो सकता है। तो इसमें कोई नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। कार्यक्रम सरकार की ओर से एक सप्ताह का रखा गया है। कार्यमंत्रणा समिति उस पर अब भी विचार कर सकती है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ डाक्टर रघुनाथ सिंह की बात के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊपर कि जब अभी केवल कार्यक्रम का सवाल था तो वह उस पर वैधानिक आपत्ति करने लगे। उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिये था.... (व्यवधान—श्री रघुनाथ सिंह के कुछ कहने पर) यह तरीका ठीक नहीं है, यह आदत पड़ गई है, अध्यक्ष महोदय, आप उनको आदेश दें कि वह अपने स्थान पर बैठें (व्यवधान—श्री रघुनाथ सिंह के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुनाथ सिंह, आप तो अध्यापक हैं और अध्यापक तो अनुशासन में विश्वास करते हैं.....(व्यवधान) अच्छा हो गया, अब आप बैठ जाइए....

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, उन्होंने कहा कि वैधानिक आपत्ति का समय.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ तो जाइए।

*श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी-अभी आपने कहा है माननीय रघुनाथ सिंह से कि आप मास्टर हैं, अनुशासनहीनता तो आपमें नहीं होनी चाहिये, तो क्या बाकी लोग जो दूसरे वर्ग के हैं वे सभी अनुशासनहीन हैं?

श्री बनारसीदास—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कार्यक्रम का इस समय सवाल है। माननीय रघुनाथ सिंह, जब विधेयक पेश होता, जब माननीय बंशीधर जी उसको पेश करते, तब वह वैधानिक आपत्ति उठा सकते थे। इस वक्त तो केवल प्रश्न यह था कि कार्यक्रम उचित है या नहीं, आया वह रखा जा सकता था या नहीं रखा जा सकता था और क्या उसमें कार्य-मंत्रणा समिति तथा आपके आदेश की अवज्ञा की गई है। नियम २५ के अन्तर्गत यह कार्यक्रम आपके सामने रखा गया है। समय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दो घंटे में भी पास हो सकता है, शाम तक भी हो सकता है और माननीय सदस्यों ने बहस में ज्यादा दिलचस्पी ली तो शाम तक तो चलेगा ही, फिर कार्यमंत्रणा समिति में जा सकता है और समय इसके लिए निर्धारित हो सकता है।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में इस पर विचार की आवश्यकता नहीं है कि यह बिल इस दिन पेश किया जाय, इसका मुझे बड़ा दुख है। यह बिल कितना विवादग्रस्त है, आप जानते हैं। सदन की बात तो वह इसलिए करते हैं कि सदन में उनका बहुमत है, जो चाहें सदन से करा लें। नियम २२५ को आप पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है—

"It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government bills....."

यानी, जो भी गवर्नमेंट सदन के सामने बिल लायेगी वह उस कमेटी के सामने जायगा और उसमें समय के बारे में विचार होकर समय तय किया जायगा। वह कमेटी सारे मेंबरों से बनेगी, मंत्री जी की बहुमत वाली पार्टी से ही नहीं बनेगी। इसके अलावा माननीय सदस्य ने इस पर पहले ही एतराज कर दिया था कि हमें पता नहीं है कि कौन बिल किस दिन आने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

इसलिये मंत्रणा समिति की बैठक होनी चाहिये। श्रीमन्, आपको यह ज्ञात है कि यह कितना विवादग्रस्त बिल है और हमको इसका नोटिस आज सुबह-सुबह मिला है। अतः श्रीमन्, सब को इस पर विचार करने का अवसर दें। आप उधर के लोगों की ही नहीं बल्कि इधर के लोगों की इच्छा का भी ध्यान रखें और अपना डिस्क्रिशन हमारे माफिक दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी को उस दल के मुख्य सचेतक होने के नाते इस बिल को कार्यमंत्रणा समिति के सामने भेजना चाहिये था ताकि वह समय मुकर्रर कर सकती और इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये था कि हमारा बहुमत ही जो बात तय कर देगा, जो समय निर्धारित कर देगा उसके अनुसार ही कार्य हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी भी राय नहीं ली गयी, यह सबसे बड़ी ज्यादती बनारसीदास जी की ओर से हुई है। नियम २२५ में साफ कहा गया है कि जो भी विधेयक हाउस के सामने लाया जायगा, वह कार्य-मंत्रणा समिति के सामने रखा जायगा, वह प्रत्येक विधेयक के लिये समय का आबंटन करेगी। ऐसा न करना मेरे खयाल से कार्यमंत्रणा समिति का अपमान है और उसके अध्यक्ष होने के नाते आपका भी अपमान है। बनारसीदास जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव पर मेरा एक संशोधन यह मान लिया जाय कि इसको फिर से कार्यमंत्रणा समिति के पास समय निर्धारण के लिये भेज दिया जाय और उसके बाद वह इस हाउस में आये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने यह ऐतराज किया था कि बंशीधर जी ने सदन का कार्य-क्रम नहीं बताया इसलिये यह बिल नहीं आ सकता। अतः उस दिन टल गया। आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय का एतराज कायम है। आज भी कार्यमंत्रणा समिति से इस बिल के बारे में समय का आबंटन नहीं कराया और उसको ऐजेंडे में सदन को बताया भी नहीं। अगर आज के लिये १५ तारीख को ही बता दिया जाता, तब तो ठीक था। इसके संबंध में रघुनाथ सिंह साहब ने आपको एक याचिका दी है उसका भी फैसला होना है। इसलिये आप मंत्री जी को आदेश दें कि वे इसको कार्यमंत्रणा समिति के सामने भेज दें। मैंने बंशीधर जी से कहा था कि इसमें वे जल्दबाजी न करें और कार्यमंत्रणा समिति की इजाजत ले लें। आपको किस लिये जल्दी पड़ी है, अंग्रेज तो चले गये और आपको अंग्रेजी लाने की इतनी जल्दी है। इसलिये इसको कार्यमंत्रणा समिति को भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम ३०० का उपनियम (३) पढ़ दूं.....।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अपनी कोई व्यवस्था देने से पहले आप अपनी उस रोज की कार्यवाही पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे याद है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस समय यह जो हिन्दी का प्रश्न है, इसमें दो आपत्तियां की गयी हैं। एक तो माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि इस संबंध में डाक्टर रघुनाथ साहब ने जो पिटीशन दिया है उस पर जब तक फैसला न हो जाय तब तक इसे न लिया जाय। शायद आपने उस पिटीशन को स्वीकार करके उसे पिटीशन कमेटी को भेज दिया है। पता नहीं क्या समझ कर आपने उसे स्वीकार किया है और उसका क्या कांस्टीट्यूशनल आसपैक्ट है। यह तो आप ही स्वयं स्पष्ट करेंगे।

बिजनेस कमेटी के बारे में केवल इतनी बात कहनी है कि आम तौर से कोशिश इस बात की की जाती है कि सभी ऐसी चीजें बिजनेस कमेटी के अन्दर जायं और उसके लिये वक्त निश्चित हो । यह अब तक होता रहा है और होना चाहिये, परन्तु जहां तक मुझे मालूम हुआ है यह विधेयक आलरेडी हाउस के सामने था कुछ दिन पहले यह पुरःस्थापित हो चुका है । मुझे केवल एक बात कहनी है । माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि वहां समय निश्चित किया जाता है, सही बात है । माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि जहां तक ज्यादा समय की बात है, आप चाहें तो इस पर दो दिन बहस कीजिये, तीन दिन बहस कीजिये, यह हाउस के ऊपर है । तो जहां तक समय की बात है यदि आप चाहते हैं कि बहस के लिये ज्यादा समय दिया जाय तो वह दिया जा सकता है, लेकिन माननीय उग्रसेन जी अपनी बात बहुत ढंग से कहते हैं और लपेट कर बात कहते हैं, यदि उनकी मंशा यह हो कि इस पर बहस हो ही नहीं, तब तो दूसरी बात है । यह केवल कार्य मंत्रणा समिति की आड़ लेकर एक बात कहने की है कि इससे उसका अपमान हुआ है, मैं भी उस समिति का मेम्बर हूं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई अपमान की बात नहीं है । कार्यमंत्रणा समिति का जो भी रिकमेंडेशन होता है हमेशा इस बात की कोशिश रहती है और अब तक एक कन्वेन्शन सा रहा है कि उसे माना जाता है और यदि किसी बिल के समय के संबंध में कोई मतभेद होता है तो उसे दोबारा उसी को भेजा जाता है और फिर कार्यमंत्रणा समिति उस पर विचार करके कोई निर्णय लेती है । यदि समय के लिये आग्रह है तो आज शाम को आप मीटिंग बुला लें उसके बाद अगर १ दिन से ज्यादा टाइम की जरूरत मालूम हो तो ज्यादा टाइम दे दिया जायगा परन्तु इस पर बहस आज शुरू होनी चाहिये ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आपकी प्रक्रिया नियमावली में स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है कि समय का आबंटन होगा कार्यमंत्रणा समिति में और आज माननीय मंत्री व माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो सदन समय को बढ़ा देगा । तो मेरा निवेदन यह है कि फिर आपने यह कार्यमंत्रणा समिति बनायी ही क्यों है, इसको भंग कर दीजिये । मैं तो यह कहूंगा कि जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं, उनका इससे ज्यादा अपमान और कोई हो नहीं सकता और अगर उनमें वाकई में थोड़ा-सा भी स्वाभिमान है तो उनको इस कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे देना चाहिये । कार्य मंत्रणा समिति को भंग कर सरकार उसे अपने हाथ में ले लें । उसका बहुमत तो है ही, जिस तरह से वह चाहे करे ।

श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक मिनट में अपनी बात मैं कह लूं, श्रीमन्.....

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से तो सब लोग बोलना चाहेंगे । अगर कोई नयी बात हो तो आप कहें ।

*श्री कमला सिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति को सिर्फ समय को निर्धारित करने का अवसर है । श्रीमन्, अपनी प्रक्रिया नियमावली के नियम २२५ में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है—"समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के क्रम या क्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के संबंध में सिफारिश करे जिन्हें अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें।" इसमें साफ यह दिया हुआ है कि किस क्रम में कौन बिल लाया जाय । जहां तक मुझे मालूम है, एक बार यह बिल यहां आ चुका है जिसको श्रीमन् ने इसलिये हटा दिया कि वह कार्यमंत्रणा समिति के सामने नहीं भेजा गया था । तो एक आदेश श्रीमन् का हो चुका है कि कार्यमंत्रणा समिति के सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

वह भेजा जाय, उसके बाद यहां लाया जाय। तो जब स्पीकर का आदेश पहले हो चुका है कि बिल कब रखा जाय और किस तरीके से रखा जाय तो जब तक उस आदेश का पालन न हो, इस तरीके से उसको यहां लाना कि वह कार्यमंत्रणा समिति के सामने भी न जाय और फिर भी यहां कार्य-सूची में रखा जाय, उसी कानून के विपरीत है और अध्यक्ष की जो आज्ञा है उसके भी यह विरुद्ध है और इस तरह से इससे सदन का अवमान होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

एक मिनट मैं भी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

जरा-सी हमारी बात भी सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं अब अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

इस में सब से पहला एतराज यह है कि आज के लिये कोई सूचना नहीं थी कि यह विधेयक आज आ रहा है। कोई नियम ऐसा नहीं है कि आप को आगामी सप्ताह के संबंध में सूचना देना आवश्यक हो। हमारे नियम २५ में केवल इतना ही निर्धारित किया गया है कि सप्ताह के पहले दिन उस सप्ताह के संबंध में जो कार्यक्रम है वह बताया जाय। अगर आप समझते हैं कि यह नियम ठीक नहीं है और उस में कुछ दोष है तो आप को अधिकार है कि आप उस नियम में परिवर्तन या संशोधन लाएं लेकिन जो इस समय हमारा नियम है और जो अबतक की परम्परा चली आई है वह इतनी ही है कि केवल सप्ताह के पहले दिन उस सप्ताह का कार्यक्रम बताया जाता है। यह विधेयक कुछ दिन पहले आप के सामने आ भी चुका है और उस दिन मैंने इस को इजाजत नहीं दी थी। वह इस कारण से नहीं दी थी कि जब मंत्री जी ने उस सप्ताह के कार्यक्रम की घोषणा की थी उस समय उन्होंने इस भाषा विधेयक का जिक्र नहीं किया था। अगर उस सप्ताह के लिए बताया गया होता कि यह विधेयक आयेगा तो मुझे इसे उसी समय इजाजत देनी पड़ती। अब आज आप के सामने इस की घोषणा हो रही है कि इस सप्ताह में हम क्या-क्या काम करेंगे और उसमें यह शामिल है कि भाषा विधेयक पर आज हम विचार करेंगे। इसलिये नियमों के अन्तर्गत तो आपको कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हां, यह मैं मानता हूं कि आप उचित समझें तो यह मांग करें कि आगामी सप्ताह का कार्यक्रम उससे पहले सप्ताहान्त में दिया जाने लगे लेकिन यह तभी हो सकता है जब ऐसा नियम बन जायगा परन्तु आज यह बिल आ सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि यह विधेयक कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ और जब तक वह वहां प्रस्तुत न हो, उस पर निर्णय न हो तब तक हम इस पर विचार नहीं कर सकते। इस संबंध में मैं नियमावली के नियम २५(२) और २२५ को पढ़े देता हूं। २५(२) इस प्रकार है: "प्रत्येक सप्ताह के प्रथम कार्य-दिवस पर जब सदन समवेत हो, सदन-नेता अथवा मंत्रि-परिषद का कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को उस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देगा।"

अब माननीय कमला सिंह जी से मैं कह दूं कि मैं उनके निर्वचन से सहमत नहीं हूं। वह देखें कि नियम २२५ इस प्रकार है "समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्य के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिये समय नियत करने के सम्बन्ध में सिफारिश करें जिन्हें अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से समिति को निर्दिष्ट करने के लिये निदेश दें।"

एक सदस्य---

अध्यक्ष सदस्यों की मरजी को भी तो देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अवश्य देखेंगे और आदर के साथ देखेंगे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कोई निर्देश सदन के नेता का या अध्यक्ष का है कि इस विधेयक को कार्यमंत्रणा समिति को भेजा जाय । अब दूसरी बात यह है कि कार्यमंत्रणा समिति के कृत्यों के संबंध में निश्चित रूप से यह है कि हम समय निर्धारित करेंगे और प्रत्येक स्टेज के लिये करेंगे । प्रत्येक स्टेज का मतलब यह है कि विचार कितनी देर तक हो, उसको पारित कितने समय में किया जाय, खंडों में कितना समय लगे । एक विधेयक के विभिन्न प्रक्रम होते हैं, तो जब हम प्रक्रम निश्चित करेंगे कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन में कितना समय लगेगा, या तीनों वाचनों में कितना समय लगेगा, तो हमें अधिकार है कि हम १५,१० या २ दिन रखें, जैसा कार्यमंत्रणा समिति उचित समझेगी करेगी । इस पर विशेष बात यह याद रखनी चाहिये कि यद्यपि कार्यमंत्रणा समिति एक निश्चय कर लेती है तो वह निश्चय इस आदरणीय सदन के मत के अधीन रहता है । उसका निर्णय अंतिम नहीं होता, वह तो सदन कर सकता है आप उसे स्वीकार करें या न करें और कहें कि इसको वापस भेजा जाय इस वास्ते कि हमारा निश्चय यह है .....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, आप हमारे रक्षक हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अवश्य हूं ।

श्री कमलासिंह यादव---

तो क्रम निर्धारित करने का हक कार्यमंत्रणा समिति को नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

अब पोजीशन यह है कि इस समय जो राज भाषा विधेयक है उसकी सूचना एक दृष्टि से आपके पास पिछली बार आ चुकी थी । उसकी सूचना पहले देना हमारे नियमों के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है । रहा यह कि कितना समय निर्धारित है तो कोई समय निश्चित नहीं हो सकता कि कितने समय इस पर विचार होगा । उस बारे में कोई नियंत्रण इस समय नहीं है, अनियंत्रित रूप से यह विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है और आप उस पर विचार कर सकते हैं ।

अब एक प्रश्न माननीय रघुनाथ सिंह जी का है, यह एक महत्व का प्रश्न है । लेकिन अगर नियमों का अध्ययन करें तो उनको आश्चर्य होगा कि याचिका के संबंध में जो नियम २३७ है उसमें याचिका प्रपत्र और याचिका व्याप्ति के बारे में लिखा है कि "अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकायें उपस्थित या प्रस्तुत की जा सकेंगी :

(१) ऐसा विधेयक जो नियम ११७ के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सदन में पुरःस्थापित हो चुका हो,

(२) सदन के सामने लंबित कार्य से संबंधित कोई विषय, और ....."

तो याचिका का विषय वही हो सकता है जो विषय किसी विधेयक से संबंधित हो और वह विधेयक नियम ११७ में प्रकाशित हो चुका हो या सदन में पुरःस्थापित हो चुका हो या ऐसा विषय हो सकता है जो सदन के सामने लंबित हो । हमारे नियमों में यह नहीं है कि 'यदि ऐसी याचिका प्रस्तुत हो जाय जिसका संबंध सदन में लंबित विषय या विधेयक से हो तो ऐसा सदन में लम्बित विषय या विधेयक भी निलंबित कर दिया जायगा' ऐसा कोई नियम नहीं है, यद्यपि आप यह कह सकते हैं कि इस पर विचार न किया जाय । विचार का जब प्रस्ताव आपके सामने

[श्री अध्यक्ष]

आ जाय तो सम्भव यह हो सकता है कि आप अपने विचारों को व्यक्त करते हुए यह भी एक तर्क रख सकें कि चूंकि याचिका समिति के सामने याचिका है इसलिये इस पर विचार न किया जाय और आप वोट भी इसके खिलाफ करें। लेकिन यह बाधक नहीं हो सकता कि चूंकि याचिका समिति के सामने प्रश्न है इसलिये इसको रोक दिया जाय ।

अतः तीनों आपत्तियां मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४†

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय मुख्य मंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मेरी एक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---

पहले वह प्रस्तुत कर दें तब आप आपत्ति करें।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, मेरी एक संवैधानिक आपत्ति है। इस प्रकार का भाषा विधेयक हमारे इस...

श्री अध्यक्ष---

एक बात मैं निवेदन कर दूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

अब तो आपकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष---

(कुंवर श्रीपालसिंह) जो कुछ आप भाषण देंगे वह भाषण समझा जायगा या जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उस पर आप भाषण देंगे ?

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, मेरी संवैधानिक आपत्ति इस बात पर है कि...

श्री अध्यक्ष---

नियम १२५ को आप देख लें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि जब आप पहले इसके विपरीत कह चुके हैं तो आज वही कानून कैसे लागू किया जा रहा है ?

---

†७ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

नियम १२५ में दिया हुआ है कि :

" यदि किसी विधेयक के पुर:स्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे :

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे।"

मेरा निवेदन है कि जिस समय १२५ के अनुसार पुर:स्थापित हुआ उस समय वैधानिक आपत्ति रखनी चाहिये थी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, उस दिन भी मैं बराबर चिल्लाया पर मेरी कोई बात नहीं सुनी गयी ।

श्री अध्यक्ष—

यह हमारा दुर्भाग्य है कि सदन में किसी ने न सुना । नियम १२५ के होते हुए भी मैं वैधानिक आपत्ति इस कारण से रोकना नहीं चाहता हूं क्योंकि वह मौलिक रूप से इस विधेयक के ऊपर आघात करती है । मैं उसको इजाजत दूंगा लेकिन उस बहस के साथ इस पर विचार करने के विपरीत जो आप कहना चाहते हैं वह भी कह दीजिये । दूसरी मर्तबा मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, यह हमारे सीमा क्षेत्र के अधिकार के बाहर की चीज है ।

श्री अध्यक्ष—

बहस कर लीजिये । जब आप यह कह देंगे कि इस पर विचार हो जाय, मैं निर्णय दे दूंगा । आप बोल लीजिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मैं इस संबंध में एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं । केवल ५ मिनट में कह दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

यह जो विधेयक है इसके संबंध में मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जब यह बिल पेश हो गया तो फिर.....

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुज्ञा दे रहा हूं ।

*कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं स्वयं अपने प्वाइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[कुंवर भोपालसिंह]

श्रीमन्, मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि भाषा के ऊपर कोई भी विधेयक लाना हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है। वह इसलिये है कि भाषा के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई विधेयक आता है तो वह संविधान के मातहत समझा जायगा। अब संविधान के अनुच्छेद २४८ में आप देखें उसमें स्पष्ट कहा गया है कि दो अनुसूची हैं। एक है समवर्ती, दूसरी है राज्य अनुसूची। इन दोनों अनुसूचियों में जो विषय हैं उन पर संसद में भी प्रस्ताव नहीं आ सकता। और इन दोनों अनुसूचियों में जो विषय नहीं हैं उन्हीं पर संसद विचार कर सकती है और विधेयक बना सकती है। भाषा वाला विषय उन अनुसूचियों में नहीं है। इसलिये केवल संसद को ही अधिकार है इस पर विधेयक बनाने के लिये। जहां तक २१० (२) की बात है इसमें आप देखें कि वह नकारात्मक शक्ति देता है, साकारात्मक शक्ति नहीं देता है। ३४५ अनुच्छेद के अन्तर्गत केवल उसे जारी रखने के लिये है, बनाने के लिये नहीं है। अब अगर आप इस विधेयक को देखें तो स्पष्ट है कि जब तक संविधान में परिवर्तन न किया जाय वह नहीं आ सकता और संविधान को परिवर्तन करने की शक्ति केवल मात्र संसद को है और उसके लिये भी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सरकार इस विधेयक को २४८ अनुच्छेद के मातहत यहां ला नहीं सकती है।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यह सुपरफ्लुअस है। अगर ऐम्स एंड आब्जेक्ट्स आप देखें.....

श्री अध्यक्ष—

इस समय प्रश्न यह है कि यह विधेयक प्रस्तुत हो सकता है अथवा नहीं। जहां तक रिडंडेंसी अथवा सुपरफ्लूअस होने का ताल्लुक है, यह बात आप विवाद के समय बाद में कह सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई चीज सुपरफ्लूअस है और उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको सदन में बहस करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरी चीज है।

श्री नेकराम शर्मा—

बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह गया नहीं है। जब यह सुपरफ्लूअस है तो इस पर इतना समय लगाना ठीक नहीं होगा। इसके एम्स एंड आब्जेक्ट्स को देखिये। एक प्वाइंट यह है। २१० (२) इस प्रकार है कि—

"Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expritaion of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect if the words 'Or in English' were omitted therefrom."

श्रीमन्, २१०(१) इस प्रकार है कि—

"Notwithstanding anything in Part 17 but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, ये शब्द "इन इंगलिश" यदि हटा दें तो १५ वर्ष जनवरी में समाप्त हो जायेंगे। ये शब्द ऑटोमैटीकली समाप्त हो जायेंगे। इसका मकसद यह है कि ये ज्यों के त्यों रहे आये तो जो हमारे ऐक्ट अंग्रेजी के बने हुये हैं उनमें अमेंडमेंट अंग्रेजी में आ सकें। इसके उद्देश्य में आप देखें तो मालूम होगा तो बिल ऐक्ट बन चुके हैं (१) उत्तर प्रदेश लैन्गुयेज (बिल्स एन्ड ऐक्ट्स) ऐक्ट, १९५० (२) उत्तर प्रदेश आफीशियल लैंगुयेज ऐक्ट, १९५१। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा के संबंध में आप दो ऐक्ट बना चुके हैं। इसके लाने की क्या आवश्यकता थी? अगर लाना ही था तो "इन इंगलिश" ला सकते थे। जैसा कि माननीय श्रीपालसिंह जी ने कहा है, ३४५ में यह पावर दी है कि कौन ला बना सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बहस यह है कि ३४८ और २१० को पढ़ते हुये जो प्रस्तुत विधेयक है, वह निरर्थक है।

श्री नेकराम शर्मा--

जी हां। मेरा निवेदन यह है कि ला कौन बना सकता है। इसकी तीन लिस्ट हैं। स्टेट लिस्ट में यह नहीं है। इसका अमेंडमेंट संसद कर सकती है। ला मेकिंग पावर ३४५ में दी हुई है। भाषा के संबंध में दो ऐक्ट बना चुके हैं। अब उनको डर यह है कि १५ साल बाद अगर विधान सभा में प्रश्न उठा दिया तो अंग्रेजी में नहीं आ सकते हैं। इसलिये जो ऐक्ट बने हुये हैं उनका अनुवाद हो जाना चाहिये। श्रीमन्, १५ साल में हिन्दी भाषा करने का हम निश्चय कर चुके हैं लेकिन यह सरकार का निकम्मापन है कि वह इस काम को नहीं कर पाई इसमें सदन का कोई दोष नहीं है। यह ३४५ और३४८ का प्रयोग कर चुके हैं। यह जो बिल पेश किया है इसकी भाषा यह है ....

श्री अध्यक्ष--

आप डिटेल्स में न जाइये .....

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, इसका टाइटिल पढ़ लें इससे बिलकुल स्पष्ट हो जायेगा जिस तरह से प्रिलिमनरी में मान लिया। अगर इसको पास हो जाने दिया जाय तो दूसरे दो बिल ऐक्ट बन चुके हैं। आप उसकी टाइटिल को पढ़ें। (लाल बत्ती जलने पर)

श्री उग्रसेन--

आपने कहा था कि समय का प्रतिबन्ध नहीं होगा तो लालबत्ती क्यों?

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, आप तो वकील हैं उसको पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है 'wherever necessary.'

श्री अध्यक्ष--

देखिये, आप तो उसकी मेरिट पर आ रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा--

अच्छा, मैरिट्स पर नहीं जाना चाहता। मैं निवेदन करता हूं कि यह सुपरफ्लूअस है, आप आलरेडी इसको पास कर चुके हैं। ३४५ और ३४८ में आपको पावर नहीं है। तो यह विधेयक इस सदन में लाया जाना अवैधानिक है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में संविधान के अनुच्छेद २१० (१) का उद्धरण दिया गया है और बताया गया है कि संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जब तक विधान मंडल अन्यथा व्यवस्था न करे यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी रहेगा मानो "या अंग्रेजी" शब्द था ही नहीं। यह सरकार अंग्रेजी को चालू रखने के लिये इस अनुच्छेद २१० (२) के अन्तर्गत अपना रास्ता निकाल रही है तब इसे २१० (१) को देखना चाहिये था। जहां 'या' विच्छेदात्मक संयोजक के द्वारा शासकीय भाषा या भाषाओं या हिन्दी या अंग्रेजी को चुनने का प्राविधान है। अगर मैं यह कहता हूं कि मैं या मेरा लड़का कलकत्ता जायगा तो उसके माने यह हो ही नहीं सकते कि हम दोनों कलकत्ते जायेंगे। अगर यह कहा जाय कि यह लड़का वैकल्पिक विषय में बायोलाजी या संस्कृत लेगा तो इसका मतलब यह नहीं होता कि दोनों लेगा। इसी तरह जब संविधान के अनुच्छेद २१० (१) में लिखा है कि राज्य विधान मंडल शासकीय भाषा या हिन्दी या अंग्रेजी लेगा तब यह कहां आता है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों चलेगी। यह तो उन राज्यों के लिये था जहां के लोग हिन्दी न लें या अपने राज्य की भाषा न लें, जैसे मद्रास है या महाराष्ट्र है जहां पर लाचारी है। लेकिन हमने १९५० और ५१ में दो-दो विधेयक पास करके यह तय कर लिया है कि हम अपने यहां हिन्दी को रखेंगे और हमारे यहां का सारा कार्य हिन्दी में होगा। तब श्रीमन् दो-तीन चीजों को लपेटने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये २०१ (१) का प्राविजन ही प्रभावी है। अगर हमारे दोनों अधिनियम न बने होते तब भी २०१ (१) का उपबन्ध ही काफी था। हमने हिन्दी को चुन लिया है। मद्रास में या महाराष्ट्र में हिन्दी हो या न हो, लेकिन सन् ५०–५१ में जब हमारी विधान सभा ने समझदारी करके इस राज्य की मातृभाषा को गौरव देकर, अपनी राज्यभाषा और पढ़ाई लिखाई की भाषा को गौरव देकर २–२ विधेयक पास कर दिये तो इन २ अधिनियमों के आधार पर २०१ का खंड (२) लागू नहीं होता। तो मैं, श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी की मूल भाषा में बने ऐक्टों में संशोधन जो आज तक सन् ५० के बाद किये गये हैं वे गैर कानूनी रहे हैं। इस संबंध में एक अतिरिक वैधानिक आपत्ति की बात भी मेरी आपके पास प्रस्तुत है जिसे मैंने विधान सभा में आने वाले म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत आपको लिखे गए पत्र में विस्तार से उठाया है। उसके बाद जो हमारे अधिनियम हैं उनमें एक प्रतिबन्धात्मक कथन है कि "संविधान के अनुच्छेद ३४६ और ३४७ पर विपरीत प्रभाव डाले बिना।" इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ३४६ में है कि यदि कोई राज्य हिन्दी को अपनी भाषा बना ले तो भी वह केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्यों से लिखा पढ़ी अंग्रेजी में कर सकता है, क्योंकि केन्द्र में हिन्दी को नहीं अपनाया है। किन्तु इस स्थल पर अन्य कोई....

श्री अध्यक्ष—

इससे उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

तो श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि ऐसा प्रतिबन्धात्मक कथन नहीं है कि अंग्रेजी में बने मूल अधिनियमों में संशोधन विधेयक अंग्रेजी में चलते रहें। सन् १९५०–५१ से जो भाषा संबंधी अधिनियम चल रहे हैं उनको जब तक आप इस विधेयक को खत्म करके कोई और व्यवस्था नहीं करते तब तक उसका प्रभाव खत्म नहीं किया जा सकता और उन दोनों अधिनियमों के रहते अगर तीसरा अधिनियम बनाकर विधान मंडल ने अपने मुंह पर अपने ही हाथ से चपत मारने की गलती की तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपको जो कहना था वह माननीय रघुनाथ सिंह जी कह चुके ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मुझे दूसरी बात कहनी है ।

श्री अध्यक्ष--

तो दो मिनट में कह लीजिये ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

दो मिनट में नहीं, मेरी बात बड़ी मौलिक है । पहली बात तो यह है कि जिस दिन हो-हल्ला के बीच आपने घोषित कर दिया कि यह बिल इन्ट्रोड्यूस हो गया, उस दिन जब आप यहां से चले गये और उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये तब मैंने एतराज उठाया था । वह एतराज उन्होंने खारिज कर दिया था कि पीठासीन अधिकारी के सम्मुख ही उसे उठाया जाना चाहिये था । तो मैं आज आपके सामने उसी एतराज को पेश करता हूं । आप यह बतायें कि यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

वह प्रश्न समाप्त हो चुका ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

समाप्त नहीं हुआ, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । दूसरी बात यह है कि २४६ में जो अर्थ माननीय सदस्यों ने लगाया है, मैं उसके विपरीत अर्थ लगाता हूं । सन् ५०-५१ में इस आदरणीय सदन ने अंग्रेजी शब्द को निकाल कर फेंक दिया, अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि २-२ कानून हम बना दें और उसके बाद यह फिर सवाल उठायें कि हिन्दी नहीं अंग्रेजी भी हो सकती है । मैं एक तीसरी बात भी कहना चाहता हूं कि यह जो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० आदि बैठे हुये हैं यही मिनिस्टरों की अक्ल पर पर्दा डाले हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ठीक है तो मैं यह बात कहता हूं कि भाषा का काम तो व्यवहार के लिये होता है । और इस तरह से यदि गलत आधार पर कोई कानून यहां पर बनाते हैं तो.....

श्री अध्यक्ष--

आप मैरिट पर न जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक ही बात के लिए यहां पर विधेयक पास हो चुका है तो अब वह फिर कैसे बन सकता है । इस सभा में यह कानून बन चुका है कि हमारी भाषा हिन्दी होगी और हिन्दी के जरिये से हम काम करेंगे । अब उसी मकसद के लिये दोबारा फिर कैसे कोई कानून बना सकते हैं । या तो कोई संशोधन विधेयक लाया जाय तो पहले १९५०-५१ के पास हुए अधिनियम का स्थान ले । उसमें संशोधन करने की बात समझ में आ सकती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

है। लेकिन अलग से स्वतः एक इस तरह से विधेयक लाकर कोई कानून बनाना चाहें तो यह नहीं हो सकता है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने २, ३ प्रश्न हैं। पहला यह है कि जहां तक इस उत्तर प्रदेश का संबंध है इस प्रदेश में तीन चौथाई जनता हिन्दी बोलती है.....

श्री अध्यक्ष--

यह मेरिट का प्रश्न है। आप वैधानिक प्रश्न पर आपत्ति कीजिये।

*श्री कमलासिंह यादव--

मैं आपके सामने वैधानिक बात ही रखना चाहता हूं। वह यह है कि जब हमारी भाषा हिन्दी है और तीन चौथाई जनता यहां की हिन्दी बोलती है तो उसके लिये ३४७ में यह दिया हुआ है कि :

"On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify."

इस धारा के मुताबिक यहां के बाशिन्दगान ने एक बार यह डिमान्ड प्रेसिडेंट से की कि हम अपनी भाषा हिन्दी रखना चाहते हैं। उनके आदेश के अनुसार इस सदन ने यहां की भाषा हिन्दी एडाप्ट की जिससे हमारे यहां की भाषा हिन्दी घोषित की गई और उसके लिये दो विधेयक इस सदन में पारित किये गये जो यहां पर १९५०-५१ में पारित किये गये जो संविधान की धारा ३४८ (३) के अनुसार थे। उस अधिनियम के शुरू में यह दिया है कि--

"Whereas clause (3) of article 348 of Constitution of India provides inter alia that language for use in Bills introduced in, or Acts passed by the Legislature of a State may, if the Legislature has so prescribed, be other than the English language."

तो यह सन् १९५० का जो लैंगवेज का अधिनियम है उसको संशोधित करने के लिये नहीं लाया गया है। आज जो यह विधेयक पेश किया जा रहा है यह किसी तरह से उसको अमेंड करने के लिये नहीं पेश किया जा रहा है। जब ३४७ में यह साफ दिया हुआ है कि:--

"On a demand being made in that behalf the President may, if he is satisfied that a substantial poportion of the propulation of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such propose as he may specify."

तो इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह अपनी भाषा अपने प्रदेश के लिये एडाप्ट करे। आर्टिफल ३४८ (३) को आप देखें उसमें दिया है कि:--

"(3) Notwithstanding anything in sub-clause (*b*) of clause (1), where the Legislature of a State has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislature of the State or in Ordinances promulagated by the Governor of the State or in any other, rule, regulation or bye-law referred to in paragraph (iii) of that sub-clause, a translation of the same in the English language published under

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

the authority of the Governor of the State in the official *Gazette* of that State shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article."

तो भाषा हमारे यहां हो गयी लेकिन जैसी हाईकोर्ट्स की रूलिंग है वे अंग्रेजी भाषा के ट्रान्सलेशन को मानती हैं। यहां की जनता हिन्दी जानती है उसके प्रतिनिधि भी ज्यादातर हिन्दी ही जानते हैं। हर विधेयक जो यहां प्रस्तुत होता है उस पर सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है। अंग्रेजी तो यहां के सदस्य समझ भी नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरिट्स पर बहस कर रहे हैं। इसको बाद में कहियेगा। आपको तो इतना ही कहना है कि ३४८ (३) में हमने एक कानून बना दिया है और जब तक उसमें कोई संशोधन न हो कोई नया कानून उसके कंट्राडिक्शन में नहीं बनाया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव---

जी हां ।

श्री उग्रसेन---

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा ही मानता हूं कि यह विधेयक पुरःस्थापित ही नहीं हुआ। यद्यपि आपने ऐसा कह दिया है और हमने सुन लिया और पता नहीं कार्यवाही में कैसे लिख लिया गया, लेकिन इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। पहले तो यह विधेयक बिलकुल असंवैधानिक है और माननीय सदस्यों की राय से मैं इत्तफाक करता हूं इसलिये कि १९५० में जो हमने कानून बनाया है उसे अभी निरस्त नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष---

आप माननीय कमलासिंह तथा श्री काशीनाथ जी की बातों को दोहराइये मत ।

श्री उग्रसेन---

मैं दोहरा नहीं रहा हूं, केवल भूमिका दे रहा हूं। जब तक वह कानून निरस्त न हो, कोई दूसरा कानून उसके स्थान पर आ नहीं सकता। उसमें आप भले ही संशोधन कर लें। मैं एक ऐतिहासिक चीज बतलाना चाहता हूं। जब यह कानून आने वाला था तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इस पर एक बड़ा विवाद उपस्थित था। गांधी जी और टंडन जी वहां मौजूद थे कि भारतीय संविधान में यह धारा क्यों जोड़ी जा रही है, जिसके अनुसार अंग्रेजी १५ वर्ष तक और रहेगी।

श्री अध्यक्ष---

यह वैधानिक बात नहीं है ।

श्री उग्रसेन---

उनका मतलब था कि ५वर्ष से अधिक की अवधि यह न होगी, लेकिन दूसरे नेताओं ने कहा. . . (व्यवधान), मेरे कहने का मतलब वैधानिक यह है कि १५ वर्ष उसमें लिखा गया तो लोगों की छाती पर सांप लोट गया। तब उन्होंने यह कहा कि हम यह १५ वर्ष लिख रहे हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि १५ वर्ष इसमें लगेंगे। तो यह जो विधेयक आया है यह अनादि और अनन्त है और अबाध गति से चलेगा और सबसे बड़ा एतराज यह है कि उत्तर प्रदेश जहां की भाषा, सदन की, देश की, समाज की, घर की, हिन्दी है वहां अंग्रेजी की १५ वर्ष की बात करें तो उसको तो अंग्रेज के मानस पुत्र ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन्हें कतई इस विधेयक पर विचार करने का अधिकार सदन नहीं दे सकता है। अगर लेंगे तो डंडे और लाठी के बल पर ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप साधारण नियम नहीं मानते हैं, आप वैधानिक बात कहिये ।

श्री उग्रसेन---

इनका विधेयक भारतीय संविधान की हत्या करता है, १९५० के भाषा विधि विधेयक की और १९५१ के विधेयक की हत्या करता है, सामाजिक कानून की आजादी, जनतंत्र और ईमानदारी की हत्या करता है । इसलिये आप इसको कतई इजाजत न दें और इसको रखने न दें ।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कानून जो बना करते हैं वह जन-साधारण के लिये बना करते हैं और उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बनते हैं, लेकिन जिस प्रदेश के ८० प्रतिशत से अधिक निवासी हिन्दी भाषा बोलते हैं तो क्या ऐसा कानून यह सदन पास कर सकता है या आप उसकी अनुमति दे सकते हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने तो इस बिल की मेरिट पर बहस की । कुंवर श्रीपाल जी ने संविधान के सम्बन्ध में आपत्ति की कि इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । तो जहां तक ३४८ का सवाल ह जिन माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठायी उनको मालूम होना चाहिये कि यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा से सम्बन्ध रखता है और उसका मतलब केवल इतना है कि यदि हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी भी हो और कोई अन्य भाषा भी हो तो भी उसका प्रमाणिक ट्रांस्लेशन होगा, वही कोर्टस के अंदर माना जायगा और उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीमित अर्थों में गवर्नर चाहें तो उस प्रदेश की हाई कोर्ट के अंदर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है । तो जहां तक इस विधेयक का सवाल है उसका ३४८ से सम्बंध नहीं है । जहां तक ३४५ का सवाल है वह तो कवल किसी भी विधान सभा को इस बात के लिए अधिकार देता है कि वह अपनी भाषा के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था कर सके जैसा कि हमने १९५० में किया और नेकराम जी ने जिसका उल्लेख किया । (व्यवधान) माननीय उग्रसेन भी गौर से सुनें । चिल्लाने से काम नहीं चलता है । तो जहां तक २१० खंड का सवाल है जिसका माननीय रघुनाथ सिंह जी ने उल्लेख किया ....

श्री रघुनाथसिंह---

३४५ का जो प्रतिबंधात्मक खंड है उसे भी पढ़ दीजिये, वही मैंने पढ़ा था ।

श्री बनारसीदास---

आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, जो मैं उचित समझूंगा उसका जवाब दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

(श्री रघुनाथसिंह से) आपने अपनी बात रखी, अब मंत्री जी की बात सुनें ।

(व्यवधान)

हर माननीय सदस्य को अपनी-अपनी बात कहने का पुर्ण अधिकार है । माननीय मंत्री जी की बात को आप लोग पहले सुन लें, फिर अगर आपको कुछ कहना होगा तो उसका मौका मैं आपको दूंगा । बीच में खड़े होकर इस तरह से कुछ कहना ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बनारसीदास---

मैं तो केवल इस प्रकार के तर्कों का ही उत्तर दे सकता हूं जिसका वास्ता संविधान से हो और जिसका संबंध अनर्गल बातों से न हो। ३४५ में तो केवल यह है कि स्टेट एक या एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग के लिये कानून बना सकती है। २१० में जैसा माननीय रघुनाथ सिंह ने पढ़ा ह---

"(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the provisions of article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the Official language or languages of the State or in Hindi or in English."

आगे चल कर यह कहा गया है—

"(2) Unless the Legislature of the State by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constittion, have effect as if the words "or in English" were omitted therefrom"'

इसका मतलब यह है कि यदि विधान सभा कानून के जरिये से कोई कानून नहीं बनाती तो १५ वर्ष के लिये यह माना जायेगा कि इस खंड की इस उपधारा के अंतर्गत अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ था ही नहीं। यानी इस विधान सभा को यह पूर्ण अधिकार है कि वह इस विधेयक को पास करे या न करे अगर पास न करें तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। (व्यवधान) तो आपको देखना यह है कि सदन सक्षम है या नहीं इस तरह के विधेयक को पास करने के लिये। यह बात दूसरी है कि सक्षम होते हुये भी वह इसे पारित न कर। जहां तक इसकी आवश्यकता का सवाल है वह अलग है ....

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---

इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री बनारसीदास---

उसके लिये कारण उसके उद्देश्य और कारणों में दिये हुये हैं। तो मैं यह कह रहा था कि १५ साल के बाद, जो २६ जनवरी, १९६५ को समाप्त हो जायेगा, हम संशोधन नहीं लाते तो अंग्रेजी अपने आप समाप्त हो जायेगी। इसलिये ३४३ में जो अधिकार हमको दिया गया है अपनी भाषा के सम्बन्ध में कानून बनाने का, उसी के अंतर्गत हम यह संशोधन कर रहे हैं या जो कि ओरीजनल बिल मौलिक रूप से अंग्रेजी में हैं उनमें संशोधन भी अंग्रेजी के शब्दों में किया जाय, केवल इतना उसका अर्थ है।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, इनसे पूछा जाय कि ये १५ बरस तक करते क्या रहे, सिवाय मौज मारने के।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न वैधानिक आपत्ति के रूप में उपस्थित किये गये हैं, उनमें पहला प्रश्न माननीय श्रीपाल सिंह जी ने यह रखा कि लिस्ट में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस सदन में ऐसा बिल पास हो सकता है या राज्य भाषा सम्बन्धी कोई बिल प्रस्तुत होकर पास हो सकता है। मेरा मत यह है कि अनुच्छेद ३४५ अधिकार देता है कि लोक सभा और विधान मंडल कानून पास कर सकते हैं और कैसे कानून पास कर सकते हैं। अनुच्छेद ३४५ के शब्द इस प्रकार हैं:--- अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबंधों के अधीन रहत हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य

[श्री अध्यक्ष]

के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा :

इस अनुच्छेद के अतर्गत हमें अधिकार है कि हम अपने राज्य कार्यों के लिये कौन सी भाषा को अंगीकार करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में कानून बना दें। ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राजकीय कार्यों के लिये हम कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार से ३४८ के अंतर्गत यह है कि राज्य विधान मंडलों को अधिकार है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषा को अंगीकार करके बिल्स, आर्डिनेंसेज, आदि, आदि के लिये, विधेयकों के लिये और अन्य कार्यों क लिये कानून बना सकते हैं कि अंग्रेजी के अतिरिक्त हम हिन्दी भाषा को अंगीकार करें। मगर उसमें एक प्रतिबन्ध हमारे ऊपर यह लगा है कि अगर कोई विधान मंडल अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा को विधेयकों के लिये अंगीकार कर ले तो उसके लिये आवश्यक होगा कि एक अंग्रेजी अनुवाद रखें जो कि अथारिटेटिव टैक्स्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिये माना जायगा। हमने इन्हीं दो अनुच्छेदों के अंतर्गत दो विधेयक इस सदन में पारित किये, एक १९५० में और दूसरा १९५१ में, और उनमें हमने यह निश्चय किया कि राजकीय प्रयोजनों के लिये हमारी भाषा हिन्दी होगी और विधेयकों के लिये, अध्यादेशों के लिये, उपविधियों के लिये, सभी के लिये हमने यह नियम बना दिया कि हम हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। यह सूरत हो गई। अब ३४५ और ३४८ के अंतर्गत हमने कानून बना दिया।

अब अगर आप २१० को देखें तो उसमें उपबन्ध यह है कि भाग १७ में किसी बात के होते हुये भी, अर्थात् वह भाग जिसमें ३४५, ३४६, ३४७ और ३४८ अनुच्छेद हैं, यह भाग के कुछ होते हुये भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कानून बन सकेगा, अर्थात् इसका मंशा यह है कि २१० के अंतर्गत पाबन्दी इस संविधान के भाग १७ की नहीं है, ३४८ अनुच्छेद की है। अर्थात् भाग १७ में ३४८ अनुच्छेद को छोड़कर और किसी अनुच्छेद की पाबंदी या प्रतिबन्ध २१० पर नहीं है। अब कहते यह हैं कि भाग १७ में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायगा। अब इसके ऊपर एक बहुत सुन्दर बहस माननीय रघुनाथसिंह ने रखी। उनका कहना यह है कि जहां पर 'या' शब्द का प्रयोग होता है वह विच्छेदात्मक होता है, यानी डिसजंक्टिव होता है, कंजंक्टिव नहीं होता है। तो जहां डिसजंक्टिव शब्द का प्रयोग होता है वहां आपकी बहस यह है कि केवल एक ही भाषा हो सकती है और चूंकि हमने हिन्दी को स्वीकार कर लिया, इसलिये अब अंग्रेजी रह ही नहीं गई। और चूंकि अंग्रेजी को हमने सन् १९५० में ही निकाल दिया या १९५१ में निकाल दिया, अतः यह विधेयक जो लाया जा रहा है, गलत है। मैं मानता हूं कि इस बहस में तथ्य है लेकिन बिलकुल निर्णयात्मक बहस है इसको मानने में कठिनाई हो रही है। कानून के पंडितों का मत यह है कि यद्यपि हमने विधेयक द्वारा या अधिनियम द्वारा हिन्दी को ग्रहण कर लिया है तो भी, उस अधिनियम के बावजूद भी, यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अंग्रेजी को बिलकुल निकाल दिया। तो उसका मतलब यह कहते हैं यह है कि दोनों इंगलिश और हिन्दी रह गये। ऐसा कानूनी पंडितों का मत है। (व्यवधान) आप न सहमत हों, मैं मानता हूं। मैं सहमत न होऊं, मानता हूं। लेकिन मैं तो आपके सामने....

श्री रघुनाथसिंह—

एक वाक्य और इसी वक्त आपको याद दिला देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे खत्म कर लेने दीजिए।

श्री रघुनाथसिंह---

२४५ का प्रतिबन्धात्मक वाक्य जो है....

श्री अध्यक्ष---

आप मुझे समाप्त कर लेने दीजिये। उस पर भी मैं आऊंगा।

तो २१० के बारे में हमारे कानूनी पंडित इस बहस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और क्योंकि इसमें मतभेद है, इस वजह से मैं समझता हूं कि जहां मतभेद हो, वहां बहैसियत अध्यक्ष के मैं यह निर्णय नहीं दे सकता कि यह गलत या सही हो रहा है। यह अदालत पर मैं छोड़ता हूं। (व्यवधान) आप बीच में बोलते हैं। (व्यवधान) अच्छा तो मैं निर्णय दिये देता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

नहीं, नहीं, आप ऐसे निर्णय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

जो बात परम्परा से, तमाम संसदीय पद्धतियों में स्वीकार हो चुकी है कि स्पीकर ऐसा निर्णय नहीं कर सकता जहां पर शंका हो, और ऐसा काम करे जो कि अदालत कर सकती है (व्यवधान) अगर मेरा विश्वास होता कि मैं सही हूं ....

श्री उग्रसेन---

मेरा निवेदन यह है कि आप किसी भी अवसर पर हमें माननीय कन्हैयालाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल की ओपिनियन सुनवाइये, उनकी ओपिनियन सदन के सामने आ जाने के बाद ही इस पर विचार हो सकता है।

श्री रघुनाथसिंह---

अध्यक्ष महोदय, निर्णय तो २४५ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में है। वही निर्णय आपको देना है।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, आप समझते यह हैं कि फैसला आप को देना है, लेकिन फैसला मुझको देना है।

श्री भगवान सहाय---

मैं जानना चाहता हूं कि आपके कानूनी पंडित कौन हैं?

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास एडवोकेट जनरल की ओपीनियन आयी है, उसे मैं देख चुका हूं।

श्री उग्रसेन---

पहले आप हमारे निवेदन को खारिज कीजिये कि माननीय कन्हैयालाल मिश्र को आप नहीं सुनवायेंगे, तब आप निर्णय दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह आवश्यक नहीं है।

श्री उग्रसेन---

बिलकुल आवश्यक है। श्रीमन्, यह वैसा ही महत्वपूर्ण मसला है जैसा कि श्री केशव सिंह का प्रेसीडेंशियल रेफरेंस का केस है जिसमें माननीय न्यायाधीश तय नहीं कर पा रहे ह और आप भी नहीं तय कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे बता दूं, अगर मेरे पास एडवोकेट जनरल का मत न होता तो मैं उनको जरूर बुलाता ।

श्री भगवान सहाय—

एडवोकेट जनरल का मत पढ़ दीजिये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं एडवोकेट जनरल की राय के बारे में ।

श्री अध्यक्ष—

वह आप बाद में पूछियेगा । अब २४५ का जहां तक सवाल है. . . .

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप तो फैसला दे देंगे, उससे पहले मुझे एक जानकारी करनी है ।

श्री अध्यक्ष—

उस जानकारी से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

हमें भी तो उतना ही अधिकार है जितना आपको है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हमारा निवेदन सुन लीजिये, उसके बाद फैसला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अनुच्छेद २४५ के परन्तुक से संबंधित जो विषय प्रस्तुत है उसके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं । एक विषय तो यह लाया गया है कि २४५ के अन्तर्गत यह कानून नहीं बन सकता । इस वास्ते कि सूची में इसका उल्लेख नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं । आपने अभी यह कहा कि एडवोकेट जनरल की राय आपके पास आ चुकी है । क्या एडवोकेट जनरल की राय को आप फाइनल राय मान रहे हैं, जिसके बारे में आप कह चुके हैं कि उन्होंने आपको गलत राय देकर धोखा दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अनुच्छेद २४५ के अन्तर्गत कुंवर श्रीपालसिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया है । उसमें यह है कि—इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्रों अथवा उसके किसी भाग के लिये विधेयक बना सकेगा अथवा किसी राज्य के विधान मंडल या सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बना सकेगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मैंने २४८ (१) को कोट किया था ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप उसको समझते हैं तो उसको भी पढ़ दूंगा । तो २४५ में यह अधिकार दिया हुआ है कि इस संविधान के उपबन्धों के अधीन यह विधान मंडल कानून बना सकता

है। अनुच्छेद २१० में यह अधिकार दिया हुआ है विधान मंडल को कानून और विधि बनाये। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है---"जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करें" इसलिये इस आदरणीय सदन को इस कानून को बनाने का अधिकार है। चूंकि २१० में इस विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है इस वजह से २४५ में यह सदन सक्षम है ।

अब माननीय सदस्य कहते हैं कि २४८ को देखा जाय । २४८ में यह लिखा हुआ है कि विधान मंडल को अमुक सूची के विषय पर कानून बनाने का एकांकी अधिकार होगा और अमुक सूची के विषय पर विधान मंडल और लोक सभा दोनों को ही अधिकार होगा । उसका मतलब यह नहीं है कि एक विषय जो उसमें दिया है, वह सारे संविधान को मेट देता है ।

अन्त में एक प्रश्न काशीनाथ जी ने उठाया है कि यह पुर:स्थापित नहीं हुआ । इस विषय में मेरा मत यह है कि जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय मेरी समझ में यही आया कि उन्होंने पढ़ कर सुनाया । यही चीज कार्यवाही में भी लिखी है, उसको ही हम सही मानते हैं और उसके विरुद्ध कोई बात मानी भी नहीं जानी चाहिये । ऐसी अवस्था में वह चूंकि ठीक प्रकार से पुर:स्थापित हुआ है अत: इसके ऊपर सदन विचार कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री ।

श्री बंशीधर पांडेय---

अध्यक्ष जी.....

श्री नेकराम शर्मा---

एक बात मेरी समझ में नहीं आयी.....

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है । १९५० का जो विधेयक आपने पढ़ा वह नियम ३४८ के अन्तर्गत बना हुआ है और जो अपनी जगह ज्यों का त्यों मौजूद है.....

श्री अध्यक्ष---

उससे यह सम्बन्धित नहीं है । अब तो मैंने रूलिंग दे दी ।

श्री उग्रसेन---

अभी आपकी रूलिंग नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष---

मेरी रूलिंग हो गयी है ।

(इस समय २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

श्री उग्रसेन---

उपाध्यक्ष जी, आप अपनी व्यवस्था देने में जल्दी न कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अध्यक्ष ने अपना निर्णय दे दिया है ।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह---

इसके सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया है उसके विरोध में हम लोग ५ मिनट के लिये वाक-आउट करते हैं ।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भगवान सहाय---

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि एडवोकेट जनरल का मत इस सम्बन्ध में क्या है, उसे आप सुना दें। यह कोई कांफिडेंशियल डाकुमेंट तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष महोदय की रूलिंग के बाद अब मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री को बोलने के लिये बुला भी लिया था।

श्री उग्रसेन---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो संवैधानिक तर्क-वितर्क सुना, उसके बाद उन्होंने अपनी कोई व्यवस्था नहीं दी, तो हमें भी कुछ मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने व्यवस्था दे दी है।

श्री उग्रसेन---

यह बिलकुल गलत है, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया और माननीय मुख्य मंत्री को बुलाया।

श्री उग्रसेन---

आप किसी माननीय सदस्य से पूछ लें कि माननीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय दिया ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने अध्यक्ष महोदय को निर्णय देते हुए सुना था, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बैठें। माननीय मुख्य मंत्री।

श्री उग्रसेन---

आप कार्यवाही देखें कि क्या उन्होंने निर्णय दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

हां, दिया है।

श्री उग्रसेन---

नहीं दिया है, आप पढ़ कर बतलावें कि उन्होंने क्या व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था देने के बाद उन्होंने मुख्य मंत्री को बुला भी लिया था।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

उन्होंने क्या निर्णय दिया है, इसका हमें कुछ पता नहीं है। आप हमें पहले बतलायें तो।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई पूछने की बात नहीं है। मैंने मुख्य मंत्री को बुला लिया है।

(श्री बंशीधर पांडेय के खड़े होने पर।)

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष महोदय ने अपनी रूलिंग दे दी है।

श्री उग्रसेन---

अगर इसी तरह का निर्णय होता रहा तो इस उत्तर प्रदेश में जनतंत्र का नाश हो जायगा और यहां तानाशाही बरपा होगी। यह कोई व्यवस्था न होकर डंडेबाजी और हिटलरशाही की व्यवस्था है। मैं इसको गलत समझता हूं कि सदन को तो कोई जानकारी न हो और अध्यक्ष महोदय चुपके से कमरे में जाकर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था चुपके से नहीं दी गई, पूर्ण प्रकाश डाल कर सब बातों पर दी गई है, अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन---

वह तानाशाही चलाने के लिये बैठे हैं, अंग्रेजी की गुलामी हम से भी कराना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन---

किस बात के लिये बैठ जायं। यह अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेजी नहीं थोपी जा सकती, वह हमारी भाषा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष जो अपना निर्णय दे चुके हैं अब उसके बारे में कोई दूसरी बात नहीं हो सकती और अब मुख्य मंत्री बुलाये जा चुके हैं।

श्री उग्रसेन---

आपकी यही व्यवस्था है और इस सरकार की यही हठधर्मी है इसी तरह से सूबे की जनता का गला घोंटा जायगा तो कल सारे प्रदेश में हड़ताल रहेगी १८ अगस्त को सारे काम-काज ठप्प रहेंगे और आपके इस तरह के निजाम के खिलाफ बगावत फैलेगी। मुझे बनारसी दास जी पर और सुचेता कृपालानी पर तरस आता है कि इस तरह की तानाशाही की हुकूमत चला रहे हैं तो उनका क्या हश्र होगा। मैं मदन मोहन वर्मा के खिलाफ, उनसे कह दें कि अविश्वास का प्रस्ताव लाऊंगा चाहे हमारा समर्थन हो या न हो। हम ऐसी व्यवस्था के विरोध में दस मिनट के लिये अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, आप बैठ जायं। व्यवस्था का प्रश्न बीच में नहीं उठता, जिस पर निर्णय हो चुका उस पर अब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अब मुख्य मंत्री भी बुलाये जा चुके हैं। अब कोई व्यवस्था का सवाल पैदा नहीं होता। आप अब बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री लखपतराम शर्मा--

आपने जो कहा है मैं उसके सम्बन्ध में ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

इस तरह से यह सदन चलने वाला नहीं है. आप व्यवस्था उनकी सुन लें। अगर प्रजातंत्र को आप कायम रखना चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं सुनेंगे।

श्री भगवान सहाय--

आपको संविधान के अनुसार व्यवस्था का प्रश्न सुनना होगा इसके अलावा हमारे पास अपनी बात कहने का कोई इलाज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपको एतराज है तो आप बाहर चले जायं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

आप कौन हैं कहने वाले कि बाहर चले जाओ।

(व्यवधान--अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं वर्ना मुझे इंगित करना पड़ेगा।

श्री रामेश्वरप्रसाद--

आप किस-किस को इंगित करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा--

आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, आप बैठें या बाहर जायं।

मैं श्री लखपतराम शर्मा को इंगित करता हूं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री लखपत राम शर्मा को सदन की सेवा से १५ दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री लखपतराम शर्मा को सदन की सेवा से १५ दिन के लिये निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब श्री लखपतराम शर्मा कृपया सदन छोड़ें ।

(श्री लखपतराम शर्मा के सदन के बाहर न जाने पर)

श्री भगवान सहाय--

मैं डिवीजन मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने डिवीजन की मांग समय पर नहीं की ।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन का अपमान किया है । मैं आपके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न रखूंगा । सेंस आफ दी हाउस यही है कि आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिये । अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो इससे लोक तंत्र को आघात पहुंचेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मार्शल, श्री लखपतराम शर्मा को बाहर ले जायं ।

श्री भगवानसहाय--

श्रीमन्, आप से और माननीय उपनेता सदन तथा माननीय गेंदासिंह जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह अपनी राय दें कि व्यवस्था का प्रश्न जब कभी उठाया जायगा वह आपको सुनना होगा या नहीं। आप व्यवस्था का प्रश्न बिना सुने हुए किसी को नहीं बैठा सकते । अगर इस मामूली सी बात पर भी आप सदस्यों को निकालना चाहेंगे, तो यह धांधली आपकी हम नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री लखपतराम शर्मा ने सदन नहीं छोड़ा । इस स्थिति में मार्शल श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से काउन्सिल हाउस गार्डस की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये ।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

जरा आप बतायें कि माननीय अध्यक्ष ने क्या व्यवस्था दी थी ?

श्री उग्रसेन--

आप इस तरह से विधान सभा को नहीं चला सकते ।

(इस समय भी विरोधी दलों के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े थे । सदन में अभी भी बहुत शोर हो रहा था ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, आप बैठ जायं, नहीं तो सदन छोड़िये ।

(श्री उपाध्यक्ष के रोकने पर भी श्री उग्रसेन बराबर बोलते रहे और अपना स्थान ग्रहण नहीं किया ।)

तो मैं श्री उग्रसेन को इंगित करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय उग्रसेन को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उग्रसेन सदन से बाहर नहीं गये । श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी उन्होंने सदन नहीं छोड़ा । इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये ।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं नहीं बैठता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये या सदन छोड़िये ।

(श्री ब्रह्मदत्त मायर के न बैठने पर)

तो मैं श्री ब्रह्मदत्त मायर को इंगित करता हूं । (व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ब्रह्मदत्त मायर को सदन की सेवा से एक माह के लिए निलंबित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री ब्रह्मदत्त मायर को सदन की सेवा से एक माह के लिए निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री ब्रह्मदत्त मायर सदन से बाहर नहीं गये । श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी उन्होंने सदन नहीं छोड़ा । इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से काउसिल हाउस गार्डस की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये ।)

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

श्रीमन, आप अंग्रेजियत को लाकर गरीबों की गरदनों पर छुरा चला रहे हैं । अगर आप सरकार को नहीं चला सकते हैं तो आप को छोड़ कर चला जाना चाहिये । हिन्दी भाषा अमर है । अंग्रेजियत का नाश हो ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि इस समय सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । क्या यह सदन स्थगित समझा जाय ?

(व्यवधान)

अनेक सदस्य--

हिन्दी भाषा अमर रहे, गरीबों की भाषा अमर रहे ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

अपने देश के लिए भाषा के लिए जलियांवाला बाग में हम गोली के शिकार हुए । आज अंग्रेजी को सहारा देकर हिन्दी को खत्म करके विरोधी दल की सही बात को दबाया जा रहा है । लाओ, देखें कितनी पुलिस है, कितनी फौज है !

श्री भगवानसहाय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री भगवानसहाय--

मैं नहीं बैठता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये या सदन छोड़िये ।

श्री भगवान सहाय--

न मैं बैठूंगा और न सदन छोड़ूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो मैं श्री भगवानसहाय को इंगित करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री भगवान सहाय को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री भगवान सहाय को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

(श्री भगवान सहाय सदन से बाहर नहीं गये। श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी उन्होंने सदन नहीं छोड़ा। इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से, कौंसिल हाउस गार्डस की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये। इस समय श्री भगवानदास यादवेन्दु ने पुनः भाषण देना शुरू किया। श्री उपाध्यक्ष के बार-बार रोकने पर भी वे बराबर बोलते रहे और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। तब श्री उपाध्यक्ष ने उन्हें सदन के बाहर जाने की आज्ञा दी। किन्तु उन्होंने सदन नहीं छोड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय भगवानदास यादवेन्दु को इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री भगवानदास यादवेन्दु को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री भगवानदास यादवेन्दु को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री भगवान दास यादवेन्दु सदन से बाहर नहीं गये। श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी उन्होंने सदन नहीं छोड़ा। इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये। इसी बीच श्री चन्द्रबली सिंह ने भाषण देना प्रारम्भ किया। श्री उपाध्यक्ष के बार-बार रोकने पर भी वे बराबर बोलते रहे और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। श्री उपाध्यक्ष ने तब उन्हें सदन से बाहर जाने की आज्ञा दी किन्तु उन्होंने सदन नहीं छोड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं श्री चन्द्रबली सिंह को इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री चन्द्रबलीसिंह को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रबलीसिंह को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री चन्द्रबलीसिंह सदन से बाहर नहीं गये। श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी उन्होंने सदन नहीं छोड़ा। इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से, काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उन्हें सदन से बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद, आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आप जानते हैं कि यह आपका अनर्गल प्रलाप है।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद के न बैठने पर) मैं श्री टम्बेश्वरप्रसाद को इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री टम्बेश्वरप्रसाद को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री टम्बेश्वरप्रसाद को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री टम्बेश्वरप्रसाद सदन से बाहर नहीं गये । श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर जब वह काउन्सिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, तब वे सदन से बाहर चले गये ।)

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी प्रार्थना है कि सदन का कार्य चलने दिया जाय। (घोर-शोर) मैं देख रहा हूं कि सदन का कार्य शान्ति से नहीं चल रहा है इसलिये यह सदन आध घंटे के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इस समय २ बजकर ४५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजकर १५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, मेरा नम्र निवेदन है कि इस सदन की मर्यादा कायम रखने के लिये इस हाउस को शान्तिपूर्वक चलने दीजिये । निकलने में न आपकी शोभा है, न इस सदन की शोभा है ।

अनेक सदस्य--

नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ।

(इस समय सदन में घोर शोर हो रहा था ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शिक्षक जी, आप बैठ जाइये ।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मैं नहीं बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो फिर आप कृपया सदन छोड़ दीजिये ।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मैं सदन को नहीं छोड़ूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो फिर मैं श्री नाथूराम शिक्षक को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री नाथूराम शिक्षक को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री नाथूराम शिक्षक को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

मार्शल, श्री नाथूराम शिक्षक को बाहर ले जायं ।

(मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री नाथूराम शिक्षक ने सदन नहीं छोड़ा । इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से, जब काउन्सिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, वे सदन से बाहर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय काशीनाथ मिश्र जी, आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं नहीं बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो फिर कृपया आप सदन छोड़ दीजिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं सदन को नहीं छोड़ूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं श्री काशीनाथ मिश्र को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री काशीनाथ मिश्र को सदन की सेवा से एक मास के लिए निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री काशीनाथ मिश्र को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

मार्शल, श्री काशीनाथ मिश्र को बाहर ले जायं।

(मार्शल की प्रार्थना पर श्री काशीनाथ मिश्र ने सदन नहीं छोड़ा। तब श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से, जब मार्शल काउन्सिल गार्ड्स हाउस के साथ उनके पास गये, वे सदन से बाहर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रघुनाथ सिंह जी, आप कृपया बैठ जाइये।

श्री रघुनाथसिंह---

मैं नहीं बैठता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

तो फिर कृपया आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री रघुनाथसिंह---

मैं सदन को नहीं छोड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

तो फिर मैं श्री रघुनाथसिंह को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रघुनाथ सिंह को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री रघुनाथ सिंह को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाये। (व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

मार्शल, श्री रघुनाथसिंह को सदन से बाहर ले जायं।

(मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री रघुनाथ सिंह ने सदन नहीं छोड़ा। इस स्थिति में मार्शल श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से, जब काउन्सिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, तो वे सदन से बाहर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय से) आप कृपया बैठ जाइये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं नहीं बैठूंगा। हिन्दी भाषा के लिये मैं अपना बलिदान तक कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप सदन छोड़िये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मैं सदन नहीं छोड़ सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं श्री केशरीप्रसाद पांडेय को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री केशरीप्रसाद पांडेय को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय केशरी प्रसाद पांडेय को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय । (व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय ने सदन नहीं छोड़ा । तब श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल जब काउंसिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, वे सदन से बाहर चले गये ।)

श्री नेकराम शर्मा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन को कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि इस हाउस को कल तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री राधेश्याम शर्मा से) आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा हूं और कुछ अभी तक कहा भी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप सदन छोड़िये ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

मैं बाहर नहीं जा सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं श्री राधेश्याम जी को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राधेश्याम शर्मा को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री राधेश्याम शर्मा को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय ।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री राधेश्याम शर्मा ने सदन नहीं छोड़ा। तब श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल जब काउंसिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, वे सदन से बाहर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष---

(कुंवर श्रीपाल सिंह से) आप कृपया बैठ जाइये ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैं नहीं बैठ सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा, तो आप कृपया सदन छोड़िये ।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कुंवर श्रीपालसिंह जी को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुंवर श्रीपालसिंह जी को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय । (व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी कुंवर श्रीपालसिंह ने सदन नहीं छोड़ा। इस स्थिति में मार्शल, श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से जब काउंसिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, वे बाहर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री विजयसिंह से) आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप सदन छोड़िये ।

श्री विजयसिंह---

मैं सदन भी नहीं छोड़ूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय विजयसिंह को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री विजयसिंह को एक मास के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री विजय सिंह को एक मास के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री विजय सिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री लखीसिंह से) आप कृपया बैठ जायं।

लखीसिंह (जिला मथुरा)---

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप सदन छोड़िये।

श्री लखीसिंह---

मैं सदन नहीं छोड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं माननीय लखीसिंह को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री लखीसिंह को सदन की सेवा से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री लखीसिंह को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री लखीसिंह ने सदन को नहीं छोड़ा। तदुपरान्त श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उन्हें सदन के बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

रामसुन्दर जी, आप बैठ जाइये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

इस सम्बन्ध में हमारी ओर से कुछ प्रश्न किये गये थे जिनका सरकार ने समुचित उत्तर नहीं दिया.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये अथवा सदन छोड़ दीजिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं बैठने को तैयार नहीं हूं। आप मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं श्री रामसुन्दर पाण्डेय जी को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय रामसुन्दर पाण्डेय को सदन सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री रामसुन्दर पाण्डेय को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने सदन नहीं छोड़ा। तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल जब काउन्सिल हाउस गार्ड्स के साथ उनके पास गये, वे सदन से बाहर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

जगदीश पांडेय जी, आप बैठिये।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय जी को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री जगदीशप्रसाद पांडेय जी को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री जगदीशप्रसाद पांडेय जी को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी श्री जगदीशप्रसाद पांडेय ने सदन नहीं छोड़ा। तदुपरान्त श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से उन्हें सदन के बाहर ले गये।)

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

मेरी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय, कि कुछ लोग प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहते थे और उनको मौका आपने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बिलकुल गलत बात है। ऐसा नहीं हुआ। आप बैठ जाइये या सदन छोड़िये।

श्री जेड० ए० अहमद--

मैं नहीं बैठूंगा और न सदन ही छोड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं आप को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय जेड० ए० अहमद को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री जेड० ए० अहमद को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर श्री जेड० ए० अहमद सदन छोड़ कर बाहर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री शिवचरण जी, आप बैठ जाइये।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

मैं नहीं बैठूंगा, मातृभाषा अमर रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

तो आप सदन छोड़िये।

श्री शिवचरण---

सदन किस का है? आप का नहीं है, किसान का है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं श्री शिवचरण को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शिवचरण को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री शिवचरण को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल श्री शिवचरण को काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से सदन से बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री बालोजी अग्रवाल, आप विराज जाइये।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---

मैं नहीं बैठता।

श्री उपाध्यक्ष---

तो आप सदन छोड़िये ।

श्री बालोजी अग्रवाल---

मैं सदन नहीं छोड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं श्री बालोजी अग्रवाल को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बालोजी अग्रवाल को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलंबित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री बालोजी अग्रवाल को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलंबित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल श्री बालोजी अग्रवाल को कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से सदन के बाहर ले गये।)

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप उधर के प्रस्तावों को सुनते हैं, हमारे प्रस्तावों को नहीं सुनते। मेरा यह प्रस्ताव है कि हिन्दी के जो जानी दुश्मन बनारसीदास हैं उनको एक साल के लिये निलंबित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

कहां है आप का प्रस्ताव ? आप बैठ जाइये ।

कुंवर तेजभानसिंह---

हम नहीं बैठेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो आप सदन छोड़िये ।

कुंवर तेजभानसिंह---

मैं सदन नहीं छोड़ूंगा, बनारसीदास सदन छोड़ें ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं कुंवर तेजभानसिंह को इंगित करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुंवर तेजभानसिंह को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलंबित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि कुंवर तेजभानसिंह को सदन की सेवा से एक महीने के लिये निलंबित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल कौंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री तेजभानसिंह को सदन के बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

सरदार बलदेवसिंह, आप बैठिये।

सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

तो आप सदन छोड़ें।

सरदार बलदेवसिंह---

मैं नहीं छोड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं सरदार बलदेवसिंह को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरदार बलदेवसिंह को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलंबित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सरदार बलदेवसिंह को सदन की सेवा से एक महीने के लिए निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल सरदार बलदेवसिंह को काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से सदन से बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री मुकुटबिहारीलाल, आप या तो बैठें या सदन छोड़ें।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

नहीं बैठेंगे। (अत्यन्त शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं श्री मुकटबिहारीलाल को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुकटबिहारीलाल को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री मुकटबिहारीलाल को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय। (व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल श्री मुकटबिहारी लाल को काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से सदन के बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नत्थाराम जी रावत, आप कृपया बैठिये या सदन छोड़िये।

(श्री नत्थाराम रावत द्वारा न बैठने और न सदन छोड़ने पर) मैं माननीय नत्थाराम रावत को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय नत्थाराम रावत को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय नत्थाराम रावत को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ?

(शोर गुल के बीच)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल श्री नत्था राम रावत को काउंसिल हाउस के गार्ड्स की सहायता से सदन के बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय रक्षपालसिंह, माननीय रामचरण शाह, आप लोग कृपया बैठिये या सदन छोड़िये।

(माननीय सदस्यों के बैठने तथा सदन छोड़ने से इन्कार करने पर) मैं सर्वश्री हरिनाथ तिवारी, रक्षपालसिंह तथा रामचरण शाह को इंगित करता हूं।

श्री बनारसी दास--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय रक्षपालसिंह तथा माननीय रामचरणशाह, को एक-एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय रक्षपालसिंह तथा माननीय रामचरण शाह को एक-एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ?

(शोर)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल काउंसिल हाउस गार्ड्स की सहायता से सर्वश्री हरिनाथ तिवारी, रक्षपालसिंह, रामचरण शाह को सदन से बाहर ले गये।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बिपिनबिहारी जी, आप कृपया बैठ जाइये, अथवा सदन छोड़िये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

नहीं बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय बिपिनबिहारी तिवारी को इंगित करता हूं।

श्री बनारसीदास---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय बिपिनबिहारी तिवारी को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय बिपिनबिहारी तिवारी को एक महीने के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय। (व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(तत्पश्चात् श्री उपाध्यक्ष के आदेश पर मार्शल काउंसिल हाउस के गार्ड्स की सहायता से श्री बिपिनबिहारी तिवारी को सदन से बाहर ले गये।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

हिन्दी के लिये हम हर तरह की सजा भुगतने के लिये तैयार हैं।

(अत्यन्त शोर और नारे)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष अभिसूचित संशोधनों के प्रस्तावकों के नाम पुकारे, लेकिन किसी ने भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किये।)

खंड २

सीमित प्रयोजनों के लिए विधान मंडल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

२---भारत के संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मंडल में कार्य करने के सम्बन्ध में, जहां भी आवश्यक हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उस भाषा में मूलतः पारित या बनाये गये किसी अधिनियम या नियम में संशोधन करने के सीमित प्रयोजन के लिए जारी रखा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना, तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४

सीमित प्रयोजनों के लिए राज्य विधान मंडल में कार्य करने के सम्बन्ध में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९६५ से प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब यह सदन ५ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(इस समय ३ बज कर ४४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ५ बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। इस समय भी सदन में शोर हो रहा था। विरोधी दलों के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े थे।)

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो आज घटना हुई है, उससे सचमुच हमें बड़ा दुःख है। हम समझते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार जो सरकारी पक्ष की ओर से किया गया है, अगर ऐसा ही होता रहा तो किसी भी प्रकार से जनतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि जो हिन्दी विरोधी विधेयक लाया गया था उस पर हमने कहा कि हमारी बात सुन ली जाय। हमने कहा कि वह विधेयक कार्यमंत्रणा समिति के सामने नहीं लाया गया है। उसके बारे में हमारी कोई बात नहीं सुनी गयी। हमारी तरफ से एक प्वाइंट आफ आर्डर भी उठाया गया और एडवोकेट जनरल की राय को भी सदन के सामने नहीं रखा गया। विरोधीदल ने यह भी प्राथना की कि एडवोकेट जनरल को यहां बुलाया जाय ताकि हम उनसे इस बारे में लीगल आस्पेक्ट के बारे में सुन सक। वह बात भी नहीं हुई, उनकी राय जो आप के पास आयी थी उस को भी पढ़ कर नहीं सुनाया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोगों का जो यह कहना है....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मैं आप को बता देना चाहता हूं कि विरोधीदल एक मामले में किसी प्रकार से सहयोग करने को तैयार नहीं है। अगर सरकार अपने बल पर सदन को चलाना चाहती है तो भले ही चलाये।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, जब तक सदन का कार्य समाप्त न हो जाय, तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

अगर इसी प्रकार से रहा तो विरोधीदल किसी भी प्रकार से सहयोग करने के लिये तैयार नहीं है। आप के इस कार्य से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुनें तो।

श्री माथो प्रसाद त्रिपाठी—

आप हम को जो सजा देना चाहें वह दे सकते हैं, परन्तु इस प्रकार से हम अपने सहयोग से सदन को चलने न देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों ने जो कुछ कहा है, क्या उसके बारे में भी कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। जो कुछ आप ने कहा है यह सब असत्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी।

(शोर)

जब भी उग्रसेन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि इस पर व्यवस्था हो चुकी है और अब व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। इसलिये आपने जो कहा है वह सब असत्य है और यह भी असत्य है कि मैंने जिन लोगों का नाम लिया वह किसी के इशारे पर लिया। जितने लोग कि शोर मचा रहे थे मैं स्वंय उन्हें देख रहा था। मैंने किसी खास पार्टी से नहीं बल्कि सभी पार्टियों से, कभी इधर से, कभी उधर से जो शोर कर रहे थे उनका नाम लिया। अगर आप यह कहते हैं कि आप तो शोर मचायेंगे ही, तो हाउस का कार्य तो चलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते।

(इस बीच बराबर विरोधी दल के सदस्य मेज थपथपाते रहे।)

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ के प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब बजट की प्रतियां वितरित करा दी जायं।

(सब सदस्यों को बजट की प्रतियां बांटी गयीं।)

प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में वक्तव्य

रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जहां तक सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में गल्ले की कमी हो जाने का प्रश्न है, वह स्वाभाविक ही थी। पहले योजना यह थी कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक अदालती पंचायत पर एक सस्ते गल्ले की दूकान रहे और उसके अनुसार प्रत्येक दूकान पर गेंहूं आदि भेजा जाता था। परन्तु जब राज्य सरकार का विदेशी गेंहूं का कोटा भारत सरकार ने किन्हीं मजबूरियों के कारण काफी कम कर दिया तब प्रदेश में उपलब्ध खाद्यान्नों के समुचित वितरण के निमित्त सरकार ने ४ अगस्त, १९६४ को एक आदेश समस्त जिलाधीशों को दिया है जिसके अनुसार समस्त जिलों के देहाती क्षेत्रों में (पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त) परिचय पत्र पर यूनिट प्रति मास ६ किलोग्राम गल्ला निर्धन जनों को

देने की व्यवस्था की गयी है। देहाती क्षेत्र में वितरण के हेतु ४० हजार टन गल्ला जिसमें ३० हजार टन आटा व गेहूं तथा लगभग १० हजार टन चावल उपलब्ध हैं। इस गल्ले को कमिश्नरियों में उत्पादन तथा आबादी इत्यादि के आधार पर बांटा गया है और तत्पश्चात वह जिलों में भी उसी आधार पर आबंटित किया जा रहा है। किस क्षेत्र में कितना गल्ला वितरित करना है उसे जिला खाद्य सलाहकार समितियां तय करेंगीं और उसी के निर्णय के अनुसार दूकानें काम करेंगी। इस नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप दूकानों का परिवर्तन, नयी दूकानों का खोलना तथा पुरानों में कमी किया जाना स्वाभाविक है। जिलाधीश मथुरा से टेलीफोन से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां नयी व्यवस्था को चालू करने की तैयारी की जा रही है किन्तु यह सही नहीं है कि हर न्याय पंचायत में ३५० राशन कार्ड दिये जा रहे हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार जनता को अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न सस्ते दामों पर उपलब्ध करने के लिये भरसक प्रयत्नशील है किन्तु वितरण के लिये खाद्यान्नों की मात्रा सीमित होने से सीमित जनसंख्या को ही गल्ला दिया जा सकता है। प्रदेश की सारी जनसंख्या के लिये सरकार द्वारा वितरित सस्ते खाद्यान्नों से लाभान्वित होना संभव नहीं है। देहाती क्षेत्रों की शेष जनसंख्या को उस गल्ले से जो उनके पास मौजूद है अथवा नयी फसल से उपलब्ध होगा, काम चलाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से भी गल्ला प्राप्त हो सकता है जिस पर कोई नियंत्रण इस समय नहीं है।

शहरी क्षेत्रों में भी परिचयपत्रों पर प्रति यूनिट प्रति मास ६ किलोग्राम खाद्यान्न दिये जाने का प्रबन्ध किया गया है। अन्त में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार सतत् प्रयत्नशील है कि प्रत्येक जिले को शीघ्रातिशीघ्र उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो जायं। खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप प्रदेश की खाद्य स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। केन्द्रीय सरकार से प्रदेश को प्रतिमाह १,०५,००० टन विदेशी गेंहूं प्राप्त होने का जो आश्वासन मिला है उसमें से ३०,००० टन गेंहूं और आटे के वितरण का प्रबन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है और बाकी शहरी क्षेत्रों में उपयोग किया जायगा। जुलाई के दूसरे पखवारे से बन्दरगाहों से प्रदेश में विदेशी गेंहूं की आयात में वृद्धि हुई है। १५ जुलाई से ३१ जुलाई तक बन्दरगाहों से १६८१ वैगन विदेशी गेंहूं प्रदेश को भेजा गया और १ अगस्त से १३ अगस्त तक १६५६ वैगन गेंहूं चल चुका है। खुले बाजारों में भी गेंहूं, चना और जौ की आमद में भी पिछले तीन हफ्तों में वृद्धि हुई है जिनके फलस्वरूप गेंहूं के भाव में नरमी आ गई और कई मंडियों में भावों में २ रुपये से ८ रुपया पर क्विंटल तक गिरावट हुई है।

इस बढ़ती हुई आमद और गिरते हुये भावों के कारण जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है। सरकार पूर्णरूप से सजग और प्रयत्नशील है और आशा की जाती है कि जो प्रगति हुई है वह बढ़ती रहेगी और खाद्य स्थिति में सुधार होता जायगा। इसके लिये आप सब लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है कि ऐसे कोई वक्तव्य या प्रदर्शन न किये जायं जिससे जनता में क्षोभ और असन्तोष व्याप्त हो।

बलिया जिले के रेवती दियरा क्षेत्र में जब वृष्टि अवश्य अधिक हुयी है। परन्तु वर्षा के जल से किसी भी गांव की आबादी घिरी नहीं है। कुछ मौजे, जैसे, गोपालनगर, वशिष्ट नगर और दियारामागर, घाघरा नदी की मुख्य धारा व उससे निकली अन्य धाराओं से पूरे वर्ष समान रूप से घिरे रहते हैं। अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। इन गांवों से आवागमन की सुविधा के लिये नावों का प्रबन्ध कर दिया गया है। तुर्तीपार श्रीनगर बांध के दक्षिण की तरफ अधिक वर्षा के जल से कुछ गांव अवश्य घिरे हैं पर वहां भी नावों का प्रबन्ध है। बाढ़ न होने के कारण फसल अभी औसत है। दियरा क्षेत्र में ऐसी कोई अशान्ति नहीं है कि लोग वहां से शहरों को जायं। आवश्यकतानुसार असहाय व्यक्तियों का सरकार की ओर से मुफ्त गल्ला तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां नमक तेल आदि बांटा गया है। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार बांटा जायगा। जनता की सुविधा के लिये जगह-जगह सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोल दी गयी हैं।

[श्री हरीदत्त कांडपाल]

वह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में भुखमरी व्याप्त है और चौरिया मौजे में श्री रामानन्द राय नामक व्यक्ति की मृत्यु भुखमरी से हुयी है। श्री रामानन्दराय की उम्र ७०, ७५ वर्ष की थी और वह लकवा व दमा के पुराने मरीज थे। वह लगभग २० बीघे जमीन के काश्तकार थे। उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी। श्री छबीला उपाध्याय जिन के दरवाजे पर श्री रामानन्द की मृत्यु हुई थी, का कहना है कि रामानन्द उनके दरवाजे पर मृत्यु के तीन दिन पहले से थे और उन्होंने दो दिन साधारण भोजन किया। तीसरे दिन जिस दिन मृत्यु हुई रामानन्द राय को तेज बुखार था और उपाध्याय जी के खाना व दूध देने पर भी उन्होंने लेने से इन्कार किया था। श्री रामानन्द की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई इसकी पुष्टि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रेवती निवासी श्री केदार सिंह जी ने तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने की है।

प्रदेश के पूर्वी जिले तो अभाव के क्षेत्र रहे ही हैं और अन्य जिलों की अपेक्षा यहां की खाद्य स्थिति कठिन है परन्तु यह सही नहीं है कि इन जिलों में भुखमरी है और लोग अखाद्य पदार्थ खा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद क्षेत्र के जिस हरिजन लड़की के भुखमरी से मृत्यु की सूचना दी गयी है वह सत्य नहीं है। वह लड़की ६, ७ वर्ष की थी और आठ दस रोज से विषम ज्वर से पीड़ित थी। यथा शक्ति इलाज के बावजूद भी ३० जुलाई, १९६४ को उसकी मृत्यु हो गयी। भूख से मरने की सूचना बिलकुल निराधार है इसकी पुष्टि वहां के सरपंच, उप-प्रमुख और स्वंय लड़की के पिता ने की है।

जिन तीन विशेष जिलों की खाद्य स्थिति का जिक्र किया गया है, वह सही है कि आजमगढ़ जिले में जुलाई माह में अत्यधिक जलवृष्टि के कारण सांवां, मक्का अरहर आदि खरीफ फसलों को हानि पहुंची है और अब तहसील लालगंज में वर्षा का बड़ा अभाव है जिसके कारण खरीफ फसल को और क्षति पहुंचने की आशंका है। धान के रोपण में देरी हो रही है बाकी पांच तहसीलों में वर्षा की इतनी कमी नहीं है कि धान रोपण में देरी हो।

सरकारी देय धनराशि की वसूली साधारण तौर पर हो रही है। सख्ती वहीं की जा रही है जहां व्यक्ति, आर्थिक स्थिति ठीक होते हुये भी भुगतान में देरी करने की कोशिश करता है।

इस समय कृषक मजदूरों के पास गांव में ही मजदूरी के बहुत से जरिये हैं जैसे धान की निराई धान रोपण आदि। अतः टेस्ट वर्क और मैन पावर योजना में काम करने वाले मजदूर काफी संख्या में नहीं मिल रहे हैं।

असहाय व्यक्तियों को मुफ्त गल्ला और अन्य सामग्रियां बांटने के लिये एस० डी० ओ० और तहसीलदारों को समुचित धनराशि दे दी गयी है। उसके अलावा डिस्ट्रेस तकावी भी देने के लिये आवश्यक धनराशि और आदेश दे दिये गये हैं भूमिहीनों और असहायों की एक सूची बना ली गयी है और उनको सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला लेने में प्राथमिकता दी जाती है।

आजमगढ़, जौनपुर और बलिया में इस समय क्रमशः ४७९, १९२ और २६९ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें चल रही हैं और इन पर बराबर स्टाक पहुंच रहा है। पिछले महीने में बन्दरगाहों से बिदेशी गेंहूं न आ सकने के कारण कहीं-कहीं पर स्टाक यथेष्ट मात्रा में नहीं पहुंच पाया है परन्तु अब स्थिति बहुत सुधर गयी है।

सारे प्रदेश में जखीरेबाजी को समाप्त करने के लिये आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। पंजाब से आटे, मैदे का आयात आरम्भ होते ही स्थिति में और भी सुधार हो जाने की आशा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ अगस्त, १९६४ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७९ पर)

जिला परिषद् वाराणसी व नगर महापालिका वाराणसी को वर्ष १९५५-५६ से वर्ष १९६३-६४ तक दिए गए अनुदानों की सूचना

वर्ष	जिला परिषद् वाराणसी	नगर महापालिका वाराणसी
१	२	३
१९५५-५६	..	२,३०,६००
१९५६-५७	..	२,७९,५००
१९५७-५८	२०,०००	३,९१,७२२
१९५८-५९	२१,४००	४,१७,६००
१९५९-६०	१७,०००	७,५२,७००
१९६०-६१	२२,५००	६,०७,७००
१९६१-६२	९१,५९०	२,८६,९४५
१९६२-६३	३८,५००	३,०७,०९५
१९६३-६४	९,२००	३,०७,०९५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

तालिका

पद	वर्ष				
	१९६०	१९६१	१९६२	१९६३	योग
जेलर	२	३१	२	..	३५
उप-जेलर		४	७	३	१४
सहायक-जेलर		३६	४	१	४१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

Circular no. 53/M.S.

FROM

DR. S. N. CHATTERJI, P. M. S. I.,
KARAGAR MAHA NIRIKSHAK,
UTTAR PRADESH.

To

ALL HEADS OF SUBORDINATE INSTITUTIONS
UNDER THE JAIL DEPARTMENT,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, October 5, 1961.

Subject : **Permission to keep cattle in Jail lines by the staff.**

IN continuation of Correction Slip no. 19 to paragraph 1098 of the Jail Manual circulated to all the institutions under this Department, *vide* endorsement no. 133/M. S, dated 26th August, 1961, it is hereby directed that all permits that have been so far issued by the Superintendents for keeping cattle should be cancelled atonce. Fresh permits will be granted by the undersigned on the recommendations of the Superintendents. The request for keeping cattle by the staff should be forwarded on the *pro forma* appended below. Permits will be issued in the prescribed form for one year and they will be renewed every year.

Superintendents should be very careful while recommending their applications and the recommendations should not be a routine but in very exceptional cases giving full justification for such recommendations.

The permits issued by this office shall be checked by the Superintendents and the cattle found without permit shall be sent to the cattle pound.

An acknowledgment is requested.

S. N. CHATTERJI,
Karagar Maha Nirikshak.

PERMIT

1. Name of official .....
2. Designation .....
3. No. of family members .....
4. No. of cattle allowed :
   (i) Buffaloe .....
   (ii) Cow .....
   (iii) Goat .....
   (iv) Horse .....
5. Special reasons .....

नत्थी 'घ'

तालिका

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

DETAILS OF QUALIFICATIONS ADVERTISED BY THE PUBLIC SERVICE COMMISSION, U. P. FOR THE POSTS OF STATISTICAL ASSISTANTS IN SUBORDINATE AGRICULTURAL SERVICE, GROUP I DURING THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 1948 TO 14TH JULY, 1964.

Years	Minimum Qualifications Required	Preferential Qualifications
1	2	3
1950 Statistical Assistants.	(i) A Bachelor's degree with Mathematics or Statistics.	(i) Post-graduate training in modern Statistics particularly as applied to large-scale sample surveys and field experiments.
	(ii) Working knowledge of Hindi.	(ii) Experience of Statistical work.
Statistical Assistants (Field work).	(i) A Bachelor's degree with Mathematics or Statistics.	(i) Training in modern Statistics. particularly as applied to large-scale sample surveys.
	(ii) Working knowledge of Hindi.	(ii) Experience of agricultural statistics.
		(iii) Practical experience of checking area records and inspecting crop cutting surveys.
1952-53 Senior Statistical Assistant for Cotton.	A Bachelor's degree with Mathematics or Statistics.	(i) Special training in the design and analysis of field experiments, both simple and factorial and in crop-cutting surveys.
		(ii) Five-Year's experience of modern Statistical Methods.;
		(iii) Facility in the use of calculating machines.

Years	Minimum Qualifications Required	Preferential Qualifications
1	2	3
Senior Statistical Assistant at Saharanpur Gardens.	A Bachelor's degree with Mathematics or Mathematical Statistics and working knowledge of Hindi.	(i) Post-graduate training in modern Statistics particularly in the design and analysis of field experiments in a recognised Statistical Institute with special reference to Horticulture Crops. (ii) Experiment of Statistical work.
1957, Statistical Assistants.	A Bachelor's degree with Mathematics or Mathematical Statistics and working knowledge of Hindi.	(i) Master's degree in Mathematical Statistics. (ii) Training in modern Statistics, particularly as applied to large-scale sample surveys. (iii) Experience of Agriclutural statistics. (iv) Practical experience of checking area records and inspecting crop-cutting surveys, for 2 of the posts, preference will also be given to those having practical experience of land records papers maintained in the hilly area of U. P. and field experience of those hilly regions.
१९६१-६२ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ।	मैथमेटिक स्टैटिस्टिक्स के साथ बैचलर डिग्री ..	(१) मैथमैटिकल स्टैटिस्टक्स में मास्टर डिग्री; (२) मार्डन स्टैटिस्टिक्स (विशेषतया सर्वे के लार्ज स्केल सेम्पिल तथा एक्सपेरीमेंट्स की डिजायन से संबंधित) में ट्रेनिंग, तथा (३) ऐग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की अनुभव ।

शेष	वांछित न्यूनतम योग्यतायें	वरीयान योग्यतायें
१९६२–६३ स्टैटिस्टिकल असिस्टेन्ट ।	(१) मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटस्टिक्स एक सम्पूर्ण विषय के साथ बी० ए० या बी० एस० सी० डिग्री या गणित के साथ बैचलर डिग्री और सैम्पुल सर्वे तथा डिजाइन के प्रयोगों में विस्तृत पैमाने पर प्रयुक्त आधुनिक स्टैटिस्टिक्स में प्रशिक्षण और	(१) मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री । (२) इन्सटीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेटिस्टिक्स आई० सी० ए० आर०, नई दिल्ली, या इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, कलकत्ता से स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग तथा ।
	(२) हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान	(३) कृषि स्टैटिस्टिक्स का अनुभव
1963-64 Statistical Asstts.	A Bachelor's degree with Mathematics or Statistics as full subject or Mathematical Statistics.	(i) Master's degree in Matnematical Statistics. (ii) Training in Modern Statistics, particularly as applied to large-scale sample surveys and design of experiments. (iii) Post-graduate training in Statistics at Institute of Agricultural Research Statisticals (ICAR), New Delhi or India Statistics Institute, Calcutta, and (iv) Experience of Agricultural Statistics.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

तालिका—क

क्रम-संख्या	पद का नाम	कर्मचारी का नाम		नियुक्ति की तिथि
१	स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट	श्री रामलुमाया लखनपाल	..	१०—६—५८
२	,,	श्री त्रिलोकीनाथ सिन्हा	..	९—६—५८
३	,,	श्री पी० के० बनर्जी	..	१०—१—५९
४	कम्पूटर्स	श्री भामराज अग्रवाल	..	१३—१२—५७
५	,,	श्री आनन्दमोहन बली	..	१६—१२—५७
६	,,	श्री मुहम्मद सलीम	..	१४—१२—५७
७	,,	श्री प्रेम नारायन सिंह	..	२६—६—५८
८	,,	श्री मौ० अनवारूल हसन	..	२३—९—५८
९	,,	श्री गुरप्रसाद सक्सेना	..	२९—९—५८
१०	,,	श्री जेड० ए० सिद्दीकी	..	८—९—५८
११	,,	श्री एम० ए० उस्मानी	..	२३—९—५८
१२	,,	श्री शीलचन्द्र जैन	..	२२—९—५८
१३	,,	श्री गोपीनाथ शुक्ला	..	२०—११—५८
१४	,,	श्री देशराज सिंह	..	१९—२—५९
१५	,,	श्री सोमदत्त शर्मा	..	१—५—५९
१६	,,	श्री शहन्साह अब्बास	..	१२—५—५९
१७	,,	श्री बालचन्द्र शर्मा	..	१५—५—५९
१८	,,	श्री रमेश चन्द्र	..	१५—५—५९

तालिका–(ख)

१–१–४२ से ४–७–६४ की अवधि में स्टैटिस्टीशियन की जगहों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये विज्ञापनों में वर्णित आवश्यक व वरीयान योग्यताओं का विवरण।

विज्ञापन-वर्ष	पत्र-संख्या	आवश्यक योग्यताएं	वरीयान योग्यताएं
१	२	३	४
१९५०	१	मैथैमेटिक्स अथवा स्टेटिस्टिक्स में बेचलर्स डिग्री के साथ इन में किसी एक में कम से कम दो वर्ष की पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग ।	(अ) किसी मान्यता प्राप्त स्टेटिस्टिकल संस्था में कम से कम दो वर्ष का प्रशिक्षण । (ब) फील्ड एक्सपेरीमेंट की डिजाइन और एनालिसिस एवं फसलों पर सैम्पल सर्वेज के संचालन और संगठन में विशेष प्रशिक्षण। (स) एक्सपेरीमेंट्स की डिजाइन और लार्ज स्केल सैम्पिल सर्वेज में रिसर्च का विशेष ज्ञान। (द) स्टेटिस्टिकल कार्य का अनुभव ।
१९५७	३	मैथेमेटिक्स अथवा मैथेमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में बेचलर्स डिग्री के साथ मैथेमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम से कम दो वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ।	(अ) मैथेमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में प्रथम श्रेणी के आनर्स या मास्टर्स डिग्री । (ब) फील्ड इक्सपेरीमेंट्स के डिजाइन व एनालिसिस तथा, सेम्पल सर्वेज के संगठन एवं संचालन में विशेष प्रशिक्षण (केवल एक पद के लिये) और फसलों पर लार्ज स्केल सेम्पल सर्वेज के आंकड़ों के विश्लेषण का अनुभव (अन्य दो पदों के लिये) । (स) सैम्पलिंग तथा एक्सपेरीमेंन्ट्स की डिजाइन और एनालिसिस में विशेष प्रशिक्षण । (द) स्टैटिस्टिकल कार्य का अनुभव ।

विज्ञापन-वर्ष	पत्र-संख्या	आवश्यक योग्यताएं		वरीयान योग्यताएं
१	२	३		४
१९६०	२	,,	,,	(अ) मैथेमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में प्रथम श्रेणी की आनर्स या मास्टर्स डिग्री । (ब) लार्ज स्केल सैंपिल सर्वेज के संचालन तथा उनके आंकड़ों के विश्लेषण में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव । (स) सैम्पलिंग तथा एक्सपेरीमेंट्स के डिजाइन और एनालिसिस में विशेष प्रशिक्षण ।
१९६३ (शाहजहानपुर के लिये।)	१	(१) साइंस अथवा एग्रीकल्चर में बैचलर्स डिग्री । (२) किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय में मैथेमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में कम से कम दो वर्ष का प्रशिक्षण ।		(ब) स्टेटिस्टिकल कार्य का गहन, अनुभव । (अ) फील्ड एक्सपेरीमेंट्स की डिजाइन और एनालिसिस तथा कृषि में सेम्पल सर्वेज के संगठन एवं संचालन का प्रशिक्षण । (ब) एक्सपेरीमेंट्स तथा कृषि में सैम्पल सर्वेज के आंकड़ों के विश्लेषण का अनुभव ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८६ पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

[जैसा की उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ को और संशोधित करने का। — उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (२२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। — उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २ का संशोधन ।

(२२) "आवश्यक सेवा" से तात्पर्य है धारा ११२-ख में निर्दिष्ट सेवा ;

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) में शब्द "जो सेंसस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन विगत अन्तिम जन-गणना में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "जो उस अन्तिम पूर्वगत जन-गणना में जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं निर्दिष्ट" रख दिये जायें । — धारा ७ का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— — धारा १८ का संशोधन ।

"१८—नगर प्रमुख तथा उप-नगर प्रमुख को ऐसे भत्ते या सुविधायें, जो महापालिका राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें, दी जा सकती हैं ।"

५—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३०-क बढ़ा दी जाय : — नयी धारा ३०-क का बढ़ाया जाना ।

सदस्यों को वाहन भत्ता या सुविधायें ।

"३०-क—सभासदों तथा विशिष्ट सदस्यों को, महापालिका के और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये ऐसा वाहन भत्ता या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधायें दी जा सकती हैं जिनकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय ।"

६—मूल अधिनियम की धारा ३१ में— — धारा ३१ का संशोधन ।

(१) उपधारा (२) में शब्द "सेंसस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन की गयी अन्तिम जन-गणना में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "उस अन्तिम पूर्वगत जन-गणना में, जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं, अथवा उपधारा (३) में व्यवस्थित रीति से निर्दिष्ट" रख दिये जायें ; तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) बढ़ा दी जाय :

"(३) यदि राज्य सरकार की राय में कक्ष में सम्मिलित किये जाने वाले नगर के किसी क्षेत्र की जन-संख्या उपधारा (१) में उल्लिखित जन-गणना के आंकड़ों से तत्काल निर्दिष्ट न की जा सकती हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसी जन-संख्या उस क्षेत्र से संगत विधान सभा की सूचियों में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या को ऐसी जन-गणना के समय निर्दिष्ट नगर में समाविष्ट क्षेत्र की कुल जन-संख्या से गुणा करके और तत्पश्चात् प्राप्त संख्या को नगर में समाविष्ट क्षत्र से संगत विधान सभा की सूचियों में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या से भाग देकर निर्दिष्ट की जायगी ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा में "विधान सभा की सूचियों" का तात्पर्य विधान सभा की उन सूचियों से है, जो ऐसे दिनांक को प्रचलित हों जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय ।"

धारा ३२ का संशोधन ।

७---मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) में---

(१) खंड (ग) में शब्द "क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "कक्ष" तथा शब्द "स्थानों" के स्थान पर शब्द "स्थान या स्थानों" रख दिये जायं ; और

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(घ) कि क्या किसी कक्ष के लिये निर्दिष्ट किये गये स्थान या स्थानों में से कोई स्थान अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित है ।"

धारा ६३ का संशोधन ।

८---अंग्रेजी प्रति में मूल अधिनयम की धारा ६३ की उपधारा (३) के खंड (ए) में शब्द " clause (d) of " निकाल दिये जायें ।

धारा ८५ का संशोधन ।

९---मूल अधिनियम की धारा ८५ में---

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"(१) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, १८७३ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो सभासद अथवा विशिष्ट सदस्य निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित हो तथा प्रत्येक व्यक्ति जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा अथवा प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात्:---

" मैं, ----------क, ख, जो महापालिका का सभासद/विशिष्ट सदस्य । (नगर प्रमुख)/निर्वाचित विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता तथा अखण्डता को बनाये रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धा-पूर्वक पालन करूंगा ।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :---

"(१-क) महापालिका की धारा ९ के अधीन संगठन या धारा ५३८ अथवा धारा ५३९ के अधीन पुनस्संगठन हो जाने के सात

दिन के भीतर मुख्य नगराधिकारी निर्वाचित घोषित किये गये नगर प्रमुख, सभासदों और विशिष्ट सदस्यों का एक अधिवेशन बुलायेगा । डिवीजन का कमिश्नर और उसकी अनुपस्थिति में जिला मैजिस्ट्रेट नगर प्रमुख को शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा और तत्पश्चात् नगर प्रमुख ऐसे सभासदों और विशिष्ट सदस्यों को, जो उपस्थित हों, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा ।"

धारा ८८ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की धारा ८८ में—

(१) उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :— "ऐसे प्रार्थना-पत्र पर अधिवेशन, प्रार्थना-पत्र के दिये जाने अथवा तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर बुलाया जायगा ;"

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधाराएं बढ़ा दी जायें :

"(२—क) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रार्थना-पत्र देने या तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अधिवेशन बुलाया जा चुका हो तो, यथास्थिति, नगर प्रमुख या उप-नगरप्रमुख, उक्त प्रार्थना-पत्र पर अलग से अधिवेशन बुलाने के बजाय, धारा ९१ की उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पहले से ही बुलाये गये अधिवेशन में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की सूची में, ऐसे प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित विषयों को सम्मिलित कर सकता है, और तदुपरान्त ऐसा अधिवेशन ऐसे प्रार्थना-पत्र पर बुलाया गया अधिवेशन भी समझा जायगा ।

(२—ख) नगर प्रमुख या उप-नगरप्रमुख, यथास्थिति उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे सदस्यों के प्रार्थना-पत्र पर बुलाये गये अधिवेशन से भिन्न अधिवेशन को, ऐसी सूचना देकर, जिसकी उपविधियों द्वारा तदर्थ व्यवस्था की जाय, स्थगित कर सकता है ।"

धारा १०७ का संशोधन ।

११—मूल अधिनियम की धारा १०७ में—

(१) उपधारा (१) के प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"उप नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, नगर अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पदों पर तथा ऐसे अन्य पदों पर जिनका प्रारम्भिक वेतन पांच सौ रुपए प्रति मास से कम न हो, नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, नगर प्रमुख द्वारा, विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नहीं ।"

(२) उपधारा (२) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"अन्य पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन दो सौ रुपए प्रति मास से कम न हो, नियुक्तियां राज्य लोक-सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् विहित रीति से की जायेंगी, अन्य प्रकार से नहीं ।"

(३) उपधारा (५) में शब्द "पचास रुपए" के स्थान पर शब्द "पचास रुपए प्रति मास" रख दिये जायें ।

नयी धारा ११२-क, ११२-ख, ११२-ग तथा ११२-घ का बढ़ाया जाना।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें ११२-क से ११२-घ तक बढ़ा दी जायें :—

सेवाओं का केन्द्रीयकरण

"११२-क-(१) धारा १०६ से ११० तक में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की, जिसे वह उचित समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य की महापालिकाओं या महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों के लिये समान हों तथा किसी ऐसी सेवा में भरती करने की रीति और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है।

(२) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को, यदि वे उपयुक्त पाये जायें तो सेवा में विहित रीति से लिया जा सकता है।

११२-ख-महापालिका की निम्नलिखित सेवाएं आवश्यक सेवाएं होंगी :—

(क) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ;

(ख) जल-कल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण सेवाएं ;

(ग) मेहतर ;

(घ) रोशनी विभाग का कर्मचारीवर्ग ;

(ङ) परिवहन सेवाएं ; और

(च) ऐसी अन्य सेवाएं जो नियमों में निर्दिष्ट की जायें।

११२-ग-आवश्यक सेवा का कोई सदस्य—

आवश्यक सेवाओं के सदस्य बिना अनुमति के त्याग-पत्र आदि न देंगे

(क) (१) मुख्य नगराधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना ; या

(२) बीमारी अथवा ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय या ऐसे अन्य कारण के बिना जिसे मुख्य नगराधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत पदाधिकारी पर्याप्त समझे ; या

(३) मुख्य नगराधिकारी को तीन महीने का लिखित नोटिस दिये बिना—

गा, न अपने पद के कर्त्तव्यों
र अनुपस्थित रहेगा ; और

(ख) न अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जानबूझ कर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो मुख्य नगराधिकारी या ऐसे अन्य उपर्युक्त पदाधिकारी की राय में अदक्षतापूर्ण हो।

आपात की घोषणा करने का राज्य सरकार का अधिकार

११२-घ-(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि आवश्यक सेवाओं में से किसी के कार्यकलाप के रुक जाने या बन्द हो जाने से नगर के जन-समुदाय की सुरक्षा या स्वास्थ्य अथवा ऐसी सेवाओं को, जो जन-समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक हों, बनाये रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि नगर में आपात विद्यमान है और ऐसी अवधि निर्दिष्ट करेगी जब तक ऐसी घोषणा लागू रहेगी ।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन आपात की घोषणा लागू हो, तब ऐसी आवश्यक सेवाओं का, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, कोई सदस्य, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी विपरीत बात के होते हुए भी--

(क) बीमारी या ऐसी दुर्घटना के बिना जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाय, न तो अपने कर्तव्यों से विलग होगा और न अपने काम पर अनुपस्थित रहेगा ; और

(ख) न अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करेगा और न उन्हें पालन करने से इन्कार करेगा और न जान-बूझकर उनका पालन ऐसी रीति से करेगा जो ऐसे पदाधिकारी की राय में जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे, अदक्षतापूर्ण हो ।"

धारा ११३ का संशोधन ।

१३--मूल अधिनियम की धारा ११३ की उपधारा (२) में--

(१) अंग्रेजी प्रति में खंड (ई) में शब्द "Mahapalika" के बाद कामा के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् आया हुआ शब्द "and" और कामा निकाल दिए जायें ।

(२) खंड (च) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय तथा तत्पश्चात् शब्द "और" बढ़ा दिया जाय ।

(३) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय :--

"(छ) धारा ११२-क के अधीन म्युनिसिपल सेवायें सृजित करना तथा उनमें भर्ती करना, वर्तमान पदाधिकारियों तथा सेवकों को उनम लेना, और ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों का स्थानान्तरण, छुट्टी, दंड, जिसके अन्तर्गत पदच्युति और हटाया जाना भी है, अपील तथा अन्य अनुशासनिक विषय और सेवा की अन्य शर्तें ।"

धारा १२६ का संशोधन ।

१४--मूल अधिनियम की धारा १२६ की उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(५) वह प्रतिफल (consideration) जिसके लिये कोई अचल सम्पत्ति, अथवा उसमें निहित कोई अधिकार, स्वत्व या हित जो महापालिका का हो, बेचा जाय, पट्टे पर दिया जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित किया जाय, उसके चालू बाजार मल्य से कम न होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शैक्षिक, सांस्कृतिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६१ के अधीन रजिस्टर्ड किसी समिति अथवा परिनियत निगम के लिये भूमि पट्टे पर देने या बेचने की दशा में, पट्टे के संबंध में वार्षिक किराए के मूल्य के आधे से अनधिक अथवा किसी अन्य मामले में कुल बाजार मूल्य का आधे के बराबर की रियायत दी जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की गयी रियायत का कुल मूल्य दस हजार रुपए से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पिछले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक रियायत महापालिका द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण--यदि प्रस्तावित रियायत के मूल्य के संबंध में अथवा इस संबंध में कि प्रस्तावित हस्तान्तरण का प्रयोजन शैक्षिक, सांस्कृतिक या दानोत्तर है अथवा नहीं, कोई प्रश्न उठे तो राज्य सरकार का निर्णय महापालिका पर बन्धनकारी होगा।"

धारा १३९ का संशोधन।

१५--मूल अधिनिय की धारा १३९ की उपधारा (२) में शब्द "अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों, जिन्हें महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्दिष्ट करे" के स्थान पर शब्द "अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू० पी० कोआपरेटिव बैंक अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में जिन्हें महापालिका निश्चित करे" रख दिये जायं।

नयी धारा १५२-क का बढ़ाया जाना।

१६--मूल अधिनियम की धारा १५२ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १५२-क बढ़ा दी जाय:--

अधिभार

"१५२-क--(१) महापालिका का नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख तथा प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और सेवक महापालिका के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का भागी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग ऐसे नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के इस रूप में कार्य करते समय उसकी उपेक्षा या दुराचरण के सीधे परिणामस्वरूप हुआ हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय।

(३) यदि अधिभार की कार्यवाही न की जाय तो महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध प्रतिकर के लिये वाद-संस्थित कर सकती है।"

धारा १५३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा १५३ के खंड (ङ) में शब्द "प्रकाशित किया जायगा" के पश्चात् आये हुए शब्द "और" के स्थान पर कामा रख दिया जाय तथा शब्द "अधिकार" और तत्पश्चात् आए हुए सेमीकोलन के बीच में शब्द "और वह रीति जिसके अनुसार अधिभार की कार्यवाहियां की जायगी", रख दिये जायं।

१८--मूल अधिनियम की धारा २११ की उपधारा (२) के अन्त में आए हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:-- धारा २११ का संशोधन

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विधि न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के परिणामस्वरूप नयी निर्धारण सूची या उसका कोई भाग प्रभावी न हो सकता हो तो ऐसे आदेश या निर्णय के अधीन रहते हुये पुरानी निर्धारण सूची या उसका तदनुरूप भाग प्रभावी बना रहा समझा जायगा ।

१९--मूल अधिनियम की धारा २१३ में : धारा २१३ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में तथा उपधारा (३) में जहां-जहाँ भी शब्द "परिवर्तन" आया हो, उसके ठीक पश्चात् शब्द "या संशोधन" बढ़ा दिये जाय;

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (१-क) बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय:--

"(१-क) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह आवश्यक न होगा कि धारा १४८ के अधीन कर की दर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उपधारा (१) में खंड (ङ) के अधीन किये गये किसी परिवर्तन के संबंध में धारा १९९ से २०३ या धारा २०७ से २१० तक में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय ।

२०--मूल अधिनियम की धारा ३६५ में-- धारा ३६५ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा" के स्थान पर शब्द "इस अध्याय के अधीन" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (२) में शब्द "सरकार द्वारा" के स्थान पर शब्द "इस अध्याय के अधीन" रख दिये जायं;

(३) उपधारा (४) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय:--

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ४२ के अधीन या कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ की धारा ६० के अधीन विज्ञापित किसी विकास योजना के संबंध में इस धारा का अर्थ इस प्रकार किया जायगा मानो शब्द "धारा ३६३ के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९६७ को या उसके पूर्व" रख दिये गये हों ।"

२१--मूल अधिनियम की धारा ३६७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३६७--क बढ़ा दी जाय।

"३६७-क--महापालिका, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी भी समय और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो वह आरोपित करे, यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ४२, कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ की धारा ६० या इस अधियिम की धारा ३६३ के अधीन विज्ञापित किसी योजना का परित्याग कर सकती है, और इस प्रकार परित्याग करने पर कोई नयी धारा ३६७-क का बढ़ाया जाना।

योजना का परित्याग

भूमि जिसके संबंध में अभिनिर्णय देने के प्रक्रम तक अर्जन पूरा न हुआ हो, और ऐसी भूमि का स्वामी तथा अध्यासी, इस अध्याय के अधीन किन्हीं दायित्वों के अधीन न रह जायंगे ।"

धारा ४१७ का संशोधन

२२--मूल अधिनियम की धारा ४१७ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(क) किसी उपासना स्थान की किसी दीवाल के भीतर या किसी ऐसे स्थान के किसी उपमार्ग (passage), ड्योढ़ी (porch), ओसारा (portico), कुर्सी (plinth) या बरामदे के नीचे कोई तहखाना या कब्र या मजार (interment) न बनायेगा ।"

नयी धारा ४६४-क का बढ़ाया जाना ।

२३--मूल अधिनियम की धारा ४६४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:--

"४६४-क-जो भी व्यक्ति धारा ११२-ग या धारा ११२-घ का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है अथवा करने के लिये अनुत्तेजित करता है, तो सिद्ध दोष हो जाने पर उसे या तो कारावास का दंड दिया जायगा जो छः मास तक का हो सकता है अथवा अर्थ-दंड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकता है अथवा दोनों दंड दिये जायेंगे ।

धारा ११२-ग और ११२-घ का उल्लंघन करने के लिए दंड

धारा ४७२ का संशोधन

२४--मूल अधिनियम की धारा ४७२ की उपधारा (२) में--

(१) खंड (ख) में कामा व शब्द "इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य नगराधिकारी के समक्ष" निकाल दिये जायें तथा शब्द "उस आपत्ति का" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २०९ के अधीन उसका" रख दिये जायें;

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(घ) धारा २१३ की उपधारा (१) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उक्त उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति न की गयी हो और ऐसी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो';

धारा ४७३ का संशोधन

२५--मूल अधिनियम की धारा ४७३ में--

(१) खंड (क) में शब्द "ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी को" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २०९ के अधीन ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध" रख दिये जायें;

(२) खंड (ख) में शब्द "उक्त धारा" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ४७२" रख दिये जायें,

(३) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(ग) धारा २१३ की उपधारा (१) के अधीन सम्पत्ति करों की निर्धारण सूची में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध की गयी किसी अपील की दशा में, उस दिन जब उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुसरण में आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय ।"

धारा ४९२ का संशोधन

२६--मूल अधिनियम की धारा ४९२ की उपधारा (१) में शब्द "धारा" तथा अंक "४१७" के बीच में अंक तथा शब्द "११२-ग, धारा ११२-घ या धारा" रख दिये जायें ।

नयी धारा ५७१-क और ५७१-ख का बढ़ाया जाना

२७--मूल अधिनियम की धारा ५७१ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें ५७१-क और ५७१-ख बढ़ा दी जायें:--

नक्शे, नोटिस, आदेश किसी महापालिका के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

"५७१-क-महापालिका के कब्जे की किसी रसीद, प्रार्थना-पत्र, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह उसके विधिवत् रखने वाले या मुख्य नगराधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाविधि प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या लेख्य के विद्यमान होने के प्रथम दृष्ट्या (prima facie) साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषयों तथा व्यवहारों के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस आयति तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी, जिस आयति तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता ।

लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए महापालिका के पदाधिकारियों या सेवकों को आहुत करने पर निर्बन्धन

५७१-ख-महापालिका के किसी पदाधिकारी या सेवक से किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें महापालिका एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसके तथ्य पिछली धारा के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध किये जा सकते हों, अथवा उसमें अभिलिखित विषयों या व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से ऐसा आदेश न दे ।"

धारा ५७७ का संशोधन

२८--मूल अधिनियम की धारा ५७७ में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय:--

"(ङङ) जब तक कि धारा १०६ में उल्लिखित पदों का महापालिका द्वारा सृजन नहीं किया जाता और उन पर इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार औपचारिक नियुक्तियां नहीं की जातीं--

(१) मुख्य नगराधिकारी खंड (ङ) में उल्लिखित वर्तमान पदाधिकारियों और सेवकों के पदनामों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, और इस प्रकार नामोदिष्ट पदाधिकारी और सेवक ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने के लिये सक्षम होंगे जो उन्हें अधिनियम और उक्त नियमों के अधीन सौंपे गये हों

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-खंड के अधीन मुख्य नगराधिकारी द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेजी जायगी जो उसमें ऐसे परिवर्तन कर सकती है जो आवश्यक या वांछनीय हों ।

(२) राज्य स्वास्थ्य सेवा का ऐसा पदाधिकारी अथवा ऐसे पदाधिकारी जिसे/जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ नामनिर्दिष्ट अथवा नामोदिष्ट करे, अधिनियम के अधीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे ।

(३) राज्य सरकार के ऐसे सेवक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उक्त म्युनिसिपैलिटी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के यहां प्रतिनियुक्त हों, धारा १०६ और १०७ में किसी बात के होते हुये भी नगर महापालिका के यहां प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी भी समय, स्वतः अथवा महापालिका द्वारा अनुरोध किये जाने पर किसी ऐसे पदाधिकारी को वापस बुला सकती है अथवा किसी ऐसे पदाधिकारी के स्थान पर नया पदाधिकारी भेज सकती है ।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में संशोधन करने का प्रश्न कुछ समय से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। इस संबंध में अनेक प्रस्ताव किये गये हैं। यद्यपि उनमें से बहुत से प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं, फिर भी यह आवश्यक समझा गया है कि अधिनियम की कुछ कमियों को तुरन्त दूर किया जाय। महापालिका के पदाधिकारियों और सेवकों की कुछ केन्द्रीयित सेवायें सृजित करने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक समझा जाता है। कक्षों (वार्डों) के परिसीमन से सम्बद्ध उपबन्धों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है कि नगर-महापालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों में किन्हीं प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अनावश्यक रूप से बिलम्ब न हो। यह भी आवश्यक है कि सामान्य निर्वाचनों के पश्चात् महापालिका का ऐसा प्रथम अधिवेशन बुलाने का उपबन्ध सम्मिलित किया जाय जिसमें नगर प्रमुख तथा सदस्यों को शपथ दिलाई जायगी।

सदस्यों को अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए वाहन भत्ता देने, ५०० रुपये और उससे अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां करने के लिए नगर प्रमुखों को अधिकार देने और अधिभार की कार्य-वाहियों को विनियमित करने के लिये भी व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर का उपयोग कतिपय अन्य संशोधन करने के लिये भी किया गया है।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ में राज्य की संहत के निधि पर विशेष रूप से कोई व्यय नियत नहीं किया गया है । फिर भी, इसमें निम्नलिखित ऐसे उपबन्ध हैं, जिनमें भविष्य में राज्य की संहत निधि से कुछ व्यय हो सकता है ।

खंड १२ में एक नयी धारा ११२–क समाविष्ट की गयी है । इस धारा में यह निर्धारित किया गया है कि धारा १०६ से ११० में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की, जिन्हें वह उचित समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य की महापालिकाओं या महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों के लिये समान हों तथा किसी ऐसी सेवा में भरती करने की रीति और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है ।

अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि केंद्रीयित सेवा या सेवायें किसी अतिरिक्त (Super) स्थानीय निकाय द्वारा नियंत्रित की जायंगी अथवा उन्हें सरकारी सेवा समझा जायगा । यदि केंद्रीयित सेवाओं को राज्य सेवाओं के रूप में संगठित किया गया तो वेतन, भत्ते आदि पर प्रारम्भिक व्यय राज्य सरकार को करना पड़ेगा किन्तु यह सभी धनराशि, जिसके अन्तर्गत प्रशासन संबंधी व्यय के साथ छुट्टी और वेतन व्यय भी है, सम्बद्ध स्थानीय निकायों से वसूल की जायगी ।

चर्तुभुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री

ज्ञापन-पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ के ऐसे उपबन्ध दिये गये हैं जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है, किन्तु वे सभी सामान्य प्रकार के हैं । उक्त अधिनियम में, जैसा कि वह विधान-मंडल द्वारा इस विधेयक के अधिनिमित हो जाने के पश्चात् संशोधित किया जाय, दिये गये शासी निदेशों का उचित ध्यान रखते हुए, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त नियम बनाये जायेंगे । यह आवश्यक है कि इन विषयों को नियमों द्वारा शासित होने के लिये छोड़ दिया जाय जिससे कि विधेयक में अत्यधिक ब्योरे न हों । विधेयक के जिन खंडों में विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें हैं उन्हें नीचे दिया गया है:—

खण्ड ५—

इसमें राज्य सरकार को नियमों द्वारा सभासदों तथा विशिष्ट सदस्यों को महापालिका और उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिये ऐसा वाहन भत्ता, जो दिया जा सके या वाहन भत्ते के बदले में ऐसी सुविधायें, जो दी जा सकें, निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ।

खण्ड ११—

मूल धारा १०७ में ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की रीति के संबंध में नियम बनाने की व्यवस्था की गयी थी । नियम बनाने के इस अधिकार में हस्तक्षेप न करते हुए इस धारा में कतिपय अन्य परिवर्तन किये गये हैं ।

खण्ड १३ (धारा ११२—क) के साथ पठित खण्ड १२—

इन खंडों में राज्य सरकार को राज्य की महापालिकाओं या महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों के कतिपय पदाधिकारियों और सेवकों का एक या अधिक केंद्रीयित संवर्ग सृजित करने की व्यवस्था करने के लिए नियम बनाने तथा किसी ऐसी सेवा में भरती करने और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित करने का अधिकार दिया गया है । उक्त संवर्गों के सृजित हो जाने पर पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को उनमें लिये जाने की रीति के ब्योरे भी नियमों में दिये जायेंगे ।

खण्ड १२ (धारा ११२—ख)—

इस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लिखित सेवाओं के अतिरिक्त उसके उपखंड (च) में राज्य सरकार को नियमों में, महापालिका की अन्य सेवाओं को आवश्यक सेवायें निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है ।

खण्ड १६ और १७—

इन खंडों में राज्य सरकार को अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की वसूली की रीति तथा महापालिका के नगर प्रमुख, उप-नगर प्रमुख, सदस्य, पदाधिकारी और सेवक के विरुद्ध अधिभार की कार्यवाहियां करने की रीति विहित करने का अधिकार दिया गया है ।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की संगत धाराओं का उद्धरण जिनमें संशोधन का प्रस्ताव है

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में,

× × ×

(२२) "आवश्यक सेवायें" (essential services) से तात्पर्य है वे सेवायें जिनमें महापालिका द्वारा अथवा उसकी ओर से महापालिका का कोई पदाधिकारी, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति नियोजित हो, तथा जो सेवायें नियमों में निर्दिष्ट हों ;

× × ×

७--(१) धारा ६ के अधीन नियत सभासदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों के लिये ऐसी संख्या रक्षित होगी जिसका अनुपात कुल संख्या के साथ यथा सम्भव वही होगा जो सेंसस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन विगत अन्तिम जन-गणना में निर्दिष्ट उस नगर की अनुसूचित जातियों की जन-संख्या तथा कुल संख्या के बीच हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई भी बात अनुसूचित जाति के सदस्यों को अरक्षित स्थानों (non- reserved seats) में निर्वाचित होने के लिये खड़े होने में रुकावट न डालेगी।

(२) अनुसूचित जाति के लिये उपधारा (१) के अधीन व्यवस्थित रक्षण (reservation) केवल उसी दिनांक तक प्रभावी रहेगा जब तक ऐसी जातियों के लिये रक्षण (reservation) भारत के संविधान के अधीन रहे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात उपर्युक्त दिनांक की समाप्ति पर तब तक किसी रक्षित स्थान के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव न डालेगी जब तक कि ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नया निर्वाचन अपेक्षणीय (due) नहीं हो जाता।

× × ×

१८--नगर प्रमुख को ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, जो महापालिका राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करे, दिये जायेंगे ।

× × ×

३१--(२) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व सेन्सस ऐक्ट, १९४८ के उपबन्धों के अधीन की गयी अंतिम जनगणना में निर्दिष्ट उसकी जन-संख्या के आधार पर होगा और यथासम्भव उसी अनुपात में होगा जो धारा ६ के अधीन निश्चित की गयी सभासदों की कुल संख्या और नगर की कुल जनसंख्या में हो ।

३२--(१) राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करेगी ।

× × ×

(ग) प्रत्येक क्षेत्र के लिये निर्दिष्ट किये गये स्थानों की संख्या, और

(घ) अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानों की संख्या, यदि कोई हो ।

× × ×

६३--(३) आवेदक (petitioner)

(क) यदि वह धारा ६४ के अधीन किसी घोषणा का दावा करता है तो अपने से भिन्न अन्य सभी प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों को, तथा अन्य किसी दशा में सभी निर्वाचित उम्मेदवारों को; और

× × ×

अपने आवेदन में प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित करेगा ।

× × ×

८५--(१) इंडियन ओथ्स ऐक्ट, १८७३ में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो सभासद अथवा विशिष्ट सदस्य निर्वाचित हो अथवा विकास समिति के सदस्य के रूप में संयोजित (Coopted) हो, तथा प्रत्येक वह व्यक्ति जो सभासद अथवा विशिष्ट सदस्य न हो, किन्तु जो नगर प्रमुख निर्वाचित हो गया हो, महापालिका के अधिवेशन में स्थान ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित रूप में संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, अथवा प्रतिज्ञान करेगा--

जो सभासद

"मैं----------अमुक----------विशिष्ट सदस्य

नगर प्रमुख

ईश्वर की शपथ लेता हूं

निर्वाचित/विकास समिति का सदस्य संयोजित हुआ हूं----------

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञापन करता हूं

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

× × ×

८८--(२) नगर प्रमुख और उसकी अनुपस्थिति में उप-नगरप्रमुख, जब वह उचित समझे, महापालिका का अधिवेशन बुला सकता है तथा महापालिका के कुल सदस्यों की संख्या के छठे भाग से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर महापालिका का अधिवेशन अवश्य बुलायेगा। यह प्रार्थना-पत्र, यथास्थिति नगर प्रमुख अथवा उप-नगर प्रमुख को उस पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी सदस्य द्वारा अथवा रजिस्ट्री से भेजा जा सकता है।

× × ×

१०७--(१) उप-नगराधिकारी, सहायक नगराधिकारी, नगर अभियन्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के परामर्श से नगर-प्रमुख द्वारा, विहित रीति से की जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति, जहां तक हो सके सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों में से जिनको कि राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर भेजना स्वीकार करे, की जायेगी तथा ऐसी दशा में राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनावश्यक होगा।

(२) २०० रुपया मासिक से अन्यून प्रारम्भिक वेतन वाले अन्य पदों पर नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से विहित रीति के अनुसार की जायगी। महापालिका के ऐसे पदाधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति का अधिकार--

(क) उन पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में, जो मुख्य नगर लेखा परीक्षक के तुरन्त अधीनस्थ हों, मुख्य नगर लेखा परीक्षक को, तथा

(ख) अन्य समस्त पदाधिकारियों एवं सेवकों के सम्बन्ध में मुख्य नगराधिकारी को होगा।

× × × ×

(५) महापालिका के इंजीनियरिंग, जलकल (Water Works) लोक स्वास्थ्य तथा अन्य विभागों में ऐसे पदों पर, जिनका प्रारम्भिक वेतन पचास रुपये से अधिक न हो, नियुक्तियां, महापालिका द्वारा एतदर्थ बनायी गयी किन्हीं उप-विधियों के अधीन रहते हुए, धारा ११२ में उल्लिखित सम्बद्ध विभागाध्यक्षों द्वारा की जायेंगी।

× × × ×

११३--(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जा सकती है--

× × × ×

(ङ) महापालिका के पदाधिकारियों, कर्मचारिवर्ग और अन्य सेवकों की छुट्टी दंड व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत पदच्युत अथवा नौकरी से हटाया जाना भी होगा, अपील, अनुशासन सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियां तथा सेवा की शर्तें,

(च) पदाधिकारियों को महापालिका के विभागाध्यक्षों के रूप में निर्दिष्ट करना।

× × × ×

१२९--उस सम्पत्ति के निस्तारण के लिये जो कि महापालिका की हो, निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्--

× × × ×

(५) उन मामलों को छोड़कर जिनमें शैक्षिक या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये हस्तान्तरण किया जाये या जिनमें यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ या कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट ऐक्ट, १९४५ या इस अधिनियम के अध्याय १४ के अधीन अर्जित सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया जाय वह प्रतिफल (consideration) जिसके लिये महापालिका को कोई अधिकार या अचल सम्पत्ति बेची जाय, पट्टे पर दी जाय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित की जाय, ऐसे नजराने (premium) किराये या अन्य प्रतिफल के बाजार मूल्य से कम न होगा ।

× × × ×

१३९--(२) महापालिका निधि में जमा की जाने वाली समस्त धनराशियां मुख्य नगराधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेंगी । मुख्य नगराधिकारी इन धनराशियों को तत्काल स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा अन्य ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों, जिन्हें महापालिका राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्दिष्ट करे, एक खाते में जिसे"---------को महापालिका निधि का खाता" कहा जायगा, जमा कर देगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगराधिकारी कार्यकारिणी समिति द्वारा जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए इतना नगद रुपया रोक सकता है जितना चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो ।

× × × ×

१५३--राज्य सरकार इस अध्याय के समस्त अथवा किन्हीं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये तथा विशेष तथा एतद्द्वारा प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है ।

× × × ×

(ङ) महापालिका द्वारा रखे जाने वाले लेखे, वह रीति, जिससे लेखों का लेखा-परीक्षण किया तथा उन्हें प्रकाशित किया जायगा और किसी व्यय को न मानने (disallowance) तथा अधिभार (surcharge) के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों के अधिकार ;

× × × ×

२११--(२) धारा २१३ के अधीन दिये गये किसी परिवर्तन अथवा संशोधन तथा धारा ४७२ के अधीन की गई अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए मूल्यांकन सूची में दर्ज प्रत्येक मूल्यांकन (valuation) तथा निर्धारण, नगर में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल तक वैध रहेगा ।

२१३—(१) कार्यकारिणी समिति अथवा एतदर्थ नियुक्त की गई उसकी कोई उप-समिति किसी भी समय निम्न प्रकार से निर्धारण सूची में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकती है—

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति के नाम को, जिसकी प्रविष्टि होनी चाहिये थी अथवा किसी ऐसे सम्पत्ति की, जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण के पश्चात् कर–आरोपण के योग्य हो गयी हो, प्रविष्टि करके; या

(ख) उसमें किसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करके जिसे हस्तान्तरण (transfer) अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया हो ;

(ग) किसी ऐसे सम्पत्ति के मूल्यांकन अथवा निर्धारण में वृद्धि करके जिसका मूल्यांकन अथवा निर्धारण छल, भ्रांत कथन अथवा त्रुटियों के कारण गलत हो गया हो;

(घ) किसी ऐसी सम्पत्ति का फिर मूल्यांकन अथवा निर्धारण करके जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्धनों अथवा परिवर्तनों के कारण बढ़ गया हो; अथवा

(ङ) जब इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर लगाया जाने वाला हो, प्रतिशत महापालिका द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप (corresponding) परिवर्तन करके;

(च) स्वामी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, या इस बात पर सन्तोषजनक साक्ष्य मिलने पर कि स्वामी का पता नहीं है (is untraceable) और साथ ही साथ कमी करने की आवश्यकता सिद्ध हो गई है, स्वतः किसी ऐसे भवन के मूल्यांकन में कमी करके जो पूर्णतः या अंशतः गिरा दिया गया हो अथवा नष्ट कर दिया गया हो, अथवा

(छ) किसी लिपि–सम्बन्धी गणना की (clerical Arithmetical) या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति कार्यकारिणी समिति या उप-समिति स्वत्व रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति को उपधारा (१) के खंड (क), (ख), (ग) अथवा (घ) के अधीन कार्यकारिणी समिति या उप–समिति द्वारा प्रस्तावित किसी परिवर्तन का और उस दिनांक का, जिस पर परिवर्तन किया जायगा, कम से कम एक महीने का नोटिस देगी ।

× × × ×

(३) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा २१० द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणीकृत किया जायगा और धारा ४७२ के अधीन की गयी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस पर अगली किस्त देय हो ।

३६५—(१) राज्य सरकार द्वारा किसी योजना के स्वीकृत किये जाने पर मुख्य नगराधिकारी किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी भूमि को जिसे विकास योजना के सम्बन्ध में अर्जित करने के लिये वह प्राधिकृत हो, अथवा उस भूमि से सम्बद्ध किसी स्वत्व (interest) को खरीदने, पट्टे पर लेने, अथवा विनिमय के लिये अनुबन्ध कर सकता है ।

(२) सरकार द्वारा स्वीकृत किसी विकास योजना के प्रयोजनार्थ महापालिका इस अध्याय द्वारा संशोधित लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के उपबन्धों के अधीन भूमि अथवा भूमिगत कोई स्वत्व अर्जित कर सकती है ।

× × × ×

(४) इस अध्याय के अधीन अधिकृत विकास योजना के निमित्त भूमि तथा भूमि में स्वत्व का समस्त अर्जन धारा ३६३ के अधीन योजना के विज्ञापित किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम निर्णय (award) देने के स्तर तक पूरा कर दिया जायगा और कोई भी भूमि जिसके सम्बन्ध में अर्जन इस प्रकार पूरा नहीं किया गया है तथा उसका स्वामी और अध्यासी इस अध्याय के अधीन किसी दायित्व के अधीन नहीं रह जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी विशेष मामले में ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व तथा ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जावेंगे, अवधि को एक साल तक बढ़ा सकती है।

४१७—(१) कोई भी व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन मुख्य नगराधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना—

(क) किसी दिवाल के भीतर या किसी उपमार्ग (passage), ड्योढ़ी (porch), ओसारा (portico), कुरसी (plinth) या बरामदे के नीचे कोई तहखाना, कब्र या मजार (interment) न बनायेगा।

* * *

४७२—(१) आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन निश्चित (fixed) अथवा भारित (charged) किसी वार्षिक मूल्य या कर के विरुद्ध अपीलें न्यायाधीश (Judge) द्वारा सुनी और निर्धारित की जायंगी।

(२) ऐसी कोई अपील उस समय तक न सुनी जायगी जब तक कि—

* * *

(ख) वार्षिक मूल्य के विरुद्ध की गई किसी अपील की दशा में, इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य नगराधिकारी के समक्ष पहिले आपत्ति न की गई हो और उस आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो ;

* * *

(घ) राजकीय वर्ष में संपत्ति करों की निर्धारण पंजी (assessment book) में किये गये किसी संशोधन के विरुद्ध की गई अपील की दशा में क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसे संशोधन की प्रथम सूचना प्राप्त होने के उपरान्त १५ दिन के भीतर, आपत्ति की न गई हों और उसकी आपत्ति का निपटारा न किया जा चुका हो।

* * *

४७३—धारा ४७२ के प्रयोजनों के लिये शिकायत का कारण निम्नलिखित प्रकार से प्रोद्भूत हुआ समझा जायगा; अर्थात्—

(क) वार्षिक मूल्यांकन के विरुद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे मूल्यांकन के विरुद्ध मुख्य नगराधिकारी को की गई आपत्ति का निपटारा किया जाय ;

(ख) उक्त धारा की उपधारा (२) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कर के विरुद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे कर के विरुद्ध की गयी आपत्ति का सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया जाय ;

* * *

(ग) राजकीय वर्ष (Official year) में सम्पत्ति करों की निर्धारण पंजी में किये गये किसी संशोधन के विरुद्ध अपील की दशा में, उस दिन जब ऐसे संशोधन से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा मुख्य नगराधिकारी को प्रस्तुत की गई आपत्ति का निपटारा कर दिया जाय।

४९२—(१) धारा ४१७ का उल्लंघन करने का अपराध हस्तक्षेप योग्य (cognizable) होगा।

* * * * *

५७७—इस अध्याय के उपबन्धों अथवा धारा ५७९ के अधीन प्रचारित किसी विज्ञप्ति द्वारा की गई स्पष्ट व्यवस्था को छोड़ कर—

* * * * *

(ङ) नियत दिन से ठीक पूर्व उक्त नगरपालिका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के नियोजन में होने वाले सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, धारा १०६ और १०७ में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से नियोजित महापालिका के पदाधिकारी तथा कर्मचारी हो जायंगे और जब तक अधिनियम के अधीन निर्मित पदों पर उनकी नियुक्ति न हो जाय वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे उक्त दिन अधिकारी अथवा अधीन थे।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११८ एल० ए० — १९६४—८६० + २५।